लोक सभा

बृहस्पतिवार,
२६ अगस्त, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६. ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

———

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

———

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ १२४३—१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . १२८६—१२९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible] . . . . १२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . १३१५—१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . १३५९—१३७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . १३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ १३९३—१४४२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ १४४२—१४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . १४४६—१४६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ १४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लंका में भारत विरोधी प्रचार

*१४१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लंका का श्री सिंहल यातिक पेरुमन दल उस देश में खुल्लमखुल्ला तथा क्रमबद्ध भारत विरोधी आन्दोलन चला रहा है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वह आन्दोलन कब आरम्भ किया गया था; तथा

(ग) आन्दोलन किस प्रकार का है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जून १९५४ से।

(ग) इस संगठन का उद्देश्य लंका के भारतीयों को उनके व्यापार स्थानों का बहिष्कार तथा उन पर धरना देकर, लंका छोड़ देने के लिये बाध्य करना है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस आन्दोलन ने भारतीयों को खुल्लमखुल्ला बदनाम

करने तथा उनकी दूकानों एवं उपाहारगृहों का बहिष्कार करने की सिफारिश करने का रूप धारण कर लिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चका हूं कि वे लोग वहां के भारतीयों की दूकानों का बहिष्कार कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार या मंत्री अथवा इसी प्रकार के व्यक्ति इस आन्दोलन से कोई सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस आन्दोलन से किसी भी महत्वशाली नेता को कोई सरोकार नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह मामला हमारे उच्चायुक्त द्वारा श्री लंका की सरकार की जानकारी में लाया गया है, और यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां; हम आशा करते हैं कि ऐसे संगठन के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जायगी।

वायदा बाज़ार आयोग

*१४२. **श्री ए० के० गोपालन** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वायदा बाज़ार आयोग ने वायदा व्यापार पर नियन्त्रण लगाने के लिये कोई सुझाव दिए हैं अथवा सिफारिशें की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां, श्रीमान् आयोग ने कपास तथा अरण्ड बीज के सम्बन्ध में अभी तक सिफारिशें की हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या आयोग से स्पष्ट रूप से कृषि पदार्थों पर, विशेषकर उन पदार्थों पर जिनका निर्यात किया जाता है, वायदा व्यापार के प्रभाव की जांच करने के लिये कहा गया है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, वायदा बाज़ार आयोग के कार्यों की स्पष्ट व्याख्या भारतीय वायदा संविदा अधिनियम में कर दी गई है। यह कार्यों की एक लम्बी सूची है। क्या मैं उसे पढ़ कर सुना दूं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस सूची को पटल पर रख सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं इससे यह समझूं कि आयोग इस प्रश्न पर पदार्थवार विचार कर रहा है ?

श्री करमरकर : जी हां, इस समय तो उसने हमें दो पदार्थों के विषय में रिपोर्ट दी है जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं।

श्री के० के० बसु : क्या इस वायदा बाज़ार आयोग को पटसन का निर्देश कर दिया गया है और इस पर कहां तक चर्चा हो चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, क्योंकि कुछ समय पूर्व पटसन का वायदा बाज़ार प्रचलित था जिसको अब रोक दिया गया है और आयोग अब इसका अध्ययन कर रहा है।

श्री पुन्नूस : क्या नारियल के वायदा बाज़ार के हानिकारक प्रभाव के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायतें की गई हैं और क्या आयोग ने इस पर कोई सिफारिश की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई ऐसी विशिष्ट शिकायतें नहीं की गई हैं जिनको वायदा बाज़ार आयोग के पास भेजा गया हो।

कपड़े के उत्पादन पर नियन्त्रण

***१४३. श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े पर से उत्पादन नियन्त्रण हटाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) क्या इस विषय में सूती वस्त्र नियन्त्रण समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्, सरकार बराबर इस प्रश्न की जांच कर रही है।

(ख) तथा (ग)। सूती वस्त्र तथा कपास नियन्त्रण समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार को धीरे-धीरे इन नियन्त्रण उपायों को ढीला कर देना चाहिये। सरकार की नीति जहां कहीं वांछनीय होगा ऐसे नियन्त्रणों को ढीला कर देने तथा हटा देने की है।

श्री एस० एन० दास : इस समय किस प्रकार का नियन्त्रण चल रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रचलित उत्पादन नियन्त्रण उपाय कपड़े के निर्माण में ताने-बाने तथा रीडों व पिकों के बीच कम से कम दूरी को बनाये रखने के लिये है जिससे मिलों द्वारा मज़बूत कपड़ा तैयार किया जा सके। नियन्त्रण रंगीन सूत की बनी हुई साड़ियों के उत्पादन पर भी लागू है। मिलें एक-चौथाई इंच से अधिक चौड़े किनारे वाली धोतियां नहीं तैयार कर सकती हैं। अप्रैल १९५१ से मार्च १९५२ तक मिलों द्वारा धोतियों का

उत्पादन उनके कुल उत्पादन का ६० प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। कपड़े की कुछ किस्में पूर्णरूपेण हथकरघे तथा अन्य छोटी इकाइयों के लिये रक्षित कर दी गई हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या सूती वस्त्र नियन्त्रण समिति द्वारा जिन महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है उसमें इन नियन्त्रणों को हटा देना भी सम्मिलित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहता हूं।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या नियन्त्रण हटा देने से हथकरघा उद्योग पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विनियन्त्रण की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है।

चाय

*१४४. **श्री बर्मन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में कितनी चाय भारत में बिना किसी विक्रय के सौदे के प्रत्यक्ष रूप से लन्दन मंडी में भेज दी गई थी।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : लगभग २२७० लाख पौंड।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य है कि कलकत्ता में गोदामों की कमी के कारण इतनी चाय को नीलाम के लिए सीधा लन्दन भेजना पड़ता है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न पर सरकार ने हाल में विचार किया है। १९४९ में हमने एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी। एक कठिनाई यह थी जो मेरे मित्र ने बतलाई है। दूसरी कठिनाई दलालों और क्रेताओं की संस्थाओं के काम के लिए प्रवीण कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य नहीं है कि दिसम्बर १९४८ में कलकत्ता में, वाणिज्य सचिव श्री चेतूर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन की यह राय थी कि कलकत्ता को विश्व चाय केन्द्र बनाने के लिए वहां पर्याप्त गोदाम बनाने चाहिएं और इस प्रयोजन के लिए संकल्प पारित किये गये थे। उसके बाद सरकार ने क्या किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह प्राथमिकताएं निश्चित करने का प्रश्न है अर्थात् क्या हमें गोदाम बनाने चाहिएं या नीलाम भारत तक ही सीमित रखने की योजना शुरू करनी चाहिए। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, वह ठीक है किन्तु हम सदा उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जितनी हम चाहते हैं।

श्री के० के० बसु : लन्दन को निर्यात की गई चाय में से कितनी यूरोपीय मंडी को पुनः निर्यात की गई थी और इसका मूल्य क्या था ?

श्री करमरकर : मुझे इसकी पूर्व-सूचना चाहिए। १९५३ में ब्रिटेन को कुल ३४१२·६ लाख पौंड चाय निर्यात की गई थी।

नेपाल में सरकारी अधिकारी

*१४५. **सेठ गोबिन्द दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी अधिकारियों की सेवाएं नैपाल सरकार को उधार दी गई हैं; और

(ख) नैपाल स्थित भारतीय दूतावास में जून १९५४ में कितने भारतीय काम कर रहे थे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) इस समय कोई भारतीय अधिकारी नेपाल सरकार के पास प्रति-नियुक्त नहीं है। भारतीय टैक्निकल सहायता मिशन

के निदेशालय में जो कि कोलम्बो योजना के अधीन नेपाल में स्थापित किया गया है, इस समय ६ पदाधिकारी और ३ कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ख) जून १९५४ में नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में ६० भारतीय काम कर रहे थे।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सत्य है कि इससे पहले कुछ पदाधिकारियों की सेवाएं नेपाल सरकार को उधार दी गई थीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान्।

सेठ गोविन्द दास : क्या उनके वेतन भारत सरकार देती थी या नेपाल सरकार ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन के वेतन और कुछ भत्ते सब नेपाल सरकार देती थी।

अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

*१४७. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कोई प्रस्ताव द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

कपड़ा उद्योग का वैज्ञानिकरण

*१४८. **श्री एस० सी० सिंघल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी प्रकार से कपड़ा उद्योग के वैज्ञानिकरण की अनुमति दी है;

(ख) और कितनी मिलों ने तीन पालियों में काम करना शरू कर दिया है; और

(ग) क्या फालतू उत्पादन निर्यात किया जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वैज्ञानिकरण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) मैं "और" शब्द का मतलब नहीं समझा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मई १९५४ में १७२ मिलों में तीन पालियों में काम हो रहा था।

(ग) साधारणतया जो कुछ निर्यात किया जाता है, वह आन्तरिक आवश्यकताओं से अधिक होता है।

श्री एस० सी० सिंघल : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मिलों का नवीकरण किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नवीकरण अनेक भिन्न भिन्न बातों पर निर्भर करता है। कुछ छोटे क्षेत्रों में यह हो सकता है। यह कातने के क्षेत्र में हो सकता है जिसमें कुछ क्रिया की जरूरत नहीं होती। जैसे, जिसे 'बहुत बढ़िया कातने की प्रणाली' कहते हैं, उसका प्रयोग जब तक नवीकरण के प्रकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष मिल के सम्बन्ध में विशेष प्रश्न न पूछे जायं, मैं तब तक इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं।

श्री एस० सी० सिंघल : इससे मजदूरों के रोजगार पर कैसा प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तक मैंने उनके किसी गम्भीर विस्थापन की फरियाद नहीं सुनी है।

श्री टी० एन० सिंह : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर का निर्देश करते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि स्वयं-चालित मशीनरी का आयात किया गया है

और इनमें से कुछ मिलों की पूंजी बढ़ाने के प्रयोग किए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह प्रश्न स्वयं ही पैदा होता है । जहां तक कारखानों में पूंजी बढ़ाने का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि कोई विशेष प्रयोग हुआ है। यदि पूर्व सूचना दी जाय तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

जहां तक आयात का प्रश्न है, वे नियंत्रित हैं किन्तु यह भी बतला देना जरूरी है कि इस देश में कपड़ा बुनने की मशीनरी काफी बनाई जाती है । जैसा मैंने कहा है, कातने के बहुत बढ़िया फ्रेमों का आयात, जिनके कारण कातने से पहले की दो क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती, युक्तियुक्त आधार पर आदिष्ट है । अभी हम स्वयं-चालित करघों के आयात का आदेश नहीं दे रहे हैं। वह केवल श्रम-विस्थापन के कारण ही नहीं, अपितु दो तीन कारणों पर आधारित है । यह प्रश्न करघा-उद्योग विस्थापन से भी सम्बन्धित है ।

श्री के० के० बसू : अभी तक किये गए नवीकरण के परिणामस्वरूप, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिगज वस्त्रोत्पादन के मूल्य में क्या कमी हुई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मुझे स्पष्ट बतलाएं कि नवीकरण की कौन-सी विशेष क्रिया से उत्पादन-मूल्य कम हुआ है तो मैं उत्तर दे सकता हूं । जैसा मैंने कहा है, यह एक स्वतः उत्पन्न प्रश्न है । मिल में नवीकरण की अनेक क्रियाएं हैं । किसी विशेष प्रश्न के बिना मैं नहीं कह सकता कि कौन-सी विशेष-क्रिया के कारण उत्पादन-मूल्य कम होता है ।

सामुदायिक परियोजना

*१४९. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजना के विकास के हेतु सन् १९५३–५४ में राज्य सरकारों को कुल कितना अनुदान दिया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : ऋण तथा सहायक अनुदान के रूप में भाग (क) और (ख) राज्यों को निम्नलिखित प्रकार से ३,६४,८६,००० रुपये दिए गए :—

	रुपये
ऋण	१,९१,३९,०००
अनुदान	१,७३,४७,०००

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह कहने की स्थिति में है कि क्या राज्य सरकारें, अन्त में, इन परियोजनाओं की लागत का भार स्वयं उठाने की तैयारी कर रही हैं ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार कुछ ऋण तथा कुछ अनुदान देती है । शेष भार राज्यों के ऊपर रहता है । प्रत्येक सामुदायिक परियोजना के लिये हम लगभग ६१ लाख रुपये दे रहे हैं, विकास खण्ड के लिये १५ लाख रुपये तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड के लिये ७½ लाख रुपये । इसके अतिरिक्त कुछ ऋण वाले और ऋण-हीन विषय हैं । ऋण के विषय में राज्यों को ऋण दिये जाते हैं और अन्य मदों का खर्च राज्य भी उठायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह बात जानना चाहते हैं कि ये ऋण वसूल किये जाने योग्य हैं या नहीं ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् यही जानना चाहता हूं ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि तीन वर्ष के परिनियत समय के उपरान्त राज्य इन परियोजनाओं के सम्पूर्ण भार को उठा सकेंगे या नहीं ?

श्री हाथी : बात यह है कि केन्द्र तो अनुदान दे रहा है । वार्तिक व्यय में भी हम कुछ अनुदान और कुछ ऋण दे रहे हैं । अतः यह

आशा की जाती है कि वे भार-वहन कर सकेंगे।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३–५४ में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री हाथी : अभी तक लगभग ६ करोड़ रुपया व्यय हुआ है।

श्री दाभी : क्या मैं ऋण तथा अनुदान के आंकड़े, राज्यवार, जान सकता हूं ?

श्री हाथी : मेरे पास आंकड़े हैं किन्तु उन्हें पढ़ने में बड़ा समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे चाहें तो उन्हें पटल पर रख सकते हैं।

श्री हाथी : हां श्रीमान्।

कोयला

***१५०. श्री जेठालाल जोशी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को यह पता है कि सौराष्ट्र को कोयले की रसद वहां की खपत की आवश्यकता से कम दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां।

(ख) सौराष्ट्र-सेवी जंक्शनों—मुख्यत: वीरमगांव और साबरमती—के मार्ग से सीमित परिवहन-सामर्थ्य के कारण।

श्री जेठालाल जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५३–५४ में सौराष्ट्र को असैनिक तथा औद्योगिक खपत के लिये कितना कितना कोयला भेजा गया था ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं सन् १९५२–५३ के आंकड़े तथा सन् १९५४ के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के आंकड़े बता सकता हूं, जो इस प्रकार हैं आंकड़े भिन्न-भिन्न मदों पर आवंटित कुल खपत के सम्बन्ध में हैं। सन् १९५२ के लिये १४४३·८५ वैगन नियत किये गये थे किन्तु वास्तव में ९६४·४६ भेजे गए। १९५३ में १६०२·०४ वैगन औसतन प्रति मास नियत किये गये थे, और वास्तव में १००१·९ वैगन ही भेजे गये थे। इसके बाद सन् १९५४ में, जनवरी में १८१०·५१ वैगन नियत किये गए किन्तु ९३१ वैगन भेजे गए; इत्यादि।

श्री जेठालाल जोशी : यह कहा गया है कि वैगनों की कमी है और इंजिनों की भी कमी है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : इसमें अनेक बातें हैं। बिहार और बंगाल से सौराष्ट्र के लिये परिवहित कोयला आगरा ईस्ट बैंक तथा वीरमगांव और साबरमती के मार्ग से जाता है और मध्य-प्रदेश कोयला क्षेत्रों से उज्जैन तथा वीरमगांव और साबरमती के मार्ग से जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में सरकार का ध्यान इनमें से कुछ मामलों की ओर आकर्षित हो रहा है। रेलवे मंत्रालय ने पहले ही कुछ सामयिक प्रबन्ध किया है। उदाहरण के लिये, उन्होंने निरन्तर तीन महीने के लिये कोयले का एक जहाज़ प्रतिमास सौराष्ट्र भेजने का निश्चय किया है जिससे आगरा ईस्ट बैंक के मार्ग से रेलवे का यह भार कुछ अंश तक कम हो जाय और सौराष्ट्र को कोयला भेजने के लिये कुछ वैगनों का उपयोग किया जा सके। दूसरा कदम हमने यह सुझाया है कि मध्यप्रदेश के पेंच क्षेत्रों से कोयले के कम वैगन भेजे जायं। तीसरा यह है कि हम रेलवे मंत्रालय से निवेदन कर रहे हैं कि रात की पाली में यदि आगरा ईस्ट बैंक से मार्ग से सेवा को बढ़ाया जा सके तो अच्छा होगा ये ही थोड़े उपाय हैं जिनका सुझाव शीघ्र दिया गया है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

*१५१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन तथा युक्तिनिर्मित विभागों में कार्य का पुनर्वितरण करने का निर्णय किया है या नहीं; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय लागू हुआ या नहीं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख)। हाल ही में क्षेत्रीय विभागों में युक्ति निर्मित विभागों के आधार पर कार्य का कुछ आन्तरिक पुनर्वितरण किया गया है। प्रबन्ध विभाग में भी ऐसा ही पुनर्वितरण प्रस्तावित है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय में इस पुनर्गठन का उद्देश्य क्या है और वर्तमान व्यवस्था में क्या कोई कठिनाइयां हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मंत्रालय में नवीकरण ही इसका कारण है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पुनर्गठन से कम खर्च होगा या अधिक ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि कोई मितव्ययता सम्भव नहीं है, क्योंकि मंत्रालय का कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि अभी वैदेशिक कार्य मंत्रालय में युक्तिहीन ढंग से निर्मित्त विभागों में कार्य वितरित किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब हम अगला प्रश्न लेंगे।

पांडिचेरी में भारतीय महा-वणिज्यदूत

*१५२. **पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि फ्रांसीसी प्राधिकारियों की अनुमति से पांडीचेरी स्थित भारतीय महा-वाणिज्यदूत को ३ जून, १९५४ को गालियां दी गईं;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य-दूतावास के एक सदस्य पर २ अप्रैल, १९५४ को हमला भी किया गया; तथा

(ग) भारत म फ्रांसीसी प्रदेशों में ऐसी घटनायें कितनी बार हो चुकी हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पांडिचेरी स्थित भारतीय महावाणिज्यदूत पर, अखबारों तथा पत्रिकाओं द्वारा पर्याप्त कीचड़ उछाली गई है। पांडिचेरी में लागू विनियमों के अनुसार इस प्रकार की पत्रिकाओं का प्राधिकारियों की जानकारी के बिना प्रकाशन नहीं हो सकता।

३ जून, १९५४ को सायंकाल में भारतीय वाणिज्यदूतावास की लाइब्रेरी के सामने खड़े होकर तीन व्यक्ति भारतीय महा-वाणिज्यदूत तथा वहां के कर्मचारियों को चिल्ला चिल्ला कर गालियां देते रहे।

(ख) २ अप्रैल को वाणिज्यदूतावास का एक कर्मचारी जो लाइब्रेरी में घुस रहा था गुण्डों द्वारा मारा गया।

(ग) हाल ही के कुछ महीनों में इस प्रकार की छः घटनायें हो चुकी हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या फ्रेंच अधिकारियों ने कभी इसके लिए क्षमा याचना की ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इसके निस्बत तो कितनी ही खतोकिताबत हुई है। कभी की है कभी नहीं की है। बहरसूरत उनके

जो बड़े अफसर थे वह उस मुकाम को छोड़ कर बाहर चले गए।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कुछ सरकारी या व्यक्तिगत सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं।

अखिल भारतीय हस्त शिल्प प्रदर्शनी

***१५३. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) निकट भविष्य में विदेशी विक्रेताओं के लिए सरकार अखिल भारतीय हस्त-शिल्प प्रदर्शिनी का आयोजन कर रही है;

(ख) अनुमानतः इस प्रस्तावित प्रदर्शिनी पर कितना व्यय होगा; तथा

(ग) इसमें भाग लेने के लिए कितने देश आमन्त्रित किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामवासियों को आवास की सुविधायें

***१५४. चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार देहातों में गृह निर्माण के लिए आर्थिक तथा अन्य कोई सहायता देना चाहती है।

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार दी जायगी; तथा

(ग) क्या सरकार अपनी योजना में इसको, दूसरा स्थान देना चाहती है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख)। सरकार, राज्य सरकारों को देहाती घरों के नमूने की योजनायें, नक़शे और अन्य जानकारी देकर, टेकनीकल सहायता दे रही है। सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में राज्य सरकारों की मार्फत ऋणों के रूप में भी सहायता दी जा रही है जो मूलतः खेतिहर मज़दूरों और भूमिहीन मज़दूरों के लिए घर बनाने तथा उनके घरों के नवीकरण के लिए है।

(ग) यह समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य का इशारा किस ओर है। फिर भी, सामुदायिक परियोजना प्रशासन के कार्यक्रम में ग्रामीण आवास को स्वीकृत मदों में रखा गया है।

चौ० रघुबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गृह-निर्माण के लिए एक व्यक्ति को कितनी न्यूनतम सहायता दी जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ऋण के रूप में सहायता की सीमा ७५० रुपये रखी गई है।

श्री हेडा : ग्रामीण आवास के निर्माण हेतु, सामदायिक परियोजना क्षेत्रों में इस समय तक कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसके उत्तर के लिए मझे पूर्व सूचना चाहिए क्योंकि इसकी गणना करनी होगी।

सेठ गोविन्द दास : अभी तक जो सहायता इस प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों को दी गयी है उनसे भारत सरकार के पास क्या रिपोर्टें आती हैं और उनसे कुछ पता चलता है कि यह काम अभी तक कितनी दूर तक बढ़ गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां। कुछ सूचना प्राप्य है, हालांकि वह ब्यौरेवार नहीं है। अक्तूबर १९५२ से मार्च १९५४ तक लगभग ९०,००० गृहों का निर्माण तथा नवीकरण हो चुका है।

चौ० रघुबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने प्रत्येक ग्राम का नकशा खींचने का कार्य प्रारम्भ किया है ?

सरदा रत्वर्ण सिंह : राजस्व अभिलेखों के अंग के रूप में कुछ राज्यों में इस प्रकार के कुछ नक़शे प्राप्य हैं । उनके अलावा प्रत्येक ग्राम के नक़शे खींचने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

विदेशी बस्तियों से भारत में आये आप्रवासी

***१५५. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली प्रदेशों से भारत में आने वाले, आप्रवासियों की संख्या क्या है;

(ख) अपने पुनर्वास के लिए क्या उन्होंने सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) सही आंकड़े प्राप्य नहीं हैं । परन्तु सूचना के अनुसार पिछले मास में फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली प्रदेशों से बहुत व्यक्ति भारत में आए हैं ।

(ख) जी नहीं । परन्तु राज्य सरकारें उपयुक्त कार्य कर रही हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों ने क्या उपाय किए हैं, इसकी कोई सूचना सरकार को है ?

श्री सादत अली खान : केन्द्रीय अन्तः शुल्क समाहर्त्ता, बड़ौदा को आदेश दिए गए हैं कि वह शरणार्थियों के व्यक्तिगत, घरेलू सामान लाने पर कोई प्रतिबन्ध न लगाये; हां, केवल इस बात का ध्यान रखे कि वह सामान उनके घर में काम आने वाला हो ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से इस बात की कोई सूचना मिली है कि कितने व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है ?

श्री सादत अली खान : इस समय यह केवल प्रादेशिक समस्या है । बम्बई तथा सौराष्ट्र की सरकारें इस पर कार्य कर रही हैं । हमें किसी व्यक्ति से उसकी पुनर्वास सम्बन्धी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

रंगाई का सामान

***१५६. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रंगाई का सामान बनाने वाली कितनी औद्योगिक संस्थायें पंजीबद्ध हुई हैं ;

(ख) उनमें से चालु कितनी हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ग) १९५३–५४ में उनका कुल कितना उत्पादन था; तथा

(घ) उपरोक्त भाग (क) संस्थाओं में से कितनी (१) भारतीय संस्थायें (२) विदेशी संस्थायें तथा (३) अन्य संस्थायें हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तीन

(ख) तीनों में उत्पादन हो रहा है, तथा पारनेरा (सूरत) भाटघर (पूना) तथा दिल्ली में स्थित हैं ।

(ग) १,९३२,४३० पौंड ।

(घ) तीनों भारतीय सार्थ हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५३–५४ में कितना रंग आयात हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आयात १५,६८४,३५० पौंड था ।

श्री के० सी० सोधिया : अब किन किस्मों का निर्माण हो रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे कई प्रकार की हैं जैसे, तेज़ाबी रंग, पक्का रंग लगाने के नमक, रैपिटोजन, सल्फ़र ब्लैक आदि ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्माताओं में से एक ने किसी विदेशी संस्था का भागीदार बनने के लिए, भारत सरकार की अनुमति मांगी थी, तथा यदि हां, तो भारत सरकार का इस विषय में क्या निर्णय रहा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कई ने अनुमति मांगी थी। हमारा ध्येय तो विदेशी संस्थाओं को भागीदार बना कर अथवा न बना कर किसी भी प्रकार रंगों का उत्पादन बढ़ाना ही है ।

श्री जोकीम आल्वा : भारतीय संस्थाओं के साथ, विदेशी संस्थाओं को ४९ प्रतिशत अनुपात में रखने के आदेश देने में, सरकार उन ५१ प्रतिशत अंशधारियों की सूची की भली प्रकार जांच करती है; जिससे ४९ प्रतिशत विदेशी पूंजी नियोजक, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, दूसरी ओर केवल चुप बैठने वाले भागीदारों को ही न भर लें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न तो एक भ्रामक तर्क पर आधारित है. अतः मैं इस प्रश्न का आधार ही स्वीकार नहीं करता ।

चीन के प्रधान मंत्री के साथ चर्चा

*१५७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** हाल ही में उनके और श्री चाउ-एन-लाई के बीच नई दिल्ली में हुई वार्ता के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : श्री चाउ-एन-लाई के साथ हुई वार्ता गुप्त है और इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विस्तृत वक्तव्य देने की रीति नहीं है । उस समय प्रेस को जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में चर्चागत विषय और उनके निष्कर्षों की ओर व्यापक संकेत किया गया है । इन विषयों में विदेशी मामलों का लगभग समूचा क्षेत्र सम्मिलित है और सदन में विदेशी मामलों पर वाद-विवाद करते समय निस्संदेह ही उनकी ओर निर्देश किया जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री ने कह दिया है कि वार्ता गुप्त है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता, तो मैं नहीं समझता कि उसमें आगे प्रश्न पूछने की कौन सी गुंजाइश है । उन्होंने दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा जारी किये गये वक्तव्य का निर्देश कर दिया है और मैं नहीं समझता कि वह इससे अधिक जानकारी दे सकते हैं ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियां

*१५८. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में फ्रांसीसी और पुर्तगाली प्रदेशों में स्वतन्त्रता संघर्ष के सम्बन्ध में अभी तक मारे गये, घायल हुए और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सज़ा भुगतने वाले व्यक्तियों के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सही सही संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राप्त समाचारों के अनुसार पुर्तगाल पुलिस द्वारा निःशस्त्र सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के परिणामस्वरूप एक आदमी की मृत्यु हुई और १२ घायल हो गये । पुर्तगाली बस्तियों में वृहद् संख्या में लोग गिरफ्तार भी किये गये हैं ।

फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में, वर्तमान मुक्ति-आन्दोलन के सिलसिले में ३ व्यक्तियों के मारे जाने और पुलिस द्वारा लगभग १,००० व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). गोआ स्थित हमारे महावाणिज्य दूत ने, जिसके एक प्रतिनिधि को हाल ही में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के पहले जत्थे से इंटरव्यू करने की अनुमति दी गई थी, उस अस्वस्थ वातावरण का समाचार दिया है, जिनमें नज़रबन्दों को रखा जाता है। पुर्तगाली पुलिस द्वारा कुछ नज़रबन्दों को पीटने के समाचार भी मिले हैं। फ्रांसीसी बस्तियों में नज़रबन्दों के साथ किये जाने वाले असन्तोषजनक व्यवहार के सम्बन्ध में भी समय समय पर समाचार प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार ने पुर्तगाल और फ्रांसीसी सरकार से नज़रबन्दों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार के विसद्ध विरोध प्रदर्शित किया है और उनसे उचित व्यवहार के आश्वासन की मांग की है।

श्री राधा रमण : मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों प्रदेशों से मृत्यु और गिरफ्तारी के अतिरिक्त क्या भारत सरकार को सम्पत्ति ज़ब्त करने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उक्त समाचार किस प्रकार के हैं?

श्री अनिल के० चन्दा : सम्पत्ति ज़ब्त करने के समाचारों के सम्बन्ध में मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूं लेकिन इन दोनों बस्तियों के अधिकारियों द्वारा सामान्यतया आतंकित करने की नीति अपनाई जा रही है।

श्री राधा रमण : माननीय मंत्री द्वारा अभी अभी जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कितने भारत के नागरिक हैं?

श्री अनिल के० चन्दा : इनमें से सभी गोआ के पुर्तगाली प्रदेश अथवा पांडिचेरी के आसपास फ्रांसीसी प्रदेश के नागरिक होंगे।

श्री बोगावत : क्या यह सच है कि १६ अगस्त को सशस्त्र पुर्तगाली अधिकारियों ने अहिंसक सत्याग्रहियों पर गोली चलाई जिनमें अनेक घायल हुए और एक की मृत्यु हो गई।

श्री अनिल के० चन्दा : हमने इस आशय की रिपोर्ट देखी है।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा कि पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती में लगभग १,००० व्यक्ति गिरफ्तार हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनमें से किसी को रिहा कर दिया गया है और यदि हां, तो कितने रिहा किये गये हैं?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

पहाड़ी नगरों में निष्क्रान्त व्यक्तियों के मकानों की बांट

*१५९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापितों के जांच किये गये दावों को निपटाने के लिये पहाड़ी नगरों में मकान देने की जो योजना सरकार ने बनाई है उसके अन्तर्गत कितने विस्थापित व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं;

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक आयुक्त के पास ऐसे कितने प्रार्थनापत्र आए हैं और एसे पहाड़ी नगरों के नाम क्या है; और

(ग) इन मकानों का अनुमानित मूल्य क्या है?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) १,२७२।

(ख) पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो मकान है उनकी कीमत एस्टिमेट करने का क्या तरीका अपनाया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जो हमारे स्पेशल आफिसर्स हैं वह जाकर एस्टिमेट तैयार करते हैं। यह जो मकान हैं वह दो किस्म के बनाये गये हैं। एक एकटेगरी के हैं, जिनकी कीमत ५,००० रूपये से ऊपर है और वह टन्डर्स से दिये जायेंगे। दूसरे वह हैं जो ५,००० रुपये से नीचे के हैं, वह डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को और लोकल्स को भी एलाटमेंट से दिये जायेंगे।

श्री नवल प्रभाकर : मेरे प्रश्न का मतलब यह था कि जैसे मान लीजिये कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कुछ मकान धर्मपुर में हैं और कुछ शिमला में हैं। जो मकान धर्मपुर में हैं उनकी कीमत उतनी नहीं हो सकती जितनी उनकी जो कि शिमला में हैं, तो इन मकानों की कीमत का अन्दाज़ा लगाने का ढंग क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : आम तौर से कीमत लगाने का जो ढंग होता है यानी वह बाजार में कितने का बिक सकता है, क्या उसकी हालत है, कितने रुपये उसके बनाने पर खर्च हुये होंगे। यह काम स्पेशलाइज्ड स्टाफ ही करता है और वह तमाम चीजों पर गौर करने के बाद कीमत मुकर्रर करता है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नीलाम किये जाने वाले मकान हैं उनके लिये विस्थापित लोगों को ही बोली बोलने का हक होगा या वहां के लोकल आदमियों को भी होगा।

श्री जे० के० भोंसले : पहले तो जो हमारे मकानों में हैं और वह डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनको दिये जायेंगे। उसके बाद बाकी के लोगों को दिये जायेंगे।

श्री ए० पी० जैन : मैं इतना और निवेदन कर दूं कि जिन मकानों के अन्दर रिफ्यूजीज बैठे हैं उनको नीलाम करने का हमारा इरादा नहीं है। उन मकानों में जो रिफ्यूजी बैठे हुए हैं उन्हीं को हम मनासिब कीमत पर दे देंगे। अगर उसका क्लेम है तो उसकी कीमत को उसमें लगा देंगे अगर नहीं है तो उसकी कीमत वाजिब किश्तों में वसूल करेंगे।

दीव में नीग्रो सनिक-दल

***१६०. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या २७ जून, १९५४ के 'इंडियन नेशन' के अंक में "दीव में ४०० नीग्रो सैनिक लाय गये" शीर्षक वाले समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) भारत सरकार को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में दीव में सशस्त्र सेना की आशातीत वृद्धि कर दी गई है। दीव में सैनिकों की संख्या ४५० के आस-पास है, इनमें से अधिकांश अफ्रीकी हैं।

(ख) सरकार समस्या के प्रति पूर्ण सजग है, और भारतीय हितों की रक्षा के लिये सम्पूर्ण उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री भागवत झा आज़ाद : श्रीमान् मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त सैनिक हमारे प्रदेश में से निकल कर गये थे, और यदि हां, तो भारत सरकार ने भारत की विदेशी बस्तियों के स्वतन्त्रता आन्दोलन को कुचलने के लिये इन सैनिकों को अपने प्रदेश में से होकर क्यों जाने दिया।

श्री सादत अली खां : सैनिक हमारे प्रदेश से नहीं गुजरे थे।

श्री भागवत झा आजाद : इस विदेशी बस्ती में प्रवेश करने के लिये भारतीय प्रदेश को छोड़ कर और कौन सा मार्ग है ?

श्री सादत अली खान : यह भूगोल का विषय है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि यह सैनिक पुर्तगाली अफ्रीका से आये हैं, अथवा ब्रिटिश अफ्रीका, बेल्जियम अफ्रीका या दूसरे प्रदेशों से भरती किये गये हैं ?

श्री सादत अली खान : इस सम्बन्ध में हमारे पास जानकारी नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह सैनिक स्वतन्त्रता संग्राम के स्वयं सेवकों को मारने और आतंकित करने में लीन हैं ?

श्री सादत अली खान : सैनिक वही कर रहे हैं जो सामान्यतया उनका काम है ।

मैसूर रेडियो स्टेशन

*१६१. **श्री तिम्मय्या** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसूर रेडियो स्टेशन को बंगलौर स्थानान्तरित करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् । बंगलौर में नवीन प्रसारण स्टेशन के उद्घाटन के पश्चात् ही उक्त निर्णय कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ख) मैसूर स्टेशन को स्थानान्तरित करने के निम्न कारण हैं :—

(१) भारत में प्रसारण का विकास करने की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना के अधीन बंगलौर में एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर (५० किलोवाट मध्यतरंग) स्थापित करने का विचार किया गया है । इसके साथ में नवीन स्टूडियो और एक रिसीविंग केन्द्र भी रहेंगे ।

(२) कार्यक्रमों के लिये मैसूर की अपेक्षा बंगलौर अधिक प्रभावशाली केन्द्र है ।

श्री तिम्मय्या : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैसूर से रेडियो स्टेशन स्थानान्तरित न करने के लिये क्या मसूर नगरपालिका की ओर से कोई प्रतिनिधान किया गया है ?

डा० केसकर : हां, श्रीमान् । यद्यपि मैसूर नगरपालिका से मुझे पूरी सहानुभूति है, मैसूर और बंगलौर दोनों स्थानों पर स्टेशन का संचालन हमारे लिये सम्भव नहीं है । सभी दृष्टियों से, विभिन्न लोगों से मंत्रणा करने के पश्चात हमें बंगलौर ही अधिक उपयुक्त केन्द्र मालूम हुआ । मैसूर से इसे हटाने के लिये हमें बड़ा खेद है, किन्तु हमारे लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया है ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को मालूम है कि यदि स्टेशन को बंगलौर स्थानान्तरित कर दिया गया तो मैसूर के अनेक कलाकारों को हानि उठानी पड़ेगी ?

डा० केसकर : किसी कलाकार को हानि नहीं होगी । इसके विपरीत, मैसूर के कलाकारों को बंगलौर जाने के लिये यात्रा-भत्ता मिलेगा ।

ड्यू में हवाई अड्डा

*१६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली अधिकारी ड्यू द्वीप में हवाई अड्डा बना रहे हैं;

(ख) क्या यह हवाई अड्डा सैनिक तथा असैनिक उड्डयन के प्रयोजनों के लिये बनाया जा रहा है; तथा

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख), कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह पता चला है कि पुर्तगाली अधिकारियों ने ड्यू के हवाई अड्डे की मरम्मत करना आरम्भ कर दिया है । भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि इसे सैनिकों के परिवहन के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जान सकता हूं कि ऐरोड्रम (हवाई अड्डे) में जिस इक्विपमेंट का उपयोग हो रहा है, वह अंग्रेजी इक्विपमेंट है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या अंग्रेजी सरकार में और पुर्तगाल की सरकार में कोई ऐसी सन्धि हुई थी कि भारत में सैनिक उपयोग के सम्बन्ध में अगर कोई कार्यवाही होगी तो अंग्रेजी सरकार को उसकी इन्फ़ार्मेशन (सूचना) दी जायगी, क्या इस तरह की कोई इन्फ़ार्मेशन हिन्दुस्तान की सरकार को दी गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

भारत में फ़्रांसीसी बस्तियां

*१६५. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के भविष्य के बारे में बातचीत को पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई नई प्रार्थना प्राप्त हुई है; तथा

(ख) यदि हां, क्या इसमें कोई नये सुझाव रखे गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) फ्रांस की सरकार ने भारत सरकार के पास भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के प्रश्न को हल करने के लिये कुछ प्रस्थापनायें की हैं । इन्हीं प्रस्थापनाओं के आधार पर दिल्ली स्थित फ्रांसीसी राजदूत तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के मध्य बातचीत चल रही है । इस बातचीत के गोपनीय होने की बात को ध्यान में रखते हुए इस समय कोई वक्तव्य देना लोक हित के विरुद्ध होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : श्री पिल्ले ने, जो एक फ्रांसीसी बस्ती के मेयर हैं, उक्त सरकार से सलाह करके फ्रांस के पशचात्, एक वक्तव्य दिया था कि फ्रांस की सरकार इन बस्तियों को जनमत संग्रह के बिना ही भारत को हस्तान्तरित करने के एक सुझाव पर विचार कर रही थी । क्या कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैंने अभी ही निवेदन किया है कि फ्रांसीसी अधिकारियों तक हमारे मध्य कुछ बात चीत चल रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : श्री पिल्ले ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री कोई जानकारी देने को तैयार नहीं हैं । उन्होंने कहा है कि गोपनीय है । अतः इस सम्बन्ध में अग्रेतर प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं है ।

स्थानीय विकास कार्यक्रम

*१६६. **श्री के० के० बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिये पश्चिमी बंगाल को स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिये आवंटित धन की कुल मात्रा ;

(ख) विषयों के वह वर्ग जिन पर यह रक़में व्यय की गईं;

(ग) क्या इस मंजूर की गई राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था, और यदि नहीं, तो व्यय की गई राशि की मात्रा ;

(घ) किस की सिफारिश पर यह योजनायें प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत की गई थीं; तथा

(ङ) वह मशीनरी जिसके द्वारा इन अनुमोदित योजनाओं के कार्यकरण की जांच की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

श्री क० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि १९५३-५४ में इस योजना के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये लगभग ३·७० लाख रुपये के अनुदान के उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : केन्द्रीय अनुदान के १७·४० लाख रुपये में से ६·८० लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। शेष रुपया स्थानीय चन्दे से एकत्रित किया गया था।

श्री क० क० बसु : इस रक़म के उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं।

श्री हाथी : सरकार ने इस के इस वर्ष व्यय किये जाने का अधिकार दिया है।

श्री के० के० बसु: क्या इस धन के उपयोग में न लाये जाने का कारण यह है कि इस योजना के सम्बन्ध में लोगों में प्रचार बहुत देर से किया गया था, अर्थात् उस समय किया गया जबकि अन्तिम तिथि निकट आ गई थी और यह कहा गया था कि यदि योजनायें समय पर प्रस्तुत न की गईं तो रुपया व्ययगत हो जायेगा ?

श्री हाथी : योजना का उद्घाटन जून १९५३ के आसपास किया गया था। दूसरी बात यह थी कि आरम्भिक अवस्थाओं में तमाम योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेजी जाती थीं। यहां पर उनकी जांच की गई और उन्हें राज्यों में वापिस कर दिया गया। इससे कुछ थोड़ा विलम्ब हुआ। अब हमने इस प्रक्रिया का पुनरीक्षण कर दिया है और राज्य सरकारों को योजनाओं के मंजूर करने के लिये अधिकृत कर दिया है।

श्री के० के० बसु : उनकी अपनी ज़िम्मेदारी पर ?

श्री हाथी : जी हां।

श्री के० के० बसु : भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में विवरण में यह कहा गया है, कि इस विषय पर संसद् सदस्यों, विधान मंडल तथा राज्य सभाओं के सदस्यों की सलाह ली जाती है। परन्तु क्या सरकार को विदित है कि कई विभागों में इस प्रणाली का अनुसरण नहीं किया जाता है, विशेषतया जबकि उन स्थानों के प्रतिनिधि विरोधी दलों से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री हाथी : हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हमारी इच्छा इस प्रणाली का अनुसरण करने की है।

आकाशवाणी

***१६७. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी में १९५३-५४ में विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये, पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या; तथा

(ख) पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति ?

सचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख) नौकरी के प्रयोजनों के लिये भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं रखी जाती है। यह प्रश्न कि कौन से वर्गों को (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त) "पिछड़े हुए वर्ग" समझा जायें, तथा उनकी पिछड़ी हुई अवस्था सुधारने के लिये उन्हें क्या क्या रियायतें दी जाये, इस समय पिछड़े वर्ग आयोग के विचाराधीन हैं, जिसे भारत सरकार ने स्थापित किया है। इसलिये जब तक कि इस आयोग की सिफारिशें उपलब्ध नहीं हो जाती हैं तथा उन पर कोई निर्णय नहीं कर लिया जाता है माननीय सदस्य को उस समय तक यह जानकारी देना सम्भव नहीं होगा।

श्री रिशांग किशिंग : क्या पहले कभी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों अथवा पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई प्रयत्न किया है ?

डा० कसकर : मैं सारे महकमों की ओर से बता नहीं सकूंगा; मेरा सम्बन्ध केवल अपने महकमे से ही है। पिछड़े वर्गों का प्रश्न अनुसूचित जातियों के प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं आकाशवाणी रेडियो में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर समझा नहीं है। पहले तो यह व्याख्या देनी आवश्यक है कि "पिछड़े वर्ग" से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति कौन से हैं, और यह स्पष्टीकरण केवल आयोग का प्रतिवेदन आने पर ही हो सकता है। कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को पिछड़े वर्ग कह दिया जाता है, परन्तु प्रतिवेदन के आने से पूर्व हमारे लिये यह कहना कि अमुक व्यक्ति पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखता है, सम्भव नहीं है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार की नीति आकाशवाणी में पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने की है ?

डा० केसकर : पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को केवल आकाशवाणी में ही नहीं, बल्कि सारे महकमों में नियुक्त करने की सरकार की नीति है। परन्तु वास्तविक प्रश्न तो यह है; "पिछड़े हुए" कौन से हैं ?

श्री केलप्पन : भारत सरकार द्वारा दी गई अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूची में पिछड़े वर्गों के नाम भी दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध अनुसूचित जातियों से नहीं है।

श्री केलप्पन : सूची की एक उपशाखा में पिछड़े वर्गों के भी नाम दिये गये हैं और यह आयोग केवल उसका पुनरीक्षण ही करेगा।

डा० केसकर : वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में पूछना चाहते हैं, परन्तु मूल प्रश्न पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखता है। मैं वह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा।

हथ करघा उद्योग का विकास

*१६८. **डा० सत्यवादी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास की एक योजना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को भेजी है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५४-५५ में इन योजनाओं की अभिपूर्ति के लिये राज्य सरकार को अनुदान तथा ऋण के रूप में कुल ५,८०,३९० रुपये की मंजूरी दी है ।

सोडा ऐश

*१६९. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सांभर झील में व्यर्थ पड़े हुये नमक के अवशिष्ट के ढेरों से सोडा ऐश निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या यह एक वाणिज्यिक तथा व्यापारिक कार्य है; तथा

(घ) यदि हां, तो इस से कितनी परिमात्रा के प्राप्त होने की आशा है तथा उसका मूल्य क्या होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). जहां तक सरकार को पता है, सांभर झील पर पड़े हुये नमक के अवशिष्टों से सोडा ऐश नहीं निकाला जा रहा है ।

श्री बलवन्त सिंह महता : सरकार देश की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का विचार करती रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दो फैक्टरियां सोडा ऐश का उत्पादन कर रही हैं; शेष का आयात किया जाता है । और फैक्टरियां स्थापित करने की योजनायें हैं तथा एक विशेष अधिकारी उचित स्थानों का सुझाव देने के निमित्त दौरा कर रहा है ।

पाकिस्तानियों का उत्तर प्रदेश में समय से अधिक ठहरना

*१७०. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१ से १९५४ तक अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आये पाकिस्तानियों की संख्या; तथा

(ख) अपने अनुज्ञापत्रों की अवधि से अधिक देर तक भारत में ठहरने वालों की संख्या ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या हम इस जानकारी के इस सत्र में प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं ?

श्री सादत अली खान: बहुत सम्भव है ।

विस्थापित व्यक्तियों के उपनगर तथा बस्तियां

*१७१. **सरदार लाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों के लाभार्थ सरकार द्वारा बनाई गई नई बस्तियों, उपनगरों तथा अन्य शरणस्थानों के सम्बन्ध में सरकार की सदैव से ही यह घोषित नीति रही है कि विस्थापित व्यक्तियों से 'न हानि न लाभ' के आधार पर वास्तविक लागत ही ली जायें; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या अब सरकार इस नीति को त्याग देने का विचार कर रही है और वह विस्थापित व्यक्तियों से सम्पत्ति के वर्त्तमान बाजार मूल्य लेना चाहती है ?

पनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख): पहिले जब मकान पुनर्वास

योजना के अन्तर्गत विस्थापितों को बेचे गये थे, तो उनकी वास्तविक लागत ली गई थी। पहले बेचे गये मकानों के, चाहे उनका मूल्य एकदम दे दिया गया था अथवा किस्तों में लिया गया था, मूल्य में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। क्षतिपूर्ति योजना के अधीन, यह प्रस्थापना की गई है कि मकानों को स्वामित्व उनके कब्जेदारों को हस्तान्तरित कर दिया जाये तथा क्षतिपूर्ति की रक़म से यदि वह कुछ हो तो, उनका उचित मूल्य ले लिया जाये।

सरदार लाल सिंह : क्या मैं यह समझूं कि सरकार का अपनी उस प्रतिज्ञा से जो कि उसने शरणार्थियों से उनको बांटे गये मकानों के मूल्य तथा उसके भुगतान के सम्बन्ध में की थी, हटने का कोई इरादा नहीं है यदि ऐसा है, तो क्या सरकार शरणार्थियों में उनकी चिन्ता को दूर करने के लिये इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां, निस्सन्देह।

श्री के० के० बसु : क्या यह 'न हानि न लाभ' के आधार पर शरणार्थियों को मकान देने की नीति पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आये विस्थापितों पर भी लागू होती है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह योजना पूर्व में लागू नहीं होती है।

रुई का न्यूनतम मूल्य

*१७२. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आगामी मई के मौसम से रूई के न्यूनतम मूल्य को ५० रुपये घटा देने का विचार है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५४-५५ के मौसम में रूई के न्यूनतम मूल्य को ५५ रुपय प्रति कंडी घटा देने का निश्चय किया गया है।

(ख) दूसरी प्रतियोगी फसलों के मूल्यों के स्तर को ध्यान में रख कर यह न्यूनतम मूल्य घटाया गया है।

श्री के० जी० दशमुख : क्या केन्द्रीय भारतीय रूई समिति से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया था, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसका क्या दृष्टिकोण था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समिति ने यह सिफारिश की कि मूल्य पुराने स्तर पर ही रहने चाहियें।

श्री के० जी० देशमुख : क्या रूई के न्यूनतम मूल्य के घटा देने के परिणाम स्वरूप आगामी मौसम में रूई का बाजार भाव भी घट जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है, आशा की जाती है कि भाव थोड़ा सा गिरेगा।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने प्रश्न संख्या १४२ का उत्तर देते हुए कहा कि वायदा बाज़ार आयोग ने रूई के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। क्या रूई के न्यूनतम मूल्य को ५० रुपये अथवा ५५ रुपये घटा देने का निश्चय वायदा बाजार आयोग की सिफारिशों पर ही किया गया है अथवा सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से यह निश्चय किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं श्रीमान्, निश्चित रूप से नहीं।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*१७३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई नई योजना तैयार की है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है । फिर भी पश्चिमी बंगाल में किये जा रहे सहायता तथा पुनर्वास कार्य के कार्यकरण की मंत्रियों की समिति द्वारा परीक्षा की गई थी और उन्होंने पश्चिमी बंगाल की सहायता तथा पुनर्वास सम्बन्धी भावी नीति की रूप रेखा बनाई है तथा उसको प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिये उपायों का सुझाव दिया है । इन निश्चयों को पश्चिमी बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है, तथा जहां कहीं भी आवश्यकता होगी यथोचित परिवर्तनों के साथ पूर्वी क्षेत्र के दूसरे राज्यों में भी इसे लागू किया जायेगा । मंत्रियों की समिति के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि संसद के समस्त सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दी गई है ।

श्री एन० बी० चौधरी: क्या इन योजनाओं को बनाते समय सरकार ने शरणार्थियों अथवा शरणार्थी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श लिया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां, श्रीमान् ।

इंजिनियरिंग उद्योग क्षमता समिति

*१७४. **श्री ए० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग क्षमता समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(ख) निजी तथा सार्वजनिक खंडों में स्थापित औद्योगिक संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) समिति द्वारा इंजीनियरिंग उद्योग का पर्यवेक्षण सरकार को वर्तमान क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में तथा जहां भी ऐसा करना सम्भव हो उसके प्रसार के सम्बन्ध में सलाह देने के अभिप्राय से किया गया था । समिति से अपना प्रतिवेदन औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने की आशा नहीं की जाती है किन्तु वह सरकार को उन विशेष समस्याओं के मामले में जो समय समय पर उसे निर्दिष्ट किये जाते हैं, अपने अनुभव तथा सलाह देती है ।

(ख) प्रतिष्ठापित क्षमता तथा इस क्षमता उपयोग में न लाये जाने का अनुमान केवल विशिष्ट एककों के सम्बन्ध से ही लगाया जा सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इंजीनियरिंग उद्योग के किन्हीं विभागों में ६० प्रतिशत तक क्षमता अकर्मण्य पड़ी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य निश्चित रूप से विभागों का संकेत करें तो मैं इसका उत्तर हां या ना में दे सकता हूं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार ने समिति से इन इंजीनियरिंग उद्योगों की अकर्मण्य क्षमता के सम्बन्ध में विभागवार जांच करने को कहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ उद्योगों में हां। सभी में नहीं।

श्री बंसल : क्या इस समिति ने सरकार को कोई प्राथमिक अथवा आन्तरिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, तथा क्या सरकार उसे मूलरूप में अथवा संक्षिप्त रूप में सभा पटल पर रखने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विशेष प्रश्न का उत्तर यह है कि यह न्यूनाधिक रूप से यह समिति जो औद्योगीकरण के विकास तथा उस क्षमता के उपयोग के बारे में, जिसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, सरकार को न कि किसी विभाग विशेष को, सलाह देती है इसलिये समिति द्वारा दी गई जानकारी तथा अनुभवों को सभा पटल पर रखना इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि, जैसा कि मैं ने कहा है, यह कोई औपचारिक प्रतिवेदन नहीं है। यह तो आंशिक प्रतिवेदन है उनको एकत्रित करना कठिन कार्य है। कभी कभी दी गई जानकारी गोपनीय भी होती है। यह विशेष एककों के सम्बन्ध में होती है। तथा जैसा कि सभा को ज्ञात होगा, सरकार जो विभिन्न विधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर इस सूचना को एकत्रित करती है किसी उद्योग विशेष के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के ब्यौरे को प्रगट नहीं कर सकती है।

श्री बंसल : मंत्री जी की व्याख्या को बिल्कुल ठीक मानते हुए भी इस समिति की सिफारिशों के सारांश को सभा पटल पर रखने में क्या आपत्ति है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा सूचना सिफारिशों के रूप में नहीं आती है; वह सलाह के रूप में आती हैं। यदि मेरे माननीय मित्र किसी उद्योग विशेष के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों, तो मैं यथा-सम्भव उनकी इच्छा पूरी करने की चेष्टा करूंगा।

श्री वी० पी० नायर : क्या मशीन उपकरण निर्माता संस्था द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि मशीन उपकरण निर्माण उद्योग में प्रयाप्त क्षमता अकर्मण्य है तथा सरकार को इस अकर्मण्य क्षमता को काम में लाने में उनकी सहायता करनी चाहिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह उन उद्योगों में से एक है जिस के सम्बन्ध में हम विशेष रूप से चिन्तित हैं।

चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी याचिका

*१७५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सिनेमा के कुप्रभाव को रोकने के निमित्त कार्यवाही किये जाने के विषय में दिल्ली की लगभग १३००० गृह-पत्नियों तथा माताओं के हस्ताक्षरों सहित एक याचिका प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उस याचिका पर विचार किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां। मेरे पास भी महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल आया था, जिन्होंने इसी प्रकार की एक याचिका पर काफी अधिक हस्ताक्षर करवा रखे थे। बहुत से स्थानों पर महिलाओं के प्रतिनिधि मण्डलों ने सरकार से इस प्रकार के अभ्यावेदन किये ह।

(ख) तथा (ग). सरकार ने इस याचिका पर सहानुभूति के साथ विचार किया है। इस समय स्थिति यह है, कि चलचित्रों के नियन्त्रण के मामले में सरकार संविधान के अनुच्छेद १९ के खण्ड (२) से बाध्य है। इस खण्ड (२) की सीमाओं के अन्दर केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड ने अपनी विभिन्न परीक्षण समितियों के मार्ग दर्शन के लिये एक आदेश जारी कर दिया है। उस आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। चलचित्रों का अधिक निश्चित मार्ग दर्शन के लिये, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि एक चलचित्र निर्माण कार्यालय स्थापित किया जाये, जो निर्माताओं को कथानकों इत्यादि की तैयारी के सम्बन्ध में परामर्श देगा। यह कार्य चलचित्र जांच समिति की सिफारिशों के अनुपालन के लिये किया गया है।

संवैधानिक स्थिति की दृष्टि से सरकार के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। यद्यपि सरकार चलचित्र सम्बन्धी कई प्रवृत्तियों के विरुद्ध समस्त देश में और विशेषतया परिवार वालों में फैली हुई बलवती भावना से परिचित है, परन्तु संवैधानिक असमर्थता के कारण सरकार के लिये कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। हाल म ही सरदार भगत सिंह सम्बन्धी चलचित्र के विषय में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था कि क्या विख्यात व्यक्तियों के जीवन को चलचित्र में विकृत करके तथा गलत ढंग से दिखाया जा सकता है। वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार हमारे पास इस प्रकार से की गई विकृति को रोकने के लिये कोई शक्ति नहीं है।

परन्तु माननीय सदस्य यह समझ लें कि समस्त उद्योग समाचार पत्रों के द्वारा तथा अन्य साधनों से विवाचन के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा है। हाल में ही, मद्रास के मुख्य न्यायाधीश ने किसी भी प्रकार के विवाचन के विरुद्ध अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किये हैं। सरकार अनुभव करती है कि यद्यपि याचिका देने वालों तथा अन्य स्थानों पर कुटुम्ब वाले व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई बलवती भावना पर विचार किया जाना चाहिये, परन्तु जब तक सरकार के पास ऐसा करने की अधिक शक्तियां न हों, सरकार के लिये कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। इस बात का निर्णय करना संसद् का काम है कि क्या समाज की उन्नति के लिये इस प्रकार की शक्तियों का दिया जाना आवश्यक है।

श्री एस० एन० दास : इन व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के प्रति सरकार को सहानुभूति है, इसे दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार ने संवैधानिक उपबन्धों को बदलने के प्रश्न पर विचार किया है, और क्या सरकार इस उद्देश्य के लिये कोई संशोधन प्रस्तुत करने के लिये तैयार है ?

डा० केसकर : मैंने कहा है कि यह संसद् निर्णय करेगी कि क्या हमें एसा करना चाहिये।

श्री एस० एन० दास : सरकार का क्या मत है ? यदि सरकार ने देश भर में व्यक्त किये गये विचार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, तो क्या सरकार इस मामले में किसी परिणाम पर पहुंची है ?

श्री के० के० बसु : इसे गढ़े में डाल दिया गया है।

डा० केसकर : सरकार यथासम्भव जनमत को जानने का प्रयत्न करती है। मैं जनमत का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूं, और यदि मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इस मामले के सम्बन्ध में वास्तव में बहुत जोरदार भावना फैली हुई है, तो हम कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे। परन्तु मुझे इस बात का निश्चय होना चाहिये कि इस सदन के सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में है। मैं नहीं

चाहता कि बाद में मुझ पर स्वतंत्रापहरण का दोष लगाया जाय।

श्री बेंकटरामन : उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने बताया था कि मद्रास के मुख्य न्यायाधीश ने इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया था। क्या यह किसी निर्णय में दिया गया था ? इस प्रकार मत व्यक्त करने का अवसर क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि अपने व्यक्तिगत रूप में।

श्री बेंकटरामन : मैं जान सकता हूं कि यह मत व्यक्त करने का मुख्य न्यायाधीश को क्या अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये।

तिलिया के लिये थर्मल पावर स्टेशन

*१७६. **श्री बर्मन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तिलिया का थर्मल पावर स्टेशन तिलिया में स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब पूरा हुआ है; तथा

(ग) क्या इसे बोकारी विद्युत् केन्द्र से मिला दिया गया है अथवा यह पृथक् है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख)। तिलिया में जनवरी १९५० में एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया था और नवम्बर १९५३ में बन्द कर दिया गया था।

(ग) यह एक पृथक् विद्युत् केन्द्र था और बोकारो केन्द्र से मिला हुआ नहीं था।

श्री बर्मन : माननीय मंत्री ने बताया कि विद्युत् केन्द्र १९५३ में बन्द कर दिया गया था। मैं जान सकता हूं कि उस विद्युत् संयंत्र का क्या हुआ ?

श्री हाथी : वह बेच दिया जायगा और बिहार सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है।

श्री बर्मन : क्या तिलिया में कोई विद्युत् स्टेशन नहीं है ?

श्री हाथी : जी, नहीं। सम्भवतः सभा को ज्ञात है कि जल-विद्युत् केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। यह थर्मल संयंत्र तिलिया बांध के निर्माण के लिये आवश्यक था। अब जल-विद्युत् केन्द्र कार्य कर रहा है।

श्री बर्मन : क्या उस जल-विद्युत् केन्द्र को बोकारो केन्द्र के साथ मिला दिया जायेगा ?

श्री हाथी : जी हां, उसे मिला दिया जायेगा।

श्री टी० एन० सिंह : क्या तिलिया का जल-विद्युत् केन्द्र पूरे वर्ष भर के लिये है या केवल वर्ष के कुछ भाग के लिये; और बाद वाली स्थिति में यदि यह समस्त वर्ष भर के लिये नहीं है, तो वहां क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हाथी : जब तक कि इसे बोकारो केन्द्र के साथ मिला नहीं दिया जाता है, तीनों थर्मल संयंत्रों में से एक संयंत्र को वहां सुरक्षित रखा जायेगा।

फ़ोटोग्राफी की कोरी फ़िल्में

*१७७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फ़ोटोग्राफी की कोरी फिल्में बनाने के लिये भारत में कोई सुविधा विद्यमान है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय भारत में कोरी फिल्में तैयार नहीं की जाती हैं।

(ख) सरकार फ़ोटोग्राफी की कोरी फिल्मों और सिनेमा की कोरी फिल्मों के निर्माण की सम्भावना का पता लगा रही है परन्तु किसी संयंत्र को स्थापित करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

श्री वी० पी० नायर: भारत की फ़ोटोग्राफ़ी की कोरी फिल्मों सम्बन्धी आवश्यकता कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : फ़ोटोग्राफ़ी की कोरी फिल्मों की आवश्यकता सम्बन्धी वास्तविक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री बंसल : क्या भारत सरकार को मैसूर सरकार की ओर से किसी जर्मन सार्थ को साथ मिला कर कोरी फिल्मों का निर्माण संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और यदि हां, तो मैं जान सकता हूं कि इस समय वह प्रस्ताव किस स्तर पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे पास मैसूर सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। किन्तु सरकार ने फ़ोटोग्राफ़ी की तथा सिनेमा की कोरी फिल्मों का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के विषय में एक जर्मन समवाय के साथ अवश्य चर्चा की थी। परन्तु चर्चा की प्रारम्भिक स्थिति में ही सरकार को ज्ञात हुआ कि संयंत्र की क्षमता और इस देश की आवश्यकता पर ध्यान देते हुये यह योजना लाभदायक नहीं होगी।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं फ़ोटोग्राफ़ी की कोरी फिल्मों सम्बन्धी इस देश की आवश्यकता को जान सकता हूं और हम विदेशों से प्रति वर्ष कितनी कोरी फिल्में आयात करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने बताया था कि इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ग्रामोफोन और रेडियो सेट

*१७८. **सठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२ तथा १९५३–५४ में भारत में बनाये गये ग्रामोफ़ोनों तथा रेडियो सेटों की संख्या के कम होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इनकी मांग कम हो गई है।

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

रहस्यमय बीमारी

अल्प सूचना प्रश्न ५. श्री गिडवानी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि बच्चों को ग्रसने वाली एक "रहस्यमय बीमारी" उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई है;

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इस बीमारी की घटनायें हुई हैं;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जो १५ अगस्त १९५४ तक घातक सिद्ध हुए हैं; तथा

(घ) क्या सरकार ने इस बीमारी के कारणों का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है और क्या उपचार सम्बन्धी कोई उपाये अपनाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी, हां। देश के कुछ भागों म "वाईरस एन्सीफलिटिस" के कुछ मामले हुए हैं।

(ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बीमारी के इन स्थानों पर फैलने की सूचना प्राप्त हुई है :—

(१) जमशेदपुर, (२) पटना, (३) मंगेर, (४), बिलासपुर, (५) लखनऊ, (६) कानपुर, (७) रामपुर, (८) बनारस, (९) इलाहाबाद, (१०) मेरठ और (११) दिल्ली।

(ग) घातक सिद्ध हुए मामलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस रोग के सभी पहलुओं की जांच का कार्य भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के विष गवेषणा केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। जमशेदपुर में, जहां से इस रोग की सर्वप्रथम रिपोर्ट मिली थी, एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की गई है और २५ जून, १९५४ से वहां खोज कार्य किया जा रहा ह। लखनऊ और दिल्ली में भी निरीक्षण किये गये हैं। अन्य विषैले एन्सीफैलिटिस सम्बन्धी नवीनतम जानकारी तथा हाल ही महीनों में किये गये प्रारम्भिक निरीक्षणों के आधार पर राज्य सरकारों को उन कीड़ों के विरुद्ध, जिनके सम्बन्ध में इस रोग का वाहन होने का सन्देह किया जाता है, आवश्यक कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया है। जमशेदपुर में फैली महामारी सम्बन्धी प्रारम्भिक रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को उनकी सूचना के लिये परिचालित कर दी गई है।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं श्रीमान् कि क्या भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के पूना गवेषणा केन्द्र ने इस 'रहस्यमय बीमारी' के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं जानती हूं कि एक प्रारम्भिक सरकारी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है और यह बताया गया है कि इस रोग को फैलाने वाला अभिकरण एक कीड़ा होता है और उस कीड़े को खोज निकालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। निश्चय ही यह एक दीर्घकालीन प्रणाली है। यह काम एक दिन मे ही नहीं किया जा सकता है और इसीलिये उक्त रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई है और उन से जहां भी सम्भव होइन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं कि क्या किन्ही होम्योपैथिक डाक्टरों ने यह दावा किया है कि वह इस रोग को ठीक कर सकते हैं, और यदि एसा है, तो क्या उनके उपचार की कहीं परीक्षा की गई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं श्रीमान् कि क्या इस रोग का पता केवल १९५४ में लगा था अथवा यह इस से पहले से प्रचलित था ?

राजकुमारी अमृतकौर : यह रोग "बाईरस एन्सीफैलिटिस" कई शक्लों में होता है और इस रोग के मामले देश में सभी स्थानों पर हुए हैं, परन्तु यह मुझे ज्ञात नहीं कि यह कब से मौजूद है। इस वर्ष इस रोग ने महामारी के रूप में सिर उठाया है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि क्या इस रोग के होने को निश्चित रूप से "वाईरस एन्सीफैलिटिस" का मामला सिद्ध कर दिया गया है, अथवा क्या योग्य चिकित्सकों का यह विचार है कि सम्भव है कि यह कोई मलेरिया जैसा अथवा कोई अन्य राग हो और मैं यह भी जान सकता हूं कि चिकित्सकीय सम्मति को देखते हुए क्या सरकार मैस्तिष्क विशेषज्ञों के— विशेष रूप से बाल रोगों के विशेषज्ञों के— एक दल को इस रोग के कारणों की पूर्णरूपेण जांच करने के लिये नियुक्त करना आवश्यक समझती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यह रोग, जहां तक कि भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के विशेषज्ञ देख सके हैं, मलेरिया से उत्पन्न होने वाला गर्दन तोड़ रोग (मलेरियल मैनिनजाईटिस) नहीं है। यह रोग एक विषैले तत्व के कारण होता है जो मलेरिया वाले मच्छर के अतिरिक्त किसी अन्य वाहक द्वारा फैलाया जाता है। अभी तक चिकित्सकीय विशेषज्ञों का कोई सम्मेलन समवेत करने की आवश्यकता दिखाई नहीं दी है, परन्तु हम सभी स्थानों के चिकित्सकों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं। मैं यह निवेदन कर दूं कि हमारी एक बड़ी कठिनाई गवेषणा कार्य के लिये किसी मृत बालक का मस्तिष्क प्राप्त करने की असफलता है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो विशेषज्ञों की बात है। इस मामले में जो कुछ भी करना आवश्यक है वह सरकार कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय

*१४६. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में लन्दन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय तथा रहने के भवनों का कितना किराया दिया गया; तथा

(ख) १९४९–५० में यह राशि कितनी थी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जो किराया दिया गया वह इस प्रकार था :—

१९५२–५३ के लिये

कार्यालय वाले भवनों के लिये

पौंड ५१,६७० ० ०

रहने के भवनों के लिये

पौंड १,८१० ० ०

(ख) १९४९–५० के लिये

कार्यालय वाले भवनों के लिये

पौंड ४५,१७० ० ०

रहने के भवनों के लिये

पौंड १,६९३ ० ३

कुटीर उद्योग प्रशिक्षण

*१६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का जैसे बुनना, बढ़ईगीरी, चमड़ा कमाना तथा छत्रियों की मूंठ तैयार करने आदि के शिल्पिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा चुका है;

(ख) यदि हां तो इन मदों में से प्रत्येक मद पर अब तक कितना व्यय हुआ है; तथा

(ग) कितने व्यक्तियों ने अब तक इस प्रकार की प्रशिक्षा ली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। बढ़ईगीरी के अतिरिक्त अन्य सभी का प्रबन्ध हो चुका है।

(ख) बुनना, चमड़ा कमाना तथा छत्रियों की मूंठों के निर्माण पर अब तक क्रमशः १५,००० रु०, ९,००० रु० तथा ५,००० रुपया व्यय हुआ है।

(ग) उद्योगशाला, अगरतला में प्रशिक्षा पाने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्न है:—

बुनना	२२
चमड़ा कमाना	१२
छत्रियों की मूंठ तैयार करना	१७

उच्च शिक्षा के लिये राज्य से बाहर भेजे गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या :—

बुनना	४
चमड़ा कमाना	३

इसके अतिरिक्त शाला के भ्रमण करने वाले प्रशिक्षण दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग ३५० अर्द्ध प्रवीण तथा अप्रवीण कार्यकर्ताओं को बुनने तथा चमड़ा कमाने की कला में विकसित ढंगों की प्रशिक्षा दी है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

*१६४. **श्री अजित सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने समय तक सरकार का विचार विशाखापटनम शिपयार्ड में बनने वाले जलयानों के लिये अपनी ओर से 'अन्तर के बराबर लागत' सहायता देने का है;

(ख) आर्थिक सहायता के रुप में अब तक दी गई धन राशि कितनी है; और

(ग) आजकल विशाखापटनम् शिपयार्ड में इसके संगठन, विकास तथा प्रबन्ध के बारे में शिल्पिक परामर्श देने के लिए कितने फ्रांसीसी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) यह आर्थिक सहायता कब अनावश्यक होगी, यह भविष्य वाणी करना सम्भव नहीं है।

(ख) २३४ लाख रुपये।

(ग) चार।

दामोदर घाटी निगम

*१७९. **श्री झुलन सिन्हा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने निम्न विषयों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की उन सिफारिशों के बारे में क्या विनिश्चिय किया है जो प्राक्कलन समिति के दामोदर घाटी निगम विषयक प्रतिवेदन में निहित है :—

(१) राव समिति प्रतिवेदन के विषय का पूर्वकालिक प्रकाशन;

(२) ठेकेदार अथवा निरीक्षकों के रूप में परामर्शदाताओं की नियुक्ति;

(३) विदेशी विशेषज्ञों के अधीन काम सीखने वालों की नियुक्ति; तथा

(४) दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण।

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : प्राक्कल्लन समिति द्वारा अपने आठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में विचार हो चुका है और तत्सम्बन्धी सरकारी अन्तर्कालीन विनिश्चय प्राक्कलन समिति को भेज दिये गये हैं। जैसे ही प्राक्कलन समिति का मत सरकार को प्राप्त होता है वैसे ही उन विनिश्चयों को सभा पटल पर रख दिया जायगा।

पांडिचेरी

*१८०. **श्री एस० सी० सिंघल** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री जी० पी० सिन्हा :
श्री अमजद अली :
सरदार हुक्म सिंह :
श्री ए० एम० थामस :
श्री सी० आर० अय्युण्णि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पांडिचेरी में काफ़ी मात्रा में गोला बारूद का आयात किया गया है; तथा

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। भारत सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रांसीसी सैनिकों की कुछ टुकड़ियां सैनिक स्टोर के साथ जिसमें शस्त्र तथा गोला बारूद सम्मिलित था, १६ जून १९५४ तथा उसके बाद पांडिचेरी पहुंची।

भारत सरकार ने दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतालय को, १६ जून १९५४ को दिये गये एक विरोध पत्र में फ्रांसीसी सैनिकों के यहां

आने पर विरोध प्रकट किया है, और उनको वापिस भेजने के लिये कहा है।

फ्रांसीसी तथा भारतीय पुलिस की भिड़न्त

*१८१. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहूर बस्ती के पास शिवनाथ-पुरम् के निकट ३१ मई १९५४ को फ्रांसीसी तथा भारतीय पुलिस के बीच भिड़न्त हुई थी; तथा

(ख) इस भिड़न्त के क्या कारण थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) ३१ मई १९५४ को प्रातः ९ बजे के लगभग एक फ्रांसीसी नाव, जिसमें २० यात्री थे और जिन पर चोरी से हीरे तथा अन्य बहुमूल्य वस्तु ले जाने का सन्देह था, पांडिचेरी से बहूर बस्ती की ओर जा रही थी। जैसे ही शिवनाथपुरम् के निकट भारतीय राज्य क्षेत्र के समुद्री पानी में यह नाव आई, हमारे तटकर शुल्क कर्मचारियों ने इसे रोका। और ज्यों ही वह नाव भारतीय सीमा में समुद्र के किनारे आकर रुकी, वैसे ही फ्रांसीसी भारतीयों की एक बहुत बड़ी भीड़ इन चौर्यानियन करने वालों को बचाने के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आई। उन्होंने कार्यरत छः भारतीय पुलिस वाले व्यक्तियों पर आक्रमण किया और उन्होंने अपने बचाव के लिए गोली चलाई जिसके फलस्वरूप दो फ्रांसीसी भारतीयों की मृत्यु हो गई।

समाज शिक्षा

*१८२. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज तथा मुख्य-समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के लिए इलाहाबाद में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां तो इस केन्द्र में कितने प्रशिक्षार्थी हैं; तथा

(ग) इसका वार्षिक अनुमानित व्यय क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इलाहाबाद का केन्द्र केवल मुख्य-समाज शिक्षा संगठन कर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए खोला गया था, किन्तु जनवरी १९५४ से केवल समाज शिक्षा संगठन कर्ताओं को प्रशिक्षा दी जा रही है।

(ख) ५४।

(ग) १९५३–५४ में ३१,२८४ रुपये।

भाखड़ा जलाशय के कारण भूमि का जलमग्न हो जाना

*१८३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :**
श्री आनंद चन्द :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा में प्रस्तावित जलाशय के बनाने से कितने क्षेत्र के जलमग्न होने की सम्भावना है तथा कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना बना ली गई है;

(ग) भाखरा नांगल परियोजना के किस भाग को पंजाब में स्थानान्तरण करने का विचार किया गया था; तथा

(घ) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) (१) ४२,३९४ एकड़, (२) २७,००० (लगभग)।

(ख) यह मामला भाखरा नियंत्रण बोर्ड के अधीन विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति कर रही है।

माही

*१८४. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री बोगावत :
श्री अजित सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फ्रांसीसी प्राधिकारियों ने माही में सत्ता समर्पित कर दी है; तथा

(ख) यदि हां तो क्या फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को अपना निर्णय भेज दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी सरकार से कोई सरकारी सूचना नहीं मिली थी।

ग्यांत्से दुर्घटना

*१८५. **श्री एस० एन० दास :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री जांगड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों में अमचुग नदी के किनारे का किला जो तिब्बती व्यापारिक नगर ग्यांत्से के सामने है, धराशायी हो गया;

(ख) हताहत भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; तथा

(ग) पीड़ितों को सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १७ जुलाई को न्यांगचू नदी में बाढ़ आयी थी। नदी में सुबह के समय अचानक पानी बहुत बढ़ गया और कुछ ही मिनटों में बाढ़ का पानी १५ फुट ऊंचा पहुंच गया। इससे नदी के किनारे के किले की इमारत धराशायी हो गयी।

(ख) अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार—४५ व्यक्ति तथा १८ परिवार।

(ग) यातंग में हमारे व्यापार-अभिकर्त्ता को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया गया। वे कुछ सैनिक और उनके कमान्डर वायरलेस सेट, राशन, दवाएं और कपड़े लेकर १८ जुलाई को यातुंग से रवाना हुए और २३ जुलाई को ग्यांत्से पहुंचे जहां बचे हुए भारतीयों से उनकी भेंट हुई जिन्हें स्थानीय तिब्बती अभिकर्ता तथा एक नैपाली वकील ने शरण दी थी। भारत सरकार ने बाढ़ पीड़ितों में बंटवाने के लिए ५० हजार रुपये के मूल्य के कपड़े और खाद्य सामग्री भी चीनी अधिकारियों को दी है। व्यापार-अभिकरण कर्मचारियों द्वारा सहायता कार्य के लिए १३ हज़ार रुपया स्वीकार किया गया है और पीड़ितों के लिए दो सहायता-निधियां एक बंगाल के राज्यपाल तथा दूसरी सिक्किम के महाराजा की ओर से चालू की गयी है। क्षति का अंदाजा लगाने के लिए सिक्किम के राजनैतिक पदाधिकारी, एक चिकित्सा पदाधिकारी तथा एक यांत्रिक के साथ ग्यांत्से रवाना हो चुके हैं।

सूत

६३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ और १९५३ के वर्षों में मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन राज्यों में हाथ करघा उद्योग द्वारा कितना सूता काम में लाया गया है तथा उसके लिए दी गयी अनुमानित कुल कीमत कितनी है;

(ख) उक्त क्षेत्रों के लिए १९५२, १९५३ तथा १९५४ के प्रथम अर्द्ध वर्ष

में हाथ करघा उद्योग के लिए उपलब्ध २०, ४०, ६०, ८० और १०० काउन्ट्स के सूत की औसतन कीमत कितनी है;

(ग) उक्त क्षेत्रों के लिए १९५२, १९५३ तथा १९५४ के प्रथम अर्द्ध वर्ष में हाथ करघा उत्पादन से उद्योग की अनुमानित कुल प्राप्ति कितनी है; तथा

(घ) इस क्षेत्र के हाथ करघा उद्योग पर सरकार ने १ जनवरी १९५३ से ३० जून १९५४ तक कुल कितना खर्च किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) तक । एक विवरण संलग्न है ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९] ।

राजस्थान में हाथ करघा उद्योग का विकास

६४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ करघा उद्योग के विकास के लिए एकत्र किये गये उपकर में से कितना राजस्थान राज्य को दिया गया है; तथा

(ख) इस उद्योग के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौनसी योजनाएं रखी गयी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५४–५५ के लिए ६,५४,७८० रुपये ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा रखी गयी योजनाओं की सूची संलग्न है ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]

चीन में भारतीय

६५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : चीन में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या ३२९ है जिसमें पेकिंग के भारतीय दूतावास तथा शंघाई के भारतीय महा-वाणिज्य-दूतावास के सदस्य तथा उनके परिवार के व्यक्ति जिनकी संख्या लगभग ६० है, सम्मिलित हैं ।

उत्पादन

६६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९५३ से जून, १९५४ तक की अवधि में निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन कितना हुआ :

(१) लोहा तथा इस्पात;

(२) कोयला;

(३) कपड़ा (मिल का बना हुआ) :

(४) चीनी;

(५) पशुओं से प्राप्त दूध, दही, घी, खालें तथा मांस; और

(६) सीमेंट ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(१) **लोहा तथा इस्पात**
तैयार इस्पात १२·३ लाख टन ।
ढला हुआ लोहा १९ लाख टन ।
लौह मिश्रित धातु ८,७३९ टन ।

(२) **कोयला** ३ करोड़ ८० लाख टन ।

(३) **कपड़ा** (मिल का बना हुआ) ——
५ अरब, ३५ करोड़ ४० लाख गज़ ।

(४) दानेदार चीनी १० लाख टन ।

(५) दूध, दही आदि जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(६) सीमेंट लगभग ४५ लाख टन ।

मिल का बना कपड़ा

६७. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४३ तथा वर्ष १९५३ में मिल के बने कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत क्रमानुसार कितने कितने गज़ की थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १९४३ में प्रति व्यक्ति प्राप्य केवल मिल का बना कपड़ा ९·३ गज़ तथा १९५३ में ११·६ गज़ था।

अपहृत महिलाओं की पुन:प्राप्ति

६८. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून १९५४ तक पाकिस्तान तथा भारत से क्रमश: कितनी अपहृत महिलाएं पुन: प्राप्त की गयी हैं; तथा

(ख) जनवरी से जून १९५४ तक की अविध में इस संगठन पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत तथा पाकिस्तान से क्रमश: ५३७ तथा ६१।

(ख) ५,१९,४७८ रुपये।

मोटर गाड़ियों के पुर्जे जोड़ने वाले कारखाने

६९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व में मोटर गाड़ियों के पुर्जे जोड़ने वाले कारखानों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) भारतीय संस्थाओं के स्वामित्व में मोटर गाड़ियों के पुर्जे जोड़ने वाले कारखानों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वर्तमान में कोई नहीं।

(ख) केवल जोड़ने वाले पांच कारखाने हैं और छः संस्थाएं ऐसी हैं जिनके निर्माण कार्यक्रम अनुमोदित हो चुके हैं। ये ग्यारहों फर्में भारतीय हैं।

लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग

७०. **श्री के० सी० सोंधिया** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग से सामग्री मंगाने वाले, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के अतिरिक्त, १९५३–५४ में कुल कितने आदेशक हैं;

(ख) इन में से कितनी (१) राज्य सरकारें तथा (२) सार्वजनिक संस्थाएं हैं;

(ग) उनके आदेशों का कुल मूल्य कितना है; तथा

(घ) क्या इन आदेशों पर कोई अभिकरण प्रकार लगाये जाते हैं और यदि ऐसा हो, तो कितने प्रतिशत ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १,४५,९११ [इस आंकड़े में (१) मन्त्रालयों के अतिरिक्त सभी भारत सरकार के कार्यालय तथा (२) जनता द्वारा प्रकाशन शाखा को दिये गये सभी प्रकाशन आदेश सम्मिलित हैं]।

(ख) (१) १५,६०४। (इस आंकड़े में विभिन्न राज्य-सरकारों के संगठनों की कुल संख्या निहित है)।

(२) ५,५२८।

(ग) ४,६९,१९,५३४ रुपये।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१**]।

त्रिपुरा में कुटीर-उद्योग

७१. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से त्रिपुरा में कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए कितना धन खर्च किया जा चुका है;

(ख) उन कुटीर-उद्योगों पर वह खर्च किया गया है वे कौन से उद्योग हैं; तथा

(ग) इनमें से प्रत्येक उद्योग पर कितना खर्च किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग)। विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**।

नमक

७२. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **उत्पादन** मंत्री सभा पटल पर वह विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें विभिन्न सरकारी नमक उद्गम केन्द्रों में नमक का उत्पादन-मूल्य तथा विभिन्न राज्यों में वर्तमान में नमक का प्रति सेर बिक्री मूल्य दिया हुआ है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : जानकारी देने वाले दो विवरण सलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**।

कोयला

७३. **श्री अमजद अली** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में कोयले के उत्पादन में कमी होने की संभावना है जब तक कि खान के मुख स्थानों से जल्दी कोयला हटाने के लिए विशेष उपाय नहीं काम में लाये जाते

(ख) क्या कोयले के उत्पादन में कमी का यह कारण है कि परिवहन की सुविधाएं अपर्याप्त हैं; तथा

(ग) भारतीय रेलों ने अधिक डिब्बे देकर उत्पादन बढ़ाने में कहां तक सहयोग दिया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी दुबे) : (क) यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी करना कठिन है, फिर भी वर्तमान संकेत यह है कि १९५४ में कोयले के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कमी होने की सम्भावना है।

(ख) अंशतः परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण तथा अंशतः निर्यात मांगों में कमी होने के कारण।

(ग) वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत भारतीय रेलों ने डिब्बों के अधिक संभरण द्वारा उत्पादन बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, जैसा कि बंगाल बिहार के क्षेत्रों में दैनिक औसत लदान के आंकड़ों से, जो नीचे दिये हुए हैं, स्पष्ट होगा :—

वर्ष	औसत दैनिक लदान, बंगाल बिहार क्षेत्र डिब्बे
१९५०	२८४९
१९५१	३०२०
१९५२	३१६५
१९५३	३११२
१९५४ (३१–७–५४ तक)	३०६४

चाल वर्ष के पहले तीन महीनों में कुंभ मेले के यातायात के कारण डिब्बों के संभरण पर काफी प्रभाव पड़ा था। जुलाई १९५४ में दैनिक लदान औसत ३३४७ डिब्बे था और १३ अगस्त तक ३५६५ था जबकि १९५३ में इन महीनों में क्रमशः ३०३४, तथा ३०२० था।

ग्रामोद्योग (सहायता)

७४. श्री मूलन सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी के अतिरिक्त ग्रामोद्योगों के विकास के लिए १९५३–५४ तथा १९५४-५५ के वर्षों में अब तक प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या राज्यों को दिये गये धन का उन्होंने पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया है; तथा

(ग) क्या ऐसे कोई मामले हैं जिनमें अनुदान की गयी रकम व्ययगत हो गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से जानकारी मांगी गयी है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

लोक-सभा

वाद-विवाद

बृहस्पतिवार,
२६ अगस्त, १९५४

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
मवार २३ अगस्त, १९५४	
। सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
टल पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

स्तम्भ

सदस्य द्वारा पदत्याग २१

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . २२—९६

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य । . . . . ९७—१०४

पटल पर रखे गये पत्र—

अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर . . १०४

हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा . . . १०४

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार . १०४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि १०४-१०५

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . १०५—१८८

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना १८९

संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ १८९-१९०

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन . १९०

परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश १९०-१९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश १९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण १९१-१९२

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार १९२

सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें . . . १९२

प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में:

विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना . १९२

वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन १९२

सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन . . . १९२

"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना १९३-१९४

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १९३-२०७

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . २०७-२०८

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . २०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२६

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२७

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४२७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५९

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५९—५१३

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्मेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—— स्तम्भ

विचार करने का प्रस्ताव——असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव——

ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना

श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन .

पटल पर रखे गये पत्र——

चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .

भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . .

१६-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित . .

चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प——स्वीकृत . ८५९——

मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प——स्वीकृत . . . ८६१

विशेष विवाह, विधेयक——

खंडवार विचार——असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र ——

परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९

विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१

समिति के लिये निर्वाचन——

नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००

सभा का कार्य——बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२——१००५

विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . . १००६——१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
तीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
तीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
य पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
य प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
य पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७१
तीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
तीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
कारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

वार ११ सितम्बर, १९५४

न पर रखे गये पत्र—	
मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें	११६९
सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य	१२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२९२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद

अध्यक्ष महोदय : मुझे कई सदस्यों से एक सूचना प्राप्त हुई है कि अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के २८ अप्रैल, १९५४, के पंचाट के विरुद्ध की गई अपीलों पर श्रम अपील न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाले भारत सरकार द्वारा २४ अगस्त, १९५४ को जारी किये गये आदेशों से भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होनी चाहिये, परन्तु यह इतना आवश्यक नहीं कि इस पर चर्चा आज ही होनी चाहिये । इस पर दो घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जाती है । मुझे विश्वास है कि सरकार किसी और दिन इस के लिये आवश्यक समय आवंटित करेगी ।

श्री अशोक महता (भंडारा) : स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले हम लोगों का मजदूर संघ के आन्दोलन से घनिष्ट सम्बन्ध है और हमें बताया गया है कि यह कार्यवाही न्याय करने वाले प्रशासन यंत्र में मालिकों और मजदूरों के विश्वास की उपेक्षा कर रही है । दूसरे, पंचाट में रूपभेद किये जाने के कारण ७५ प्रतिशत बैंक कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ती है, और इस परिवर्तन के द्वारा बैंकों की शान्ति तथा कार्य-कुशलता नष्ट हो जायगी । अतः स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये और शीघ्र ही इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम सोमवार को इस पर विचार करेंगे । स्थगन प्रस्ताव होने के कारण इस पर ढाई घण्टे तक चर्चा होगी ।

पटल पर रखे गये पत्र

टैलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) । मैं इन में से प्रत्येक नियम की एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) टैलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम । **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एस–२५८/५४].**

[श्री जगजीवन राम]

(२) टैलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम, १९५४। **[पुस्तकालय में रखे गये; देखिये संख्या एस–२५९/५४]**.

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं, भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ४ क की उपधारा (२) के अधीन, इन में से प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४५४, दिनांक २४ जुलाई, १९५४। **[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एस–२६०/५४]**.

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५२०, दिनांक २९ जलाई, १९५४। **[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एस–२६१/५४]**.

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २	षष्टम लोक सभा का सत्र, १९५४। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]**
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७	लोक सभा का पंचम सत्र, १९५३। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]**
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२	लोक सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]**
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७	लोक सभा का तृतीय सत्र, १९५३। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १७	लोक सभा का द्वितीय सत्र, १९५२। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**
(६) अनुपूरक विवरण संख्या १८	लोक सभा का प्रथम सत्र, १९५२। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन (डिंडीगल) : मैं गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दशम प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

रबड़ उत्पादन तथा विपणन (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : मैं रबड़ (उत्पादन तथा विपणन) अधिनियम १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : मैं कॉफ़ी विक्रय विस्तार अधिनियम १९४२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि

श्री गाडगील (पूना मध्य) : अध्यक्ष महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता में और ज्यादा संशोधन करने के लिये विधेयक सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन, लोक सभा के सामने रखने के लिये नियत समय, शुक्रवार ३ सितम्बर, १९५० तक बढ़ा दिया जाय ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—जारी

खण्ड १९—(बचाव—जिनकी मुकद्दमे में अनुमति दी जा सकती है ।)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा खाद्य के अपमिश्रण को रोकने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर विचार करेगी । अब खण्ड १९ पर चर्चा जारी रहेगी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : आपराधिक न्यायशास्त्र के आधारभूत सिद्धान्त से विभिन्न होने के कारण इस विधेयक के खण्ड १९ पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अपराधी या अपराध करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है, न कि किसी भोले भाले व्यक्ति को । इस खण्ड में कहा गया है कि अपमिश्रित वस्तु बेचने वाले व्यक्ति के लिये यह बचाव नहीं होगा कि वह खाद्य के गुण-प्रकार से परिचित नहीं था । वस्तुएं बन्द डिब्बों या पीपों में आती हैं और बेचारे दुकानदार को कैसे मालूम हो सकता है कि उस के अन्दर कैसी वस्तु है । यदि यह खण्ड पारित कर दिया गया, तो वह व्यक्ति अपने अज्ञान के आधार पर अपना बचाव नहीं कर सकेगा ।

उपखण्ड (२) में कहा गया है कि अभियुक्त को छुटकारा पाने के लिये यह सिद्ध करना होगा कि बेचते समय उसे उस वस्तु की खराबी का ज्ञान नहीं था, तथा उस ने उसे उसी अवस्था में बेचा है, जिस में उस ने खरीदा था । इस प्रकार एक नकारात्मक बात सिद्ध करने का भार उस पर डाला जाता है । भला कोई व्यक्ति 'न' कहने के अतिरिक्त यह बात कैसे सिद्ध कर सकता है । परन्तु उस के केवल वक्तव्य मात्र पर कौन विश्वास करेगा । इस के अतिरिक्त आप उस से नकारात्मक तथ्यों को सिद्ध करने के लिये इधर उधर की सभी बातें आंकड़े तथा तथ्य बताने को कहते हैं । न्यायालय में वह केवल अपने वक्तव्य द्वारा अपनी स्थिति को व्यक्त कर सकता है । इस खण्ड विशेष में यह कठिनाई की बात उत्पन्न कर दी गई है ।

पहले परन्तुक में कहा गया है कि यह बचाव विक्रेता के लिये एक सप्ताह तक खुला रहेगा । इस का अर्थ यह है कि उस का अज्ञान या अपराध सबूत के स्वरूप पर नहीं अपितु उस समय पर आधारित है जिस के अन्दर उसे सबूत पेश करना है । यदि अज्ञानता का

[श्री टेकचंद]

सबूत मिल जाता है और अभियोग अभी चलाया नहीं गया है, तो आठवें या नवें दिन उस व्यक्ति को अपराधी मान लिया जायेगा, और उसे दण्ड दिया जायेगा ।

अतः ऐसा उपवन्ध किया जाना चाहिये जिस से कि यदि सात दिन के अन्दर वह यातायात के अभाव के कारण या किसी अन्य कारण से, जिस पर उस का कोई वश नहीं था, प्रमाण नहीं दे सका, तो दसवें या ग्यारहवें किसी भी दिन मजिस्ट्रेट के सामने वह प्रमाण पेश कर सके । परन्तु खण्ड १९ के अनुसार इस के विपरीत विधि बनाई जा रही है कि नियत अवधि के बीत जाने पर, चाहे वह विधि से अनभिज्ञ हो या निर्दोष सिद्ध भी हो जाये, तो भी उसे दंड मिलेगा । इस के अनुसार अज्ञान या अपराध इस बात पर निर्भर नहीं होगा कि अपराध किया गया है या नहीं, बल्कि अपराध इस बात पर निर्भर होगा कि क्या अज्ञान की बात नियत अवधि के अन्दर सिद्ध कर दी गई है या नहीं । यदि किसी कारण से अवधि बीत गई तो उसे अवश्य ही जेल की हवा खानी पड़ेगी ।

दूसरे परन्तुक में कहा गया है कि विक्रेता को न्यायालय को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि परिपण में जो वक्तव्य दिया गया है, उस की सत्यता का निश्चय करने का उस ने यथायोग्य प्रयास किया था । कितनी आश्चर्य की बात है कि प्रतिभूति लेने का प्रश्न, परिपण के विश्वस्त होने पर निर्भर है । यदि वह अधिनियम उस प्रादेशिक सीमा के अन्दर है कि जहां से खाद्य वस्तु आयात की गई है, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वस्तु को भेजने वाला विश्वस्त या बेईमान है, उस की कोई परवा नहीं है । बेचारे विक्रेता के लिये परिपण में दिये गये वक्तव्य की सत्यता जानने के लिये जो यथायोग्य कार्यवाही की जा सकती है वह यह है कि एक पत्र लिख दे । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सारे उपबन्ध कठोर हैं और न्याय से रहित हैं तथा इन्हें लागू करना असंभव है ।

मैं चाहता हूं कि खाने की सभी वस्तुएं शुद्ध होनी चाहियें, परन्तु यह बात इस प्रकार के उपायों से नहीं हो सकती है । डिब्बों में बन्द वस्तुओं के दुकानदार के पास पहुंचने से पहले सरकारी प्रयोगशाला द्वारा परीक्षा होनी चाहिये । और प्रयोगशाला द्वारा परीक्षा कर लिये जाने पर उन का विक्रय दोष रहित हो जाता है, यह बात समझी जा सकती है । परन्तु लाखों करोड़ों दुकानदारों से यह आशा रखना कि वे बेचने से पहले वस्तु की शुद्धता का स्वयं परीक्षण करें भारी भूल है ।

आप ने खाद्य निरीक्षक को व्यापक अधिकार दे दिये हैं । सामान्यतया वे और विक्रता मिल कर सरकार तथा उपभोक्ता को धोखा देते हैं । निरीक्षक एक, दो, चार मामलों की रिपोर्ट करता रहता है और जुर्माने से बचने के लिये विक्रेता उस की भेंट पूजा करता रहता है । जब तक यह प्रबन्ध चलता रहता है सब ठीक रहता है । विक्रेता थोड़ी रिश्वत दे कर खाद्य निरीक्षक को अपनी मुट्ठी में रखता है । परन्तु अपराध चलाये जाने की अवस्था में पहले अपराध पर मजिस्ट्रेट उसे एक वर्ष की, दूसरे पर और अधिक तथा तीसरे पर और अधिक कैद का दण्ड देता है । सार यह कि विक्रेता खाद्य निरीक्षक की दया पर निर्भर रहता है । निरीक्षक कहता है कि मैं ने तुम्हें एक बार बचाया, अब यदि कुछ गड़वड़ करोगे तो अधिक सज़ा मिलेगी । इस प्रकार विक्रेता के ऊपर निरीक्षक का डर सवार रहता है । विवश हो कर विक्रेता को निरीक्षक की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है । इस प्रकार जहां एक ओर आप शुद्ध वस्तुओं के उपलब्ध

होने का उपबन्ध कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर विक्रेताओं से बेईमानी से धन कमाने वाले अनेक निरीक्षकों को भी जन्म दे रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध वस्तुओं के विकने का प्रबन्ध नहीं हो सकेगा। भ्रष्टाचारी विक्रेता अपना गन्दा व्यापार चलाता रहेगा, निर्दोष विक्रेता कष्टों को सहते रहेंगे और खाद्य निरीक्षकों को लगातार पेंशन सी मिलती रहेगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे आप खण्ड १९ के उपबन्धों के सिद्धान्तों के आधार पर जांच करें, परन्तु उपभोक्ताओं को कोई लाभ न पहुंचाते हुए, खाद्य निरीक्षक अपनी जेबें भरते रहेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि जब तक विधेयक में यह खण्ड १९ रहेगा, खाद्य निरीक्षकों के लिये बदमाशी करने का अप्रत्यक्ष द्वार खुला रहेगा।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी--दक्षिण) : मेरे विचार में खण्ड १९ उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि श्री टेक चन्द जी ने बताया है। उन्हों ने उस खण्ड को ऐसे ही समझ लिया है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की मारपीट अथवा हत्या आदि की धारा को समझा जाता है। उन्हों ने यह भी नहीं सोचा कि अभियोजन किस प्रकार से होता है।

एक विक्रेता ने कोई वस्तु बेची, और खरीदने वाले व्यक्ति ने विश्लेषक से यह प्रमाणपत्र ले लिया कि वह खाद्य वस्तु अपमिश्रित है--तो स्पष्ट रूप से विक्रेता अपराधी है। माननीय मित्र टेक चन्द जी कहते हैं कि प्रमाण का भार अपराधी पर न डाला जाय। जब विश्लेषक ने प्रमाणित कर दिया है कि वस्तु अपमिश्रित है तथा विक्रेता का अपराध स्पष्ट है तो यह कहना कि प्रमाण का भार अपराधी पर क्यों डाला गया है, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

वास्तव में जो व्यक्ति किसी अपमिश्रित वस्तु का विक्रय कर रहा है दोषी तो वही है। अतः यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है कि कोई अन्य निर्माता उस के निकट अथवा दूर बैठा हुआ है। निर्माता को भला कैसे दोष दिया जा सकता है क्योंकि वास्तव में खाद्य वस्तु को भ्रष्ट करने का उत्तरदायित्व तो विक्रेता पर है। श्री टेक चंद जी ने केवल डिब्बों में बन्द ओवल्टीन आदि जैसी वस्तुओं पर ही विचार किया है, परन्तु यहां नित्य प्रति गली कूचों में अपमिश्रित खुली तथा कच्ची भोजन वस्तुयें बेची जाती हैं जो हमारे देश को अकथनीय हानि पहुंचा रही है। अभी हम ने सुना था कि एक रहस्यमयी बीमारी कई ज़िलों में फैली हुई है, हो सकता है कि इन अपमिश्रित खाद्य वस्तु विक्रेताओं के कारण ही यह दुसह रोग फैला हो। इन सब बातों को देख कर मैं कहूंगा, कि खंड १९ अत्यन्त समुचित है।

खंड १९ के उप-खंड १ में लिखा है :

> "अपमिश्रित तथा विरूपित खाद्य वस्तु के विक्रय से सम्बन्धित किसी अपराध के अभियोजन में केवल यह कहना कि विक्रेता उस के द्वारा विक्रय की गई वस्तु के गुण प्रकार, वास्तविकता अथवा विशेषता से अनभिज्ञ था, कोई प्रतिवाद नहीं होगा।"

माननीय मित्र ने कहा है कि अभियोजन के पूर्व केवल सात दिन की अवधि दी गई है। परन्तु इस प्रकार से सोचना गलत है, क्योंकि इस समय में यह समय भी जोड़ दिया जाना चाहिये, जिस में विश्लेषक द्वारा उक्त वस्तु का विश्लेषण कराया जायगा। लगभग दो महीने का समय वहां लग जायगा। इस के पश्चात् ही उस से परिपण मांगा जायगा।

श्री टेकचन्द : अपनी सफाई देने से पूर्व।

श्री धुलेकर : मेरा आशय यह है कि विक्रेता को उसी समय जब कि उस से नमूना

[श्री धुलेकर]

लिया जाता है और विश्लेषण के लिये भेजा जाता है यह समझ लेना चाहिये कि उस पर अभियोग चलाया जायगा। माननीय मित्र ने इस समय को ध्यान में नहीं रखा है। अभियोग चलाये जाने से पूर्व दो महीने का समय तो वैसे ही मिलेगा, इसलिये मेरे विचार में यह सात दिन की अवधि भी अधिक है।

श्री टेक चंद जी ने यह भी कहा है, कि प्रत्येक भोजन वस्तु विक्रय होन से पूर्व प्रयोग-शाला से प्रमाणित कराई जाय। परन्तु उन्हों ने यह नहीं सोचा है कि यह संभव कैसे हो सकेगी—इसके लिये लाखों रुपये का व्यय करना पड़ेगा। हज़ारों प्रयोगशालायें खोलनी पड़ेंगी।

दिल्ली को छोड़िये, मैं आप को देश में छोटे नगरों में विक्रय की जाने वाली भोज वस्तुओं के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। छोटे छोटे नगरों में भोजन वस्तुओं को मक्खियों से भी नहीं बचाया जाता है और किसी वस्तु को ढका भी नहीं जाता हे। चीज़ें भी गली सड़ी ही बिकती हैं। यह सब कुछ तभी ठीक हो सकता है, जब विक्रेताओं को तंग किया जाय।

कल्पना कीजिये कि कुछ डिब्बे बन्द बिस्कुट जिन पर 'ग्लैक्सो बिस्कुट' की छाप लगी हो बिक रहे हों, परन्तु विश्लेषण पर यह स्पष्ट हो जाय कि इन में ग्लैक्सो का कोई अंश भी नहीं है और केवल ख़राब चीनी इन में डाली गई है तो विक्रेताओं को यदि जेल भेज दिया जाय, तो मेरे विचार में यह कोई बुरा काम न होगा। क्योंकि इस से उन बिस्कुटों के निर्माताओं की आंखें खुल जायेंगी और इस के बाद उन के बिस्कुटों का कोई ग्राहक न रहेगा।

श्री टेकचंद : परन्तु निर्माता जेल तो नहीं जायगा। वह तो केवल जेल जाने वालों को देखेगा और गवाह होगा।

श्री धुलेकर : यदि विक्रेता जेल भेजे जाते हैं तो इस में बदनामी तो निर्माता की ही होगी और उस की वस्तु का कोई ख़रीदार नहीं रहेगा। हमें तो केवल उन्हीं को पकड़ना है, जो खुले बाज़ार में ऐसी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। पूंजीपति का इस में उत्तरदायित्व है या नहीं इसे हम नहीं जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिये स्वयमेव ज़िम्मेदार है।

एक बात और भी कही गई है, कि इससे रिश्वत और घूंसखोरी बढ़ जायगी। यदि आप इस युक्ति का आश्रय लेंगे, तो कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती है। माननीय मित्रों ने खाद्य निरीक्षकों की नियुक्तियों की आलोचना ही की है परन्तु यह नहीं बताया है कि फिर किया क्या जाय। अतः इस तर्क में कोई शक्ति नहीं है।

मेरे विचार में यह खंड बहुत लाभदायक है इसलिये लोक सभा इसे स्वीकार करे।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : माननीय सभापति जी, मेरे मित्र धुलेकर साहब ने अभी अभी जो फ़रमाया है उस के तत्व से मैं आम तौर पर सहमत हूं। इस में शक नहीं कि जहां तक अन्न के मिश्रण वग़ैरह का सम्बन्ध है छोटे छोटे वेंडर्स के ही ऊपर सब से बड़ी ज़िम्मेदारी है। आम तौर पर हम देखते हैं कि वह इस प्रकार के अन्न या अन्न की बनी हुई चीज़ें बेचते हैं और उन में जो मिलावट होती है उस की ज़िम्मेदारी प्रमुखतया उन्हीं पर होती है। इस सेक्शन के ज़रिये जो उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है वह उचित है और इस प्रकार की कार्यवाही के बग़ैर हम आगे बढ़ सकेंगे ऐसा दीखता नहीं है। श्री टेकचन्द साहब ने एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिलाया था। वह यह कि इस से एक इंस्पैक्टरों की नई क्लास पैदा हो जायगी और वह रिश्वत का बाज़ार गर्म कर देंगे। इस में शक नहीं कि आज

हमारे देश में जो वातावरण है उस में इस प्रकार की बात होने की सम्भावना है। लेकिन महज़ इस सम्भावना को सामने रख कर अगर हम इस क्लाज़ को निकाल दें और इस प्रकार की पावर्स को निकाल दें तो क्या होगा। ऐसा करने से जो आल्टर्नेटिव होगा उस को भी हमें देखना चाहिये। वह सूरत और भी ज्यादा बुरी होगी। इसलिये आज की हालत में इस प्रकार के क्लाज़ के बग़ैर और कोई चारा नहीं दिखायी देता है। हम को कुछ ऐसा करना चाहिये कि इन इंस्पैक्टरों के ऊपर कुछ पाबन्दी हो कि वह लोगों को परेशान न कर सकें और ठीक प्रकार से इस क़ानून पर अमल करवा सकें। हमें कुछ इस प्रकार से व्यवस्था रखनी चाहिये।

एक बात में मैं धुलेकर साहब से थोड़ा सा असहमत हूं। वह यह कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई अन्न की चीज़ तैयार करता है और वह उस के सील बन्द टीन में या कार्डबोर्ड पैकिट में होती है और जिस में वेंडर को कोई शुबहा नहीं होता कि उस में मिलावट है, उस के ऊपर जब कोई कार्यवाही की जाय तो उस वेंडर के ऊपर न की जाय बल्कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर की जाय। टेक चन्द साहब ने एक सुझाव दिया कि वह चीज़ तैयार होने के बाद सरकार के पास टैस्ट के लिये भेजी जाय और उस के बाद उस को बिकने की इजाज़त दी जाय। यह चीज़ बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए हो सकती है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ तैयार करता है और एक ब्रांड के ज़रिये उस को सामने लाता है तो वह उस की पहले गवर्नमेंट से तस्दीक़ करवा ले और फिर उस को उस ब्रांड को प्रचलित करने की इजाज़त दी जाय और अगर इस के बावजूद भी कोई गड़बड़ हो तो उस की ज़िम्मेदारी उस वेंडर पर नहीं होनी चाहिये बल्कि उस मैन्युफैक्चरर पर होनी चाहिये। धुलेकर साहब का जो इस सम्बन्ध में ख्याल है वह यह है कि हिन्दुस्तान में वेंडर तो तमाम जगह रहते हैं पर मैन्युफैक्चरर तो एक जगह रहेगा।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। हम इस समय केवल खंड १९ पर विचार कर रहे हैं। निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही की जाय अथवा नहीं, यह सब इस से बाहर के विषय हैं। माननीय सदस्य को चाहिये कि वह इस खंड तक ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री हेडा : मैं यह ही चाहता था कि इस क्लाज़ (खंड) के तहत में जो हम कार्यवाही वेंडर के खिलाफ़ करते हैं, उस कार्यवाही में जहां पर कि मैन्युफैक्चरर की ज़िम्मेदारी है वहां वेंडर को सहूलियत दे दी जाय और उस के लिये वेंडर के खिलाफ़ कार्यवाही न की जाय। उस सम्बन्ध में अगर कोई कार्यवाही हो तो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ़ हो। जहां तक दूसरी चीजों का सम्बन्ध है.....

सभापति महोदय : लेकिन खंड १९ में निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में कुछ भी नहीं है।

श्री हेडा : निस्संदेह मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई वस्तु डिब्बे में बन्द हो और उस पर मुहर छाप लगी हुई हो, तो ऐसे मामले में विक्रेता पर अभियोग नहीं चलाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं उन की इस इच्छा की प्रशंसा करता हूं, परन्तु वह अपना भाषण इस खंड तक ही सीमित रखें। क्योंकि ऐसा कोई संशोधन नहीं है, अतः उन के सारे सुझाव व्यर्थ हैं।

श्री हेडा : मैं प्रार्थना कर रहा था कि डिब्बे में बन्द तथा मुहर लगी हुई वस्तुओं के विक्रेताओं को अभियोजन से उन्मुक्त किया जाय, तथा निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) उठे—

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह संक्षेप में बोलें, क्योंकि हम ने इस पर ही पर्याप्त समय ले लिया है ।

श्री राघवाचारी : मैं केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । पृष्ठ १२ की पंक्ति २० में लिखा है "सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति के प्राप्त हो जाने के सात दिन भीतर" । इस प्रकार अपराधी से इस अवधि में परिपण मांगा गया है । परन्तु यह प्रति विक्रेता के पास कब और कैसे पहुंचेगी यह बात स्पष्ट नहीं है । वास्तव में इस प्रकार का उपबन्ध करने वाली कोई भी धारा नहीं है । खंड १९ में किसी स्थान पर यह नहीं कहा गया है कि रिपोर्ट की एक प्रति अपराधी को भेजी जायगी । यह प्रति तो अभियोजक के पास पहुंचेगी, परन्तु अपराधी को इस सम्बन्ध में कैसे पता लगेगा । अतः परिस्थितियों के अनुसार बाद में अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा । अतः इस समय यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिये कि एक प्रति अपराधी को भी भेजी जायगी ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रवर समिति का एक सदस्य होने के कारण, मैं इस खंड का समर्थन करता हूं । वास्तव में यह विधेयक लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये बनाया जा रहा है । इंग्लैंड तथा अन्य देशों में भी इस प्रकार की विधियां हैं—वहां पर तो स्वास्थ्य अधिनियम भी है ।

मैं सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं कि एक हत्यारे को इसलिये दंड दिया जाता है कि उस ने एक जीवन को समाप्त किया है । इसी प्रकार जो लोग अपमिश्रण कर के, लाखों व्यक्तियों को शनैः शनैः मौत के घाट उतारते हैं, क्या उन पर दया की जानी चाहिये ? यह तो ठीक है कि धन की कमी के कारण कोई व्यक्ति सस्ता भोजन खरीदे परन्तु इस का यह अर्थ तो नहीं होना चाहिये कि उसे कीटाणु मिश्रित भोजन मिले और ऐसा भोजन खाने से उस के बच्चों को क्षय रोग हो जाय ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान्, सूचना के हेतु पूछना चाहता हूं कि क्या अपमिश्रित खाद्य से क्षय रोग भी हो जाता है ?

श्री एस० एस० मोरे : यद्यपि मैं श्री चौधरी की तरह से क्षय विशेषज्ञ नहीं हूं, फिर भी मैं एक उदाहरण आप के सामने रख सकता हूं । डा० लोहाकड़े ने, जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, मुझे बताया था कि उन्हें क्षय रोग इसलिये हुआ था कि वह एक क्षय पीड़ित गाय का दूध पीते रहे थे ।

श्री टेक चंद : यह अपमिश्रित कैसे था ?

श्री एस० एस० मोरे : यदि श्री टेक चन्द "अपमिश्रित" शब्द की परिभाषा पढ़ें तो उन्हें पता चल जायगा, कि यह दूध भी अपमिश्रित ही था ।

अब छोटे विक्रेताओं के पास यही एक मार्ग है, कि वह विक्रय से पूर्व खाद्य के सम्बन्ध में थोक व्यापारी से एक परिपण ले लें ।

सभापति महोदय : क्या लिखित परिपण प्राप्त करने के बारे में इस खंड में कोई उपबन्ध है ?

श्री एस० एस० मोरे : उस को निर्धारित करना होगा । कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुयें बना रहा है, परन्तु वह व्यक्ति जो उन वस्तुओं को उस निर्माता से ले कर विक्रय करेगा, यह कह सकता है कि पहले मुझे इस के सम्बन्ध में परिपण दीजिये । निर्माताओं को यह बात स्वीकार

करनी पड़ेगी । पूना नगर में इसी प्रकार से हुआ था । वहां जब दूध वालों पर अभियोग चलाया जाने लगा तो उन्हों ने अपना एक संघठन बनाया और नियंत्रण प्रणाली चालू की । ठीक इसी प्रकार का संगठन इन विक्रेताओं को भी करना होगा । इस परिपण प्रणाली से निर्दोष व्यक्ति बच जायगा--वह अपने प्रतिवाद में उसे दिखा सकेगा और उस का वह प्रतिवाद स्वीकार कर लिया जायगा । फिर बाद को उस व्यक्ति की बारी आयगी जिस ने वह परिपण दिया होगा । सरकार तब निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर--दक्षिण) : किस विधि के आधीन कार्यवाही की जा सकेगी ?

सभापति महोदय : इस बारे में जो संशोधन था, वह अस्वीकृत हो चुका है अब श्री जैन पूछ रहे हैं कि किस विधि के आधीन उस के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री एस० एस० मोरे : हमें "अपमिश्रण" शब्द की परिभाषा को देखना पड़ेगा ।

सभापति महोदय : एक अन्य उपबन्ध के आधीन हमें प्रथक कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री एस० एस० मोरे : कल्पना कीजिये कि मुझ पर अभियोग चलाया गया है । मैं परिपण प्रस्तुत करूंगा । तब सरकार परिपण देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करेगी और वह कार्यवाही पृथक होगी ।

यह नया काम है और एक नया प्रयोग है । हम अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे । हो सकता है कि इसे लागू करने के बाद इस की कमियां प्रकट हों, और तब सरकार इन को ठीक कर लेगी । परन्तु हमें कुछ कार्य तो इस दशा में आरम्भ करना ही है । इस का परिणाम देश के लिये अच्छा ही होगा ।

सभापति महोदय : हम ने इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद कर लिया है । मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य अब नये तर्क प्रस्तुत करें तथा संक्षेप में भाषण दें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा । यह खंड अपमिश्रित खाद्य पदार्थों से लोगों की रक्षा करेगा । साधारणतयः वनस्पति ही आजकल अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है । यहां पर सीधा काम न कर के तनिक उलट फेर कर दिया गया है । इस विधि का वास्तविक अभिप्राय वनस्पति घी को रोकना ही है ।

सभापति महोदय : वास्तव में माननीय सदस्य ने गत दो दिनों की कार्यवाही नहीं देखी है । इस विषय पर पूर्ण रूप से वाद विवाद हो चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि इस खंड का वनस्पति से कोई सम्बन्ध नहीं है (**अन्तर्वाधायें** ।)

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं परिपण के प्रश्न पर आता हूं । वास्तव में इस खंड के आधीन किसी छोटे विक्रेता पर अभियोग चलाया जाना है । अब प्रश्न है किसी अपमिश्रित ग़लत ब्रांड की वस्तु के विक्रय का । मैं यही सोच रहा था कि इस परिपण को सिद्ध करना अथवा अदालत में प्रस्तुत करना कितना कठिन हो जायगा ।

वास्तव में होता क्या है ? डालडा उत्पादनों का विक्रय करने वाले अपनी रक्षा के लिये बहुत बुद्धिमान विधि-वेत्ताओं को रखते हैं । वह लेबल लगाते हैं "वनस्पति उत्पाद" का, परन्तु बाजार में जा कर नगाड़ा बजा कर विज्ञापन करते हैं इस ढंग से :

> "बढ़िया घी आ गया है, नये तरह का घी आ गया है, बहुत अच्छा है, खाने में बड़ा बलदायक है ।"

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

यद्यपि उस में डालडा वनस्पति, उद्जनित वनस्पति तैल पदार्थ का लेबल लगा होता है किन्तु ज़बानी परिपण वहां मौजद होता है। एक साधारण दुकानदार कैसे समझे कि यह परिपण सही है।

अभी हाल ही में यह प्रश्न उठा था कि साक्षी देने वाला व्यक्ति क्या कहेगा ? क्या कोई परिपण को प्रस्तुत कर सकता है ? क्या वास्तविक अपराधी आ कर यह कहेगा कि वही वह व्यक्ति था जिस ने परिपण दिया था ? वह तो सामान्यतः यही कहेगा कि उस ने कभी परिपण नहीं दिया था और अपराध बेचारे दुकानदार के गले पड़ेगा।

सभापति महोदय : परिपण की एक प्रति तो होगी ही।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : परन्तु यह तभी होगा जब कि आप ऐसी विधि बनायें कि जो भी इस प्रकार के पदार्थों का विक्रय करेगा उसे लिखित परिपण देना पड़ेगा। ऐसा होना अगले पचास वर्षों में ही सम्भव है जब कि लोग साक्षर हो जायेंगे। किन्तु तब तक कितने ही व्यक्तियों का जीवन तबाह हो जायगा। परिपण रहने पर भी वह केवल यही कह सकता है कि अमुक व्यक्ति ने उसे परिपण दिया था कि लोगों ने लाउडस्पीकर पर सुना था। कि वह घी था और अच्छा था इत्यादि। कोई भी इस परिपण को लिख भी सकता है।

सभापति महोदय : परिपण विक्रेता द्वारा दिया जाना चाहिये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह तो तभी होगा जब कि हम एक ऐसी विधि बनायें कि ऐसी सभी वस्तुओं के विक्रय के लिये परिपण दिया जाय। इसी लिये मैं ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा था कि यह अधिनियम वास्तविक रूप से एक वस्तु विशेष की ओर निर्देश करता है जो कि आजकल बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। यह किन्हीं दूसरे प्रयोजनों के लिये नहीं बल्कि केवल अपमिश्रण के लिये ही बनाई जा रही है। वनस्पति का कोई दूसरा प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : वनस्पति केवल अपमिश्रण के काम में ही नहीं आती है, दूसरे प्रयोजनों के लिये भी वह बनाई जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं चाहती हूं कि जो माननीय सदस्य वनस्पति के सम्बन्ध में बातें करने की इच्छा रखते हैं वह वनस्पति की चर्चा के लिये कोई दूसरा दिन देने को कहें। वनस्पति के निर्माण से इस विधेयक का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य संगत बातें कह रहे हैं।

राजकुमारी अमृत कौर : वह कह रहे कि वनस्पति का निर्माण अपमिश्रण के प्रयोजन के लिये ही होता ह।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य केवल अपमिश्रण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : कुछ भी हो, स्थिति यह है कि यह उस साधारण वैध प्रतिवाद को निर्मूल कर देता है जिसे कोई व्यक्ति साक्ष्य विधि तथा दंड प्रक्रिया संहिता के आधीन प्रस्तुत कर सकता है। यही इस का सारभूत तत्व है। आप एक ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति पर भार डाल रहे हैं जो इस विधेयक की गहराइयों को समझ नहीं सकता है।

सभापति महोदय : वास्तव में यह एक प्रकार का सुरक्षण है जो कि उपखंड १ के उपबन्धों के विरुद्ध दिया गया है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : कठिनाई यह है कि वह परिपण को किस प्रकार प्रस्तुत करेगा ?

सभापति महोदय : यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं, श्री टेक चन्द ने जो कुछ भी कहा है उसे पृष्ठांकित करता हूं। सर्वप्रथम श्री गोरे ने ऐसी विधि अथवा सिद्धान्त पुरःस्थापित किया है जिस से कि मजिस्ट्रेट न्यूनतम दंड देने के लिये भी स्वतंत्र नहीं है। इस खंड में उन्होंने सिद्ध करने का सारा भार अभियुक्त पर छोड़ दिया है। सर्वप्रथम विक्रेता को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस के द्वारा खरीदा गया भोज्य पदार्थ उसी रूप, गुण तथा प्रकार का था जैसे की खरीदार ने मांग की थी तथा किसी निश्चित प्रपत्र पर एक लिखित परिपत्र भी इस आशय का देगा कि वह वस्तु उसी रूप, गुण तथा प्रकार की है। किन्तु उन लोगों का क्या होगा जो मिठाइयां बेचने के लिये तेल या घी का प्रयोग करते हैं। वह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि उन के द्वारा उपयोग किया गया घी उसी प्रकार का है जैसा कि खरीदार चाहता है। लिखित परिपण की तब भी आवश्यकता होगी। यदि यह मान लिया जाय कि यह परिपण ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो ऐसे क्षेत्र का निवासी है जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता है तब क्या स्थिति होगी ?

श्रीमान्, मैं तो इस विचार में था कि यह विधेयक देश के उन बहुसंख्यक गरीब व्यक्तियों के हितार्थ पुरःस्थापित किया गया है जो अपमिश्रित वस्तुएं लेने को विवश हैं क्योंकि वे विशुद्ध भोजन खरीद नहीं सकते हैं।

राजकुमारी अमृत कौर : ऐसा ही है ।

श्री आर० के० चौधरी : उत्तरी भारत के लोग जो निरामिष भोजी हैं तथा दक्षिणी भारत के लोग भी जो केवल निरामिष भोजन करते हैं उन्हें शुद्ध घी तथा तेल चाहिये । मैं सभा को अपने भाषण से देर तक रोकना नहीं चाहता हूं किन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान पुनः इस ओर दिलाऊंगा कि न्यूनतम दंड की व्यवस्था तथा सिद्ध करने का भार अभियुक्त के सर डालने के उपबन्ध अत्यधिक क्रान्तिकारी हैं तथा यही सर्वाधिकारवाद का सिद्धान्त है ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : खंड १९ भाग १ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ग़लत मार्का दे कर चीज़ बनाने वाले निर्माता से खरीदे गये माल को बेचने पर उस पर अभियोग न चलाया जाय तथा वह उसे पूर्ण प्रतिवाद करने का अवसर मिले क्योंकि यह ग़लत मार्का देने का कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया गया है ।

राजकुमारी अमृत कौर : बेचारे विक्रेता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं अपराधियों को छोड़ कर किसी को दंड देना नहीं चाहती हूं। अब चाहे वह छोटा विक्रेता हो अथवा बड़ा उसे दंडित किया जायगा। मैं तो बड़े लोगों को, जिन के पास रुपया है दंड दिये जाने को अधिक इच्छुक हूं। यदि विधेयक में यह खंड नहीं होगा तो प्रत्येक व्यक्ति अनभिज्ञता का प्रतिपादन करेगा तथा यह अधिनियम निरुद्देश्य हो जायगा। इसलिये इस खंड को वहां रहना चाहिये।

अब यदि आप खंड २० को देखें तो आप को ज्ञात होगा ।

> "इस अधिनियम के आधीन किसी भी अपराध का अभियोग केवल राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित सहमति से अथवा के द्वारा चलाया जा सकता है।"

इस कारण यद्यपि एक छोटे विक्रेता पर, जो अपमिश्रित भोजन वस्तु की प्रकृति को नहीं जानता है, अभियोग चलाया जा सकता है तथा यह राज्य सरकार तथा स्थानीय

[राजकुमारी अमृत कौर]

प्राधिकारियों के ऊपर है कि वह मेरे द्वारा पढ़े गये खंड के अनुसार अभियोग चलाये जाने की उपयुक्तता का निर्णय करें। खंड १९ के उपखंड का अर्थात् उपखंड (२) का आशय न्यायालय में इस मामले को सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर डालना नहीं है क्योंकि मामले को सिद्ध करने का दायित्व तो अभियोग चलाने वाले पर होता है। वास्तव में उपखंड (२) विक्रेता के प्रतिवाद का उपबन्ध करता है।

अग्रेतर, जहां तक परिपण का सम्बन्ध है खंड १६ (छ) में झूठे परिपणों को दण्ड देने का उपबन्ध है। इस के अनुसार यदि कोई परिपण झूठा सिद्ध हो तो परिपण देने वाले पर पृथक अभियोग चलाया जा सकता है। आप उसे विक्रेता के साथ सह-अभियुक्त नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वैधानिक रूप से ऐसे अनुसंगम को यह कह कर कि यह गलत अनुसंगम है तथा यह दंड प्रक्रिया संहिता के खंड २ के आधीन नहीं आता है चुनौती दी जा सकती ह। अब माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों को दृष्टि में रख कर मैं पंक्ति २१ तथा २२ में पूर्णतः से इन शब्दों को "सरकारी विश्लेषक के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर ही", अपमार्जित करना चाहूंगी, मैं स्वयं इस संशोधन को रखूंगी जिस से कि परिपण किसी समय भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। मैंने ऐसे प्रयोजनों के लिये लिखित परिपण पर आग्रह किया है।

अब मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगी कि कोई भी विधान चाहे वह कितना ही पूर्ण क्यों न हो नागरिकों के साधारणतः भ्रष्ट तथा बेईमान होने पर सन्तोषजनक रूप से काम नहीं कर सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करना पसन्द नहीं करती कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति बेईमान है। निस्संदेह बेईमानी है तथा हमें ग़रीबों की रक्षा के लिये विधान बनाना चाहिये। मैं यहां धनिकों की रक्षा के लिये नहीं प्रत्युत गरीबों की रक्षा के लिये हूं। मैं सोचती हूं कि यह अपमिश्रण की विपत्ति कितनी भयानक है तथा मैं मानवता के विरुद्ध किये जा रहे इस अपराध के लिये उन लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहूंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुचेष्टा के सम्बन्ध में कहा है। बहुत से मामलों में कुचेष्टा निकटवर्ती तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर रहती है तथा समस्त विश्व के वर्तमान सामाजिक विधान में तथा यहां भी, कुचेष्टा आपराधिक दायित्व के लिये एक अग्रगामी शर्त नहीं मानी जाती है। इसलिये मैं कहती हूं कि खंड १९ वहीं रहे तथा मैं इस की पंक्तियों २१ तथा २२ में से अपने द्वारा उल्लिखित शब्दों को हटा कर इसे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत करती हूं।

श्री एस० एस० मोरे : इस विशेष उपबन्ध के अनुसार यह पूर्व अभियोग स्थिति है। नोटिस प्राप्त होता है, अभियोग चलाये जाने पर भी उसे परिपण प्रस्तुत करना होता है तथा वह यह कह कर अपना प्रतिवाद कर लेता है "कि मैंने लिखित परिपण के आधार पर कार्य किया है" तथा उसे साक्ष्य के रूप में उपस्थित कर देता है। तब वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता ह। यदि हम १५ दिन की अवधि रखते हैं तो अभियोग चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो अभियोग चलाये जाने पर यदि लिखित परिपण प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सारा परिश्रम व्यर्थ जायगा। समय बढ़ाया जाना चाहिये, सात दिन बहुत कम होंगे। ऐसा करने से हम उसी व्यक्ति को हानि पहुंचायेंगे जिसे बताने के लिये हम समय सीमा निश्चित करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : इस समय सभा के पास इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं है। मैं सोचता हूं कि संशोधन की समस्त जटिलताओं पर पहिले ही विचार करना होगा, इस के अतिरिक्त श्री एस० एस० मोरे द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत सार्थक है। मैं सोचता हूं कि सार्थक प्रश्न इतना ही है कि यदि वह परिपण प्रस्तुत कर देता है तो उसे मुक्त हो जाना चाहिये। जहां तक श्री मोरे के प्रश्न का सम्बन्ध है सरकार के अभियोग चलाने के पहिले ही विक्रेता निरीक्षक को यह कह कर सन्तुष्ट कर सकता है कि उस के पास परिपण मौजूद है, यदि वह अभियोग प्रारम्भ होने के पहिले परिपण प्रस्तुत कर दे तो अभियोग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सात रोज की अवधि का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

राजकुमारी अमृत कौर : सात रोज के सम्बन्ध में इतना कुछ कहा गया है। यदि सभा की यह इच्छा हो कि सात रोज की अवधि को पन्द्रह रोज कर दिया जाय मैं ऐसा करने को पूर्णतः प्रस्तुत हूं।

सभापति महोदय : सभा के समक्ष इस प्रयोजन का कोई संशोधन नहीं है।

राजकुमारी अमृत कौर : परिपण देने का भार विक्रेता पर है और उसे यह देना ही है.....

सभापति महोदय : यदि परिपण समय सीमा में दिया गया तो सरकार शायद उस पर अभियोग न चलाये, अपितु वह निर्माता पर अभियोग चलायेगी।

राजकुमारी अमृत कौर : अभियोग चलाये जाने से पूर्व विक्रेता को खाद्य निरीक्षक के समक्ष परिपण प्रस्तुत करना चाहिये नहीं तो उसे अभियोग चलने पर अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। परिपण तो उसे देना ही पड़ेगा। इस उपबन्ध को कुछ उदार बनाया जा सकता है।

सभापति महोदय : अभियोग चलाये जाने के बाद यह खंड प्रभावी होता है। यदि परिपण नहीं प्रस्तुत किया जायेगा तो सरकार विक्रेता पर अभियोग चलायेगी, परन्तु उस के प्रस्तुत किये जाने पर सरकार निर्माता पर अभियोग चला सकती है। परिपण प्रस्तुत न किये जाने की अवस्था में ही सात दिन का प्रश्न उत्पन्न होगा। विश्लेषण की प्रतिलिपि तो विक्रेता के पास होगी नहीं, तो फिर वह सात दिन में कैसे कार्यवाही कर सकता है? जहां तक समय सीमा का सम्बन्ध है इस उपबन्ध को निकाल देना ही ठीक रहेगा। यह कुछ ठीक नहीं जंचेगा।

राजकुमारी अमृत कौर : यही तो मैं भी कहती हूं।

सभापति महोदय : केवल परिपण प्रस्तुत करने से ही वह मुक्त नहीं हो जायेगा; उसे उस परिपण को सिद्ध करना पड़ेगा।

राजकुमारी अमृत कौर : सरकार तब तक अभियोग नहीं चलायेगी जब तक कि उसे निश्चित न हो जायेगा कि अभियोग चलाया जा सकता है। यदि परिपण ठीक होगा तो सरकार उस पर विचार करेगी। मुझे बताया गया है कि खंड १९ एक बड़ा खंड है और मैं विक्रेताओं के लिये कठिनाइयां उपस्थित कर रही हूं। परन्तु मेरा कहना यह है कि यह खंड अवश्य होना चाहिये। जहां तक समयावधि का सम्बन्ध है.....

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों ने समस्त खंड १९ पर नहीं अपितु उस के कुछ भागों पर आपत्ति की थी। स्वयं माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया कि वह सात दिन की अवधि सम्बन्धी शब्दावलि को बदलना चाहती थीं। अब सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या संशोधन किये जायें। यदि वह इस विधेयक के अन्य खंडों के समाप्त होने से पूर्व संशोधनों

[सभापति महोदय]

की पूर्व-सूचना देते हैं तो मैं उन पर इस सभा में चर्चा किये जाने की अनुमति दे दूंगा और फिर बाद को सभा अपना निर्णय स्वयं कर सकती है । इस मामले को समाप्त करने का यह उपयुक्त तरीक़ा है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि की प्राप्ति की समयावधि के सम्बन्ध में कठिनाई है । क्या वह विक्रेता को दी जाने को है ? यदि दी जाने को है तब तो कठिनाई की बात मेरी समझ में आती है, परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि उसे नहीं दी जानी है ।

सभापति महोदय : किसी सुविचारित संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर हम इस प्रश्न पर जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है चर्चा कर सकते हैं । अन्य खंडों के समाप्त हो जाने पर हम इसे लेंगे ।

राजकुमारी अमृत कौर : क्या आप माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करन के लिये पन्द्रह मिनट का समय देने की कृपा करेंगे ?

सभापति महोदय : जैसे ही संशोधन तैयार हो जायेंगे हम उन को ले लेंगे ।

राजकुमारी अमृत कौर : सफ़ाई तो विक्रेता के द्वारा अभियोग चलाये जाने से पूर्व ही दी जा सकती है ।

सभापति महोदय : माननीया मंत्री केवल तर्क कर रही हैं । इस तरह से तो चर्चा का कोई अन्त ही नहीं रहेगा । किसी संशोधन के प्रस्तुत किये जाते ही हम उस पर विचार करेंगे । जहां तक सात दिन की अवधि का प्रश्न है मैं प्रत्येक संशोधन को स्वीकार कर लूंगा ।

नवीन खंड १९ क

श्री मूलचन्द दुबे : इस अधिनियम में यह ध्यान रखा गया है कि समस्त अधिनियम एक साथ ही सभी राज्यों में लागू न किये जायें; कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां यह अधिनियम लागू न हो । यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे क्षेत्र में रह रहा हो जहां यह खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू न हो, परिपण् प्रस्तुत करता है तो वास्तव में उसे निर्दोष समझा जाता है । अर्थात् झठा परिपण प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध कोई उपबन्ध नहीं हैं । अधिनियम जिस क्षेत्र में लागू है उस से बाहर के व्यक्तियों को फंसाने के लिये ऐसे किसी उपबन्ध का होना आवश्यक है ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : क्या सामान्य विधि में इसे धोखादेही समझा जायगा ? तो फिर विशेष उपबन्ध क्यों रखा जाय ।

राजकुमारी अमृत कौर : खंड १ के इस प्रस्तावित विलोपन को ध्यान में रखते हुए कि "धारा ७ किसी राज्य में केवल उसी तिथि से प्रभावी होगी जिसे राज्य सरकार किसी समान अधिसूचना के द्वारा निश्चित करे तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य के विभिन्न भागों के लिये विभिन्न तिथियां निश्चित की जा सकती हैं ।" माननीय सदस्य श्री दुबे का संशोधन आवश्यक नहीं है ।

श्री मूलचन्द दुबे : तो मैं उस पर आग्रह नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय : अब हम खंड २० को लेंगे ।

खंड २०—(अपराधों का निगृहण तथा विचार)

श्री एन० एस० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२, पक्ति ३८ के अन्त में यह जोड़ दिया जाय—

"or by a purchaser mentioned in section 12."

("अथवा धारा १२ में उल्लिखित किसी खरीदार द्वारा")

जो दफ़ा २० में अख्त्यारात दिये गये हैं कि चन्द असहाब को या चन्द जमातों को यह हक़ है कि वह मुक़दमा चला सकते हैं इस क़ानून के मातहत, उस में मैं यह तरमीम करना चाहता हूं कि यह इज़ाफ़ा कर दिया जाय कि अगर कोई खरीदार, जिस का कि दफ़ा १२ में ज़िक्र है, चाहे तो वह भी ऐसा मुकदमा चला सकता है। दफ़ा १२ में पर्चेज़र यानी खरीदार को अख्त्यार दिया गया है कि वह भी जब चीज़ खरीदे तो उस का नमूना उसी तरीक़े से ले सकता है जिस तरीक़े से कि फूड इन्स्पैक्टर, और यह तरमीम खुद सरकार की तरफ़ से आई है। मेरी तरमीम भी थी, लेकिन सरकार ने खुद इस को मंजूर कर लिया है कि खरीदार को वह तमाम तरीक़े इस्तेमाल करने देगी जो दफ़ा ११ में फूड इन्स्पैक्टर के लिये रखे गये हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई खरीदार उन तरीक़ों के मातहत कोई चीज़ खरीदता है और उस का नमूना पब्लिक एनालिस्ट के पास भेजता है, अपना रुपया खर्च करता है और अगर आप उस को यह अख्त्यार नहीं देते कि अगर ऐडल्ट्रेशन साबित हो जाय तो वह मुक़दमा चला सके तो मैं समझता हूं कि कोई भी खरीदार इस झमेले में नहीं पड़ेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार की तरफ़ से इस के बारे में क्या कहना है, क्योंकि खुद उस की ही यह तरमीम है। शायद उस की तरफ़ से यह कहा जाय कि खरीदार को चाहिये कि वह लोकल अथारिटी को दख्वास्त दे या जो मौजूदा सरकार हो उस को ख्वास्त दे कि मैं ने इस तरीक़ों की कायवाही की है लिहाज़ा उस आदमी पर मुक़दमा चलाया जाय। मैं समझता हूं कि यह चीज़ भी ग़लत होगी। जो लोकल अथारिटीज़ या सरकार होती है उस का काम जिस तरीक़े से होता है उस से जो उम्मीदें हो सकती हैं वह इतनी नाकाफ़ी हैं कि किसी शख्स को प्रोत्साहन नहीं होगा कि वह खरीदार बन कर इस तरह से कार्यवाही करने को सहमत हो। इसलिये मेरी दख्वास्त है कि इस को देख लिया जाय और मुनासिब समझा जाय तो इस में इस का इज़ाफ़ा कर दिया जाय।

श्री एस० एस० मोरे : इससे पहले कि आप संशोधन को सभा में प्रस्तुत करें, मैं यह जानना चाहता हू कि अनुमति कौन देगा ? यदि यह सशोधन स्वीकार हो जाता है तो इसका अर्थ होगा कि धारा १२ के अधीन क्रेता ने जो व्यक्ति नियुक्त किया है, वह अनुमति देगा।

सभापति महोदय : "अथवा धारा १२ में उल्लिखित क्रेता द्वारा" शब्द अन्त में आयेंगे। इसकी भाषा यह भी हो सकती है "धारा १२ में उल्लिखित क्रेता के अतिरिक्त किसी के द्वारा"। अर्थात्, यह राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति से होना चाहिये।

प्रस्तुत संशोधन में कहा गया है कि यह "क्रेता द्वारा" हो। उसे अभियोग चलाने का अधिकार हो। जहां तक भाषा का संबंध है, 'लिखित अनुमति' शब्द बाद में आते हैं यदि ये शब्द अन्त में आते हैं तो इसका वह निर्वचन हो सकता है जो श्री मोरे बताते हैं श्री मोरे कहते हैं कि यह ".. ..धारा १२ में उल्लिखित क्रेता के अतिरिक्त या....की लिखित अनुमति से" हो।

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि सगत धारा के अधीन क्रेता को अभियोग चलाने का अधिकार पहिले ही दिया हुआ है। और हम क्रेता को सीधे अभियोग चलाने का अधिकार नहीं देना चाहते।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे मित्र नेमी शरण जी ने आप के सामने संशोधन रखा है वह बड़ा ही महत्व का है। यदि वह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा और इस ऐक्ट में नहीं आवेगा, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रिणी जी की राय है कि गवर्नमेंट यह संशोधन नहीं चाहती तो मेरी समझ में यह जो आप का ऐक्ट है यह ऐसा का ऐसा ही रह जायगा और इस में कुछ भी नहीं होगा। इस में लिख दिया गया है कि गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना प्रासीक्यूशन होगा ही नहीं, तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से कारवाई करती है और कहां ऐक्टिव रहती है और गवर्नमेंट से कंसेंट लेने में कितना समय लगता है।

११ म० पू०

इस को देखते हुए मेरी समझ में कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने, प्रारम्भ में ही कह दिया था कि अगर यह ऐक्ट आवे तो ऐसा होना चाहिये कि सचमुच कुछ कारवाई की जा सके। यह जो क्लाज २० में दिया हुआ है कि अगर इंस्पेक्टर कोई केस लावें और अदालत में जायें उस के पहले सरकार की रजामन्दी लेनी चाहिए ताकि केस लाने के पहले गवर्नमेंट को उस चीज़ की अच्छी तरह से जांच करने को मौका मिल जाय। जहां तक इंस्पेक्टरों का सवाल है यह बात ठीक है। परन्तु यह जो क्लाज़ १२ दिया गया है और उस में जो बातें लिखी गयी हैं मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्लाज़ १२ फिर क्यों दिया गया है। क्या कोई परचेजर अपनी खुशवक्ती के लिए किसी के यहां से चीज़ लेगा, अपना पैसा खर्च कर के एनेलाइज़ करावेगा और फिर कह देगा कि यह चीज़ खराब है इसलिए वेंडर से इस का पैसा ले लिया जाय। इस का क्या मतलब हुआ यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से पूछंगा कि यह चीज़ क्लाज़ १२ में क्यों दी गयी है यदि परचेज़र को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोर्ट में जा सके और पब्लिक को बतला सके कि फलां आदमी खराब चीज़ बेचता है, उस को प्रासीक्यूट कर दिया जाय हम वह तरदुद लेने के लिए तैयार हैं, कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं कि हम उस को प्रासीक्यूट करें, तो फिर सरकार उस के बीच में क्यों आती है। यदि हमारा केस ठीक है तो हम कोर्ट को बतला सकते हैं कि फलां व्यक्ति या मैन्युफैक्चरर या कोई भी हो, वह ग़लत काम करता है और वह लोगों के लिए हानिकारक है। हम कोर्ट में जाकर यह साबित कर सकते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आया कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने क्यों उठकर तुरन्त ही कहा कि सरकार इस के विरुद्ध है। क्यों सरकार इस के विरुद्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं संसद सदस्यों से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह संशोधन आप लोग ज़रूर पास करें यदि आप इस ऐक्ट को किसी भी काम में लाना चाहते हैं। यदि इसको आप डैड लेटर बनाना चाहते हैं तब तो ठीक है। अभी तक जितने भी ऐक्ट आये ह वह समूचे डैड लेटर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने भी शुरू में कहा था कि यह जो ऐक्ट है इस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इस बारे में उन को तरदुद था। उन्होंने हम को लिखा था। परन्तु जब कारवाई करने का सवाल आता है तो वे विरोध में खड़ी हो जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि वे क्यों विरोध में खड़ी हो जाती हैं। जो बातें कही गयी हैं वे मेरी समझ में नहीं आयीं इसलिये मैं फिर आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छी तरह से विचार करें और विचार कर के इस संशोधन को ज़रूर स्वीकार करें।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिन्डा): सभापति महोदय, हम महसूस करते हैं कि यदि इस अधिनियम को प्रभावशील बनाना है

तो इस में यह संशोधन अवश्य होना चाहिये मेरे माननीय मित्र के मतानुसार जब कि हमने क्रेता को यह विकल्प दे दिया है कि यदि वह विक्रेता को अपनी इस इच्छा से सूचित कर देता है कि वह खाद्य का विश्लेषण कराना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, इस स्थिति में यह संशोधन आवश्यक है। हम यह कार्य केवल स्थानीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को ही क्यों दें? वे ऐसा करने में बहुत सुस्त हैं। और इस से भ्रष्टाचार का द्वार खुल जायेगा। यदि इसमें विकल्प है और क्रेता भी मामले को आगे बढ़ा सकता है तो निरीक्षकगण तथा अन्य प्राधिकारी सावधान रहेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि यदि वे कार्यवाही नहीं करते हैं तो अन्य व्यक्ति आदि कार्यवाही कर सकते हैं और इसलिए उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अतः मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर पुनः विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर–उत्तर-पूर्व) : अपने स्वास्थ्य मंत्रिणी की कार्यवाहियों से जो कुछ हम ने देखा है उस से हमारा यह ख्याल बन गया था कि स्वास्थ्य मंत्रिणी देश के स्वास्थ्य की आकांक्षा रखती हैं। हमने यह कभी न सोचा था कि वह राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करते समय अपराधियों का भी इतना ध्यान रखेंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि वह उस व्यक्ति से, जिसे कोई ठग या धोकेबाज भारी हानि पहुंचाता है, न्यायालय में जाने तथा उस पर अभियोग चलाने का अधिकार क्यों छीनती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो रुख अपनाया है वह मेरी समझ में नहीं आता। यदि निरीक्षक-गण अथवा अन्य अधिकारी अभियोग चलाते हैं, तो यह बिल्कुल ठीक है कि सरकार अनुमति दे। परन्तु जब वह व्यक्ति, जिसे हानि पहुंचाई गई है, न्यायालय में जाना तथा अपराधी को दण्ड दिलाना चाहता है, तो इस में सरकार की अनुमति का प्रश्न कहां आता है? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को यह स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्यथा सारा अधिनियम बेकार हो जायेगा।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : खण्ड २० में संशोधन करने के पक्ष में तर्कों को सुने बिना ही माननीया स्वास्थ्य मंत्रिणी ने जो तुरन्त उत्तर दे दिये हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपना निश्चय कर चुकी है और कोई भी तर्क उसे इस निश्चय से विचलित न कर सकेगा। अतः मैं प्रयास ही नहीं करूंगा.....

सभापति महोदय : यह उचित आक्षेप नहीं है। सदस्यों की इच्छानुसार उन्हों ने खण्ड १९ में भी परिवर्तन किये हैं।

श्री साधन गुप्त : परन्तु श्रीमान्, खण्ड २० के बारे में वह बहुत ही स्पष्ट रूप में कह चुकी हैं।

बात यह है कि अपमिश्रण का काम बहुत फैला हुआ है। इसे रोकना है। इसे रोकने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वास्तव में, दुखित व्यक्ति वह है जो अपमिश्रित खाद्य पदार्थ मोल लेता है। अपमिश्रण करने वाले पर अभियोग चलाने में उसे सब से अधिक रुचि होती है। और हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि उसे अपराधी पर अभियोग चलाने से वंचित कर दिया जाय।

खण्ड २० में भोले भाले व्यक्ति का नहीं अपितु अपराधी का उल्लेख है। इस में कहा गया है कि चाहे किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो, चाहे किसी ने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई हो, परन्तु जिस को हानि पहुंचाई गई वह स्थानीय सरकार, स्थानीय संस्था अथवा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी

[श्री साधन गुप्त]

अधिकारी की अनुमति के बिना उस पर अभियोग नहीं चला सकेगा। इस का परिणाम यह होगा कि खाद्य निरीक्षक छोटे छोटे व्यक्तियों पर नाना प्रकार के अभियोग चलाने लगेंगे। अतः, जब तक क्रेता को अपराधी पर अभियोग चलाने की अनुमति नहीं दी जायगी तब तक इस अधिनियम को यह खतरा घेरे रहेगा।

मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय दण्ड संहिता का उल्लेख क्यों किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता का उद्देश्य तथा प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य भिन्न भिन्न है। इस के अतिरिक्त, दोनों के लागू होने में भी भिन्नता है। यहां स्वास्थ्य मंत्रिणी तथा सभा के प्रत्येक सदस्य ने खाद्य में अपमिश्रण करने का अत्यधिक गर्हण किया है। यदि बात यही है तो अपमिश्रण करने वालों को रक्षा देने का क्या अर्थ है। इस रक्षा से अभियोग चलाना बहुत कठिन हो जायगा। फिर इस खण्ड को रखने का उद्देश्य क्या है? इसे रखने का कारण यह है कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन केवल छोटे छोटे व्यापारियों के लिए ही महत्व का विषय नहीं है अपितु बड़े बड़े व्यापारियों की महत्व का विषय है। ये बड़े बड़े व्यापारी ही इतने सारे खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण होने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हों ने ही इस खण्ड को रक्षा-खण्ड के रूप में रखा है ताकि वे जब उन पर कोई बात आये तो वे अभियोग की कार्यवाही को टाल सकें। यही कारण है कि मैं संशोधन का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और खण्ड २० का उस के वर्तमान रूप में विरोध करता हूं।

श्री राघवाचारी : मैं देखता हूं कि गैर सरकारी क्रेता को अभियोग चलाने का अधिकार देने का उपबन्ध करने से सारी योजना पर भारी प्रभाव पड़ता है। श्रीमान्, मैं अपने माननीय मित्रों के इस मत से सहमत हूं कि गैर सरकारी क्रेता को अभियोग चलाने का अधिकार हो क्योंकि यह एक विस्तृत रूप में फैली हुई बुराई है। प्रत्येक व्यक्ति को विक्रय होने वाली वस्तुओं की शुद्धता की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिये। इस सीमा तक मैं उन के मत से सहमत हूं। परन्तु यदि आप खण्ड २० में केवल "क्रेता" जोड़ते हैं, तो हमें धारा १२ के अधीन वस्तु तथा क्रेता का प्रमाण खोजना पड़ेगा।

सभापति महोदय : यह उस में पहिले से ही विद्यमान है। अब मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना संभाषण पुनः आरम्भ करें क्योंकि मुझे सूचित किया गया है कि माननीय मंत्री का कोई ऐसा संशोधन है जो उन्हें स्वीकार्य होगा।

राजकुमारी अमृत कौर : सभापति महोदय, सर्व प्रथम मैं पहिले खड़ी होने के लिए क्षमा याचना करती हूं। मझे यह विदित न था कि कोई सदस्य इस संशोधन पर भी बोलना चाहेंगे। परन्तु, इस संशोधन का विरोध करने की मेरी प्रथम प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। मैं प्रत्येक व्यक्ति को अभियोग चलाने की सुविधा देना नहीं चाहती थी क्योंकि प्रत्येक क्रेता सदैव स्थानीय प्राधिकारियों और पंचायत के पास जा सकता है और सरकार से अभियोग चलवा सकता है। परन्तु, यदि सभा की सामान्य भावना यह है कि क्रेता को भी अभियोग चलाने का अधिकार हो, तो मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करती हूं। मैं प्रस्ताव करती हूं कि :—

पृष्ठ १२ पर ३८वीं पंक्ति के पश्चात् :

"Provided that a prosecution for an offence under this Act may be instituted by a purchaser

referred to in section 12, if he produces in Court a copy of the report of the Public Analyst along with the complaints."

["परन्तु कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए धारा १२ में निर्दिष्ट क्रेता द्वारा अभियोग चलाया जा सकेगा, यदि वह न्यायालय में शिकायत के साथ सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करे ।"]

जोड़ दिया जाय ।

श्री एन० एस० जैन : मंत्रिणी महोदय के संशोधन की दृष्टि से मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री एन० एस० जैन के संशोधन के स्थान पर उपरोक्त संशोधन सभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

'सभापति महोदय द्वारा उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं । इस से स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं होता है । इस संशोधन का मैं इस कारण विरोध करता हूं कि विद्यमान धारा में कोई संशोधन नहीं होना चाहिये मेरा विचार है कि जो लोग प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, उन्हों ने इसकी दूसरी ओर नहीं देखा है । सर्वप्रथम उन्हें सरकार आदि के सद्भाव पर सन्देह नहीं करना चाहिये । यह तनिक भी नहीं माना जा सकता कि सरकार अनुमति देने में देर करेगी अथवा अभियोग चलाने योग्य मामलों में अनुमति नहीं देगी । अतः इस खण्ड में कोई संशोधन करने की मुझे कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती ।

मामले का दूसरा पहलू यह है, यदि आप इसे गैर सरकारी अभियोगों पर छोड़ देते हैं, तो इस में दो खतरे हैं । एक खतरा यह है कि इस से धमकियां दे कर रुपये लेने का द्वार खुल जायेगा । (**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं) ।

गैर सरकारी अभियोग आरम्भ किया जा सकता है परन्तु बाद में धनी व्यक्ति से कुछ लेने के उपरान्त, वह अभियोग को समाप्त कर देगा । वह अभियोग सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को बताये बिना ही समाप्त कर दिया जायेगा । फिर, अभियोग न चलाने का भी खतरा है । गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा अभियोग चलाने की बड़ी ही विस्तृत प्रक्रिया निश्चित की गई है और सम्भव है कि वे अभियोग न चला सकें । इस कारण मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पष्ठ १२ पर ३८वीं पंक्ति के पश्चात्

"Provided that a prosecution for an offence under this Act my be instituted by a purchaser referred to in Section 12, if he produces in Court a copy of the report of the Public Analyst along with the complaint."

["परन्तु कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये धारा १२ में निर्दिष्ट क्रेता द्वारा अभियोग चलाया जा सकेगा, यदि वह न्यायालय में शिकायत के साथ सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करे।"]

जोड़ दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामा स्वामी द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० वी० रामा स्वामी : मैं इस संशोधन की कण्डिका ४ पर आग्रह करता हूं । तीन मास के स्थान पर मैं उस का समय छः मास करने के लिये सहमत हूं ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड २०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १९. अभियोजन में अनुमति दी जाने वाली और न दी जाने वाली प्रतिवाद

सभापति महोदय : अब खण्ड १९ के सम्बन्ध में उपस्थित संशोधन का सम्बधित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया जावे ।

श्री टेक चन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२ में २० से ३० पंक्तियां हटा दी जायें ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२ में २० से २५ पंक्तियां हटा दी जायें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२, पंक्तियां २१ और २२ में

"within seven days of the receipt of a copy of the report of the public analyst."

["सरकारी विश्लेषक के प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त होने के ७ दिनों के भीतर"] शब्द हटा दिये जायें ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ १२, पंक्ति २१ में Seven days (सात दिनों) के स्थान पर One month (एक मास) शब्द रख दिये जायें ।

श्री डाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२, पंक्ति २६ से 'further' (अग्रेतर) शब्द हटा दिया जाय ।

सभापति महोदय : यह संशोधन सभा के समक्ष वाद विवाद के लिए रखे गये हैं । चूंकि इन मामलों पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है अतः यदि कोई माननीय सदस्य भाषण देना चाहें तो उन को एक दो मिनट का समय दिया जायगा ।

श्री बोगावत : हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं भी यू० एम० त्रिवेदी के प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी ।

श्री टेक चन्द : मेरा संशोधन दो उपबन्धों के हटा देने के सम्बन्ध में है । मैं माननीया मंत्रिणी से उप खण्ड (२) (१) पर विचार करने का अनुरोध करूंगा । इस उप खण्ड के अनुसार विक्रेता को एक नियमित परिपत्र (वारंटी) मिलेगा—उस के आधार पर वह सरकार से प्रार्थना करेगा कि सरकार उस पर अभियोग न चलाये । पर यदि सरकार चलाती है तो वह प्रतिवाद के लिए उसे प्रस्तुत करेगा । ये दो उपबन्ध हटा देने से ७ दिनों का समय परिसीमन भी हट जाता है ।

इस संशोधन से उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी ।

सभापति महोदय : संशोधन १ और २ पर वाद विवाद हो चुका है । श्री यू० एम० त्रिवेदी सभा में उपस्थित नहीं हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : चूंकि माननीय मंत्रिणी ने प्रमाण

उपस्थित करने का प्रथम अवसर हेतु युक्ति-युक्त समय स्वीकार कर लिया है अतः मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती सुषमा सेन सभा में उपस्थित नहीं है। अतः मैं इन संशोधनों को सभा के सम्मुख मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री डाभी : मेरे विचार से प्रथम व्यवस्था अनावश्यक है क्योंकि न्यायालय से सगत सन्देह अवश्य उत्पन्न होना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास एक विशेष परिपण नहीं है।

राजकुमारी अमृत कौर : खण्ड १९ के उपखण्ड (२) के अन्तर्गत अभियुक्त को सभी प्रकार के प्रतिवाद उपस्थित करने का अधिकार है। मेरे विचार से यह उपबन्ध आवश्यक है। किन्तु अभियुक्त को कुछ सुविधा देने के लिये मैं ने कुछ शब्द हटाना स्वीकार कर लिया है।

सभापति महोदय द्वारा श्री टेक चन्द का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा श्री डभी का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा श्री त्रिवेदी का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा श्रीमती सुषमा सेन का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २१ (न्यायधीश का बढ़े हुये दंड लगाने का अधिकार)

श्री एस० व० रामा स्वामी द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'खण्ड २१ विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २२ (सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण)

श्री राघवचारी द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया।

श्री राघवाचारी : प्रवर समिति ने सदभावना से न किये गये काम के सम्बन्ध में निरीक्षकों पर अभियोग लगाने की व्यवस्था की है। (अ) और (ब) के शब्दों में अन्तर होने के कारण उन के व्याख्या में भी अन्तर हो सकता है : अतः यदि हमारे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो निरीक्षकों को भी खण्ड २० के अनुसार कोई जोखम नहीं रहेगा।

सभापति महोदय : क्या मैं उसे सभा में मतदान के लिए रख सकता हूं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि यह संशोधन व्यर्थ है क्योंकि खण्ड १० (८) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का सम्बन्ध सदभावना के साथ किये गये कार्य से नहीं है।

श्री राघवाचारी : मैं माननीय मंत्रिणी जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 'उद्वेग कारक' शब्द का प्रयोग केवल खण्ड १० (८) (अ) में ही है १० (८) (ब) में नहीं है। अतः इस संशोधन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : किसी प्रमाण के बिना किसी कार्य को सदभावना विहीन बताना उचित नहीं । बिना सावधानी और ध्यान के साथ किया गया कोई भी काम सदभावना के साथ किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड २२, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २२, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २३ (केन्द्रीय सरकार का नियम बनाने का अधिकार)

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

(१) पृष्ठ १३, पंक्ति १ में 'The central' (केन्द्रीय) के पूर्व "(1)" (१) जोड़ दिया जाय; और

(२) पृष्ठ १४, पंक्ति १२ के पश्चात

"(2) All rules made by the Central Government under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before both Houses of Parliament."

["(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम निर्माण के बाद शीघ्र से शीघ्र संसद के दोनों सभाओं में रखे जाने चाहिये"] शब्द जोड़ दिये जायें ।

सभापति महोदय : इसी प्रकार का एक संशोधन श्री एस० वी० रामा स्वामी का है ।

श्री एस० वी० रामा स्वामी : इस संशोधन के होते हुए मैं अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत करूंगा ।

श्री डाभी : मैं इस खंड पर भाषण देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य इस संशोधन पर भाषण देना चाहते हैं ?

श्री डाभी : संशोधन पर नहीं, सम्पूर्ण खंड पर ।

सभापति महोदय : पहले मैं संशोधन सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखता हूं बाद में माननीय मंत्री भाषण देंगे ।

श्री एस० वी० रामा स्वामी : उक्त संशोधन में 'Be' (होना) शब्द दो बार आया है । अतः इसे एक बार कर दिया जाय ।

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे यह संशोधन स्वीकार है । प्रथम स्थान से 'Be' (होना) शब्द हटा दिया जाय ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या १३४ को संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा में रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १३, पंक्ति १ में 'The central' केन्द्रीय शब्द के पूर्व "(1)" "(१)" जोड़ दिया जाय; और

(२) पृष्ठ १४, पंक्ति १२ के पश्चात्

"(2) All rules made by the Central Government under this act shall, as soon as possible, after they are made, be laid before both Houses of Parliament."

["इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम निर्माण के बाद शीघ्र से शीघ्र संसद की दोनों सभाओं में रखे जाने चाहिये"] शब्द जोड़ दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डाभी : मैं खण्ड २३ (१) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस खंड के अनुसार केन्द्रीय सरकार खाद्यों में मिलावट करने वाली चीज़ों के निर्माण, आयात या विक्रय के विनियमन या निषेध सम्बन्धी नियम बना सकती है।

इन वस्तुओं में वनस्पति सबसे मुख्य है। इस को रोकने के दो उपाय हैं। प्रथम यह कि वनस्पति को रंगने का कार्य अनिवार्य कर दिया जाय और दूसरा इन के निर्माण को बिल्कुल रोक दिया जाय। हमारी माननीय मंत्रिणी ने कहा है कि इस के रंगाई का कार्य अनिवार्य करना सम्भव नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार अपने नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करे और वनस्पति के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दे।

सभापति महोदय : खंड २३ में केवल नियम निर्माण शक्ति का सम्बन्ध है। वनस्पति को रंगना या उस का निर्माण बन्द करना....

श्री डाभी : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि सरकार इन नियमों का प्रयोग वनस्पति निर्माण के निषेध के लिये करेगी।

सभापति महोदय : तृतीय वाचन के समय माननीय सदस्य यह बातें कह सकते हैं। प्रश्न यह है :

"खंड २३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २४—(राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार)

श्री एस० वी० रामा स्वामी : इस खंड का एक संशोधन है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों को संसद की दोनों सभाओं के सम्मुख रखा जाय। मैं कहना चाहता हूं, कि राज्य विधान सभाओं के सम्मुख भी रखा जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४, पंक्ति ३५ के पश्चात्

"(3) All rules made by the state Governments under this Act, shall as soon as possible, after they are made, be laid before the State legislatures."

["इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाने वाले नियम बनने के बाद यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जायेंगे"] शब्द रखे जायें।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं यह संशोधन स्वीकार करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड (२४ अ)

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४ पंक्ति ३५ के पश्चात्

"२४-(अ) वार्षिक विवरण : (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के समाप्ति के बाद तुरन्त ही केन्द्रीय सरकार पिछले आर्थिक वर्ष में उस अधिनियम के कार्यों के सम्बन्ध में एक वार्षिक विवरण तैयार करायेगी ।

(२) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक विवरण को संसद् की दोनों सभाओं में रखायेगी ।" रखा जाय ।

यह संशोधन स्वयं स्पष्ट है । अभी यह केवल प्रयोग या ढांचा मात्र है । इस की सफलता केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये नियमों पर निर्भर है ।

अभी हम ने एक संशोधन स्वीकार किया है कि राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम राज्य विधान सभाओं के सम्मुख रखे जायेंगे पर केन्द्रीय सरकार उन को तब तक नहीं जान सकेगी जब तक कि वह उस के सम्मुख रखे न जायें । अतः यह वांछनीय होगा कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से वार्षिक वृत्तान्त प्राप्त करने का अधिकार हो तथा वह उसे हमारे सम्मुख उपस्थित करे ।

राजकुमारी अमृत कौर : इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों का होगा और इस लिए वार्षिक वृत्तान्त संकलित करना व्यवहार्य नहीं होगा । और मैं नहीं समझती कि इस प्रकार का उपबन्ध बनाने की कोई प्रथा है । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूं कि मैं इस विधान की कार्यान्विति के बारे में सदैव परिचित रहने की कोशिश करूंगी और जो कुछ भी सूचना उपलब्ध होगी वह आप के सामने रखना चाहूंगी ।

श्री एस० एस० मोरे : वार्षिक वृत्तान्त प्राप्त करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ? हमारा कर्त्तव्य है कि हम यह देखें कि यह अधिनियम एक कागजी तमाशा नहीं रह जाता है । इस में किये गये उपबन्धों के बारे में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् इस में परिवर्तन या संशोधन किये जा सकते हैं । वृत्तान्त प्राप्त न करने से तो राज्य सरकारों को चाहे जो करने का अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिल जाएगा । और यह वृत्तान्त भी अत्यधिक संक्षिप्त नहीं होने चाहियें ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने आश्वासन दे दिया है कि मैं सूचना प्राप्त करती रहूंगी और वह सभा के सम्मुख उपस्थित करूंगी । किन्तु मैं आप से निवेदन करती हूं कि इस के बारे में कोई प्राविधिक बन्धन न रखिये ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

श्री सी० आर० नरसिंहन् : नहीं ।

खंड २५ (निरसन तथा बचाव)

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

'पृष्ठ १४ में से पंक्ति ४० से ४६ तक हटा दी जाय ।'

यह केवल आनुशंगिक संशोधन है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

१२ मध्यान्ह

खंड १ (संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरम्भ)

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ४, में "१९५३" के स्थान पर "१९५४" रखा जाय ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ १, पंक्तियां ८ से ११ में से निम्न शब्द हटा दिये जायें :

"but section 7 shall take effect in any State only from such date as the State Government may, by like notification, appoint and different dates may be appointed by the State Government for different areas of the State."

(किन्तु धारा ७ किसी राज्य में उसी दिन से लागू होगी जो कि उस राज्य की सरकार, समान अधिसूचना द्वारा, निश्चित करे और राज्य सरकार अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिन निश्चित कर सकेगी ।)

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस विलोपन का परिणाम जानना चाहता हूं । क्या यह अधिनियम सब राज्यों में लागु नहीं होगा ? हमें उत्साह के साथ साथ सावधानी से भी काम लेना चाहिये ।

राजकुमारी अमृत कौर : क्या मैं यह आश्वासन दे सकती हूं कि इस अधिनियम के आरम्भ का दिन निश्चित करने के पहले राज्यों के साथ परामर्श किया जाएगा ।

श्री एस० एस० मोरे: इस का परिणाम तो यह होगा कि अधिनियम के आरम्भ में ही विलम्ब होगा । क्योंकि राज्य सरकारें तो उत्तर भी जल्दी भेजती नहीं हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर–मध्य) : विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न दिन निश्चित किये जा सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : लेकिन यहां तो ऐसा कोई खंड नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १, सशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र

श्री एस० एस० मोरे : हम ने कहा है कि इस अधिनियम को 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५३' के नाम से जाना जायेगा और शीर्षक तो है 'खाद्य अपमिश्रण विधेयक' । मेरी राय में इस शीर्षक में तथा खंड १ में दिये गये नाम में संगति होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि 'खाद्य अपमिश्रण विधेयक' शब्द लुप्त हो जायेंगे और 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४' शब्द रह जायेंगे । अतः कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १, में "Parliament" (संसद्) के पश्चात "in the fifth year of the Republic of India" (भारत गणराज्य के पांचवे वर्ष में) शब्द रखे जायें ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब सरकार की ओर से खंड १२ का एक आनुशंगिक संशोधन रखा गया है । प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति १८, में "further (अग्रतर) के स्थान पर "also" (भी) रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । अब समय बहुत कम है । हम पहले ही इस पर काफी समय ले चुके हैं अत: माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी बातें बहुत संक्षेप में कहें ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : सभापति जी, मैं दु:ख के साथ कहता हूं कि मैं इस विधेयक पर स्वास्थ्य मंत्रिणी जी को बधाई देने में असमर्थ हूं । इस का कारण है । यह जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया गया उसका एक बहुत पुराना इतिहास है। वह इतिहास आरम्भ होता है सन् १९२६ ई० में जब रायबहादुर रामसरन दास कौंसिल आफ़ स्टेट के सदस्य थे और मैं भी उसी गृह का एक सदस्य था उन्हों ने सब से पहले इस प्रश्न को उठाया था कि हम शाकाहारियों के लिये जो सबसे आवश्यक वस्तु है वह घी है । घी में उसी समय मिलावट प्रारम्भ हुई थी और वनस्पति के उस समय इतने कारख़ाने नहीं थे जितने उस के बाद धीरे धीरे बनते गये । तभी से यह आवाज़ उठी कि घी की मिलावट रोकने के लिये हमें कोई नकोई क़ानून चाहिये, लेकिन वह क़ानून अब तक नहीं आया । स्वराज्य के बाद भी यह प्रश्न उठता रहा और जब जब घी की मिलावट का प्रश्न आया तब तब सरकार की ओर से यह कहा गया कि किसी प्रकार के भी खाद्य पदार्थ में मिलावट न की जाय, इस के लिये सरकार एक विधेयक उपस्थित करने वाली है। यह विधेयक उपस्थित हुआ । इस में घी का कोई जिक्र न था । उसके बाद यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया और यह आशा की गयी कि प्रवर समिति कम से कम घी के मामले में इस विधेयक में कुछ न कुछ कहेगी । यदि आज मिलावट का पूरा प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप को मालूम होगा कि एक ओर देवी देवता हैं और दूसरी ओर क्षेत्रपाल । अन्य

पदार्थों में जो मिलावट होती है वह बहुत कम होती है। अन्य समस्त पदार्थों की मिलावट को यदि हम एक तरफ़ रखें और घी की मिलावट को दूसरी तरफ तो घी की मिलावट कहीं बढ़ जाती है। मैं यह तो नहीं कहता कि वनस्पति का सारा निर्माण मिलावट के लिये होता है पर मैं यह कहने की जुरत करता हूं कि यदि घी में कोई चीज़ सब से अधिक मिलायी जाती है तो वह वनस्पति मिलाया जाता है। इस विधेयक की धारा ७ में कहा गया है.....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति पहले ही सूचित किया गया है कि समय बहुत कम है। इस विधेयक का वनस्पति के निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन की बात असंगत है; किन्तु चाहता हूं कि वह समय का ख्याल रखें।

सेठ गोविन्द दास : मैं केवल मिलावट की बात कह रहा था। मैं यह नहीं कह रहा था कि वनस्पति का निर्माण बन्द कर दिया जाय और वह इस विधेयक का विषय है। मैं तो केवल यह कह रहा था कि जो घी की मिलावट की मुख्य चीज़ है वह वनस्पति है और मिलावट जो सब से अधिक की जाती है वह घी में की जाती है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस की धारा ७ को अब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मिलावट की जो वस्तुयें हैं उन पर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मिलावट की मुख्य चीज़ घी है उस के सम्बन्ध में यहां पर एक विधेयक उपस्थित किया जाना था या इस विधेयक में ही घी के सम्बन्धमें एक विशेष धारा जोड़ने की आवश्यकता थी। मगर दोनों बातों के न होने के कारण इस बिल का जो अभिप्राय है, इसका जो उद्देश्य है वह सफल नहीं होता। इसी लिये मैं कहना चाहता हूं, अपनी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से, कि इस प्रकार का कमज़ोर बिल, बल्कि मैं और आगे बढ़ कर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का निरर्थक बिल, ला कर इस सभा का समय इस विधेयक पर खर्च कराना, जनता का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना और जनता को असन्तुष्ट करना, यह उचित बात नहीं हुई। इसी लिये जैसा कि मैं ने आप से कहा, कि इस विधेयक से न तो मुझे सन्तोष है और न उन लोगों को सन्तोष होने वाला है जो इस खाद्य पदार्थ को मिलावट की मुख्य चीज़ घी की मिलावट को रोकना चाहते हैं। जहां खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने का ज़िक्र इस विधेयक में किया गया है वहां पर बार बार एक बात कही गई है कि ऐसी चीज़ों की मिलावट को रोकना जो कि तन्दुरुस्ती के लिये इन्जूरियस हैं, इस विधेयक का कर्त्तव्य है। 'इन्जूरियस' शब्द का बार बार प्रयोग, हुआ है। जहां तक वनस्पति का मामला है इस देश में एक विभाग है, और वह विशेषज्ञ का विभाग है जो कि वनस्पति को तन्दुरुस्ती के लिये, कम से कम उन लोगों की तन्दुरुस्ती के लिये जो कि शाकाहारी हैं, इन्जूरियस मानता है। मैं जानता हूं कि सरकार के पास भी इस प्रकार के विशषेज्ञ हैं जो इस बात को कहते हैं कि वनस्पति तन्दुरुस्ती को नुक्सान नहीं पहुंचाता। इस लिये जब सरकार इस बात को मानती है कि वनस्पति इस देश में जो शाकाहारी हैं उन की तन्दुरुस्ती को भी नुक्सान नहीं पहुंचाता, और बारबार इन्जूरियस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस के रहते हुए मुझे इस बातका भय है कि पता नहीं कि वनस्पति को मिलावट की इन्जूरियस चीज़ों में माना जायेगा या नहीं। इसी लिये मेरा निवेदन है कि यह विधेयक न तो लोगों को सन्तुष्ट करने वाला है और न देश के शाकाहारी लोगों की तन्दुरुस्ती में कोई फायदा पहुंचाने वाला है।

[सेठ गोविन्द दास]

सभापति जी, दुनिया के किसी भी देश में शाकाहारियों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है जितनी कि इस पुण्य भूमि में है, और जो लोग यह कहते हैं कि वनस्पति तन्दुरुस्ती को नुक्सान नहीं पहुंचाता वह अधिकतर मांसाहारी हैं। उन को दूसरी ऐसी चीज़ें शरीर के लिये मिल जाती हैं जिस से वनस्पति उन को हानि नहीं पहुंचाता। पर जो लोग शाकाहारी हैं उन को वनस्पति बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। जो लोग शाकाहारी हैं उन के लिये घी ही प्रधान पौष्टिक खराक है और वनस्पति सब से अधिक घी में ही मिलाया जाता है।

इसलिये यह विधेयक हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करता, यह पास भले ही कर दिया जाय, और पास होने वाला ही है। हम लोग देखेंगे कि इस का क्या नतीजा निकलता है। मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से कहना चाहता हूं कि यदि वे इस देश की इस प्रधान मिलावट को रोकना चाहती हैं, यदि वे चाहती हैं कि इस देश के जो शाकाहारी लोग हैं उन की तन्दुरुस्ती को फायदा हो तो घी के सम्बन्ध में उन को एक नया विधेयक शीघ्र से शीघ्र इस सदन में उपस्थित करना चाहिये।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़—पश्चिम) : सभापति जी, मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने को बधाई देता हूं कि आज इस समय पर मेरी ओर दृष्टिपात हुआ।

सभापति महोदय, इस लोक सभा में बहुत क़ानून पास हुए हैं, सरकार का पुस्तकालय क़ानूनों से भरा पड़ा है, लेकिन जितने क़ानून पास होते हैं उन का फल इतना ही देखता हूं कि सरकार को पैसा मिलता है, सरकार खाती है और मोटी होती है, पर जनता को कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आता है लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में मंत्रिणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मिला है, बधाई भी मिली है, लेकिन निराशा के साथ। मुझे एक बात का आनन्द अवश्य हुआ कि इस विधेयक पर बोलने के समय हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने भी अपने दिल की बात कही है। आप भी बोल सके हैं। इस लिये मैं कांग्रेस सदस्यों को भी बधाई देता हूं कि इस बिल पर बोलने के समय उन को साहस हुआ और सरकार के सम्बन्ध में तथा इस विधेयक के सम्बन्ध में वे लोग दिल खोल कर बोल सके। और अभी हमारे.....

सभापति महोदय : समय बहुत कम है और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे केवल विधेयक के बारे में ही कुछ कहें।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति जी, आप ने जो कहा वह मुझ को शिरोधार्य है। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उत्साह के कारण बोल रहा हूं। यद्यपि सेठ गोविन्द दास तथा अन्य लोग निराशा की छाया उत्पन्न करते थे, मैं यह जान कर के कि दुनिया आशा पर जीती है, मंत्रिणी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। केवल आशा पर। अगर पूरी पूरी आशा मुझे भी होती तो मैं बड़े उत्साह के साथ धन्यवाद देने का अवसर पाता और बहुत खुशी की बात रहती। खैर, वह आशा तो नहीं है, लेकिन तो भी यह जान कर के कि जैसा मैं ने पहले कहा है, दुनिया आशा पर जीती है, मैं उन को बधाई देता हूं।

मंत्रिणी जी ने कहा कि उन को सहयोग मिलना चाहिये। मैं उन से कहता हूं, और सारी सरकार से कहता हूं कि भले काम के लिये जिस वक्त सरकार खड़ी होगी, उस को देश के कोन कोने से सहयोग प्राप्त होगा, इस में कोई सन्देह नहीं, खास कर के इस विषय में तो असहयोग का कोई प्रश्न ही नहीं

सभापति महोदय, जब इस सभा में, इस देश की लोक-सभा में कोई भी विधेयक आता है तो उस से देश का चरित्र प्रतिबिम्बित होता है, देश की परिस्थिति प्रतिबिम्बित होती है। किसी भी देश में इस प्रकार की बातें नहीं होतीं कि खाद्य पदार्थ में इस प्रकार की मिलावट हो जिस से देश के लोगों को हानि पहुंचे। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस युग में ऐसा विधेयक आता है। खैर, अब भी अगर सचमुच सरकार की नींद टूटी है तो बड़ी खुशी की बात है और मैं यहां पर कहता हूं कि सरकार को सहयोग मिलेगा इस में कोई शक नहीं है। लेकिन सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार के पास भी कुछ अक्ल होनी चाहिये और ईमानदारी होनी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि हमारे देश की परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि हर विषय में, खाद्य पदार्थ में बुरी चीज़ों की मिलावट होना तो एक चीज़ है, हर विषय में सरकार एक चीज़ है और जनता दूसरी चीज़। सरकार और जनता में मेल मिलाप हो, सरकार के साथ जनता का सहयोग हो, वह दिन आना चाहिये कि सरकार और जनता एक हो। जिस दिन लोग और सरकार एक होंगे उस दिन सहयोग मिलेगा और सब काम ठीक से चलेगा। अभी तो ठीक से नहीं चल रहा है। अभी कुछ लोगों ने एक संशोधन दिया कि जो खरीदने वाला है, जिस की हानि पहले हुई है, सब से पहले उस को ही मुकदमा चलाने का अधिकार हो। लेकिन मंत्राणी जी ने नहीं माना। इस के मानने में क्या हानि थी ?

सभापति महोदय : मान तो लिया है।

बाबू रामनारायण सिंह : खैर, इस के लिये बधाई है। मैं बाहर गया हुआ था इसलिए नहीं सुन पाया। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा कहना यही है कि मंत्राणी जी के पास देश की सारी शक्ति है और उनको जहां जहां से जो जो सहायता मिलनी चाहिये वह देश में एक वायुमंडल पैदा करें जिस से देश में लोग खाने पीने की किसी भी चीज़ में मिलावट करना बुरा समझने लगें। जैसा और भाइयों ने कहा, यह तो एक तरह का खून करना है खून करने वाला तो एक दिन खून कर देता है लेकिन इस तरह की मिलावट करने वाले तो लोगों का बहुत दिनों में धीरे धीरे खून करते हैं। इस में शक की बात नहीं है। इस वास्ते उन को देश में सब से प्रथम एक वायुमंडल पैदा करना चाहिए और जो लोगों ने निराशा की भावना प्रकट की है उस को दूर करना चाहिए। इस वास्ते मैं हृदय से शुभकामना करता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जो अभी कानून हो जायगा जो जो अभिलाषा जिस किसी को हो ईश्वर वह अभिलाषा पूरी करे।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : सभापति जी, मैं सर्वप्रथम अपनी स्वास्थ्य मंत्राणी जी को इस विधेयक के लिए जो कि उन्होंने सदन के सामने रखा ह, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह ठीक है कि इस सदन में हमारे बहुत से मित्रों ने इस की कड़ी आलोचना की है और इस में जो क्लाजेज़ हैं उन में से कुछ के लिए यह बताया है कि उन से जो आशा की जाती है वह पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम देश में किसी पीड़ा से काफी व्यथित होते हैं और हम यह चाहते हैं कि देश की अवस्था सुधरे तो हमें कोई न कोई कदम उठाना पड़ता है और वह कदम ऐसा नहीं होता जिसे हम हर प्रकार से मकम्मिल कह सकें। वह एक रास्ता होता है जो हमें उस तरफ ले जाना चाहता है। और अगर सब लोग उस में अपना सहयोग दें और उस पर नेकनीयती से अमल किया जाय तो निःसन्देह उस के बहुत अच्छे नतीजे निकल जाते हैं।

यह विधेयक जो आज सदन के सामने है लगभग तीन वर्ष से देश के सामने रहा है।

[श्री राधा रमण]

इस पर पहले भी काफी विचार हो चका है। फिर यह एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया जिस ने सब बातों पर विचार कर के जो कुछ भी उस का निर्णय था दिया और उस के बाद अब यह सदन के सामने आया है। इस बीच में इस में अनेकों संशोधन हुए हैं और सदन में भी इस दो दिन की बहस के दौरान में मंत्राणी जी ने कुछ संशोधन मंजूर किये हैं। मेरा अपना ख्याल यह है कि जब सर्वप्रथम यह बिल देश के सामने और सदन के सामने आया था उस समय इस में काफी त्रुटियां थीं जिन के कारण जो आशायें हम रखना चाहते थे वे पूरी होती नज़र नहीं आती थीं। लेकिन आज जिस शक्ल में यह विधेयक हमारे सामने है उस से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस से जो आशायें हम रखते हैं वह हम पूरी होती देखेंगे।

सेठ गोविन्द दास : बहुत कम।

श्री राधा रमण : अगर आप को इस पर विश्वास नहीं है तो इस के लिए तो मुझे और सब लोगों को दुःख है क्योंकि जिस चीज़ को बहुत निर्णयपूर्वक आप कहते हैं और पहले से ही उस के लिए अपने दिल में निराशा पैदा कर लेते हैं तो समझ लीजिये कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उस को खत्म करने का बीड़ा आप पहले से ही उठा लेते हैं। मैं कहूंगा कि हम में इस तरह की निराशा का होना उस काम को मंजिल तक न ले जाने के लिए काफी है। आज इतना विचार करने के बाद जो बिल आप के सामने आया है उस में हमें पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए और उसे कामयाबी की उस मंजिल तक ले जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कामयाबी की मंजिल को हम देखना चाहते हैं।

आज यह सवाल है कि देश में इस वक्त खाने पीने की चीज़ों में इतनी जबरदस्त मिलावट है, खासकर दिल्ली शहर में जहां का मुझे तजर्बा है क्योंकि मैं यहां का रहने वाला हूं, कि उस को देख कर शर्म से हमारा सिर झुक जाता है और हम महसूस करते हैं कि हम किस दर्जे तक गिर गये हैं। यही कारण है कि यह महसूस किया गया कि एक ऐसा बिल आप के सामने आवे और वह आया। और सभापति जी मैं समझता हूं कि जिस शक्ल में यह बिल आज हम लोगों के सामने आया है वह हम लोगों के लिए एक नेक कदम है और इस के जो नतायज होंगे वे भी अच्छे होंगे।

सेठ गोविन्द दास : पहाड़ खोदा तो चूहा निकला।

श्री राधा रमण : यह कहना कि हम चाहते हैं कि यह बिल ऐसा हो कि जिस में हम खान पान की चीज़ों में किसी मिलावट करने वाले को शहर में न देख सकें और इस तरह का कोई आदमी शहर में रह ही न पावे तो मैं कहूंगा कि यह ख्याल बहुत नेक है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो साहब बार बार इस बात को कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, उन्होंने कोई पहाड़ निकाला हो ऐसा नहीं दिखायी देता और वह चुहे के ही पीछे लगे रहते हैं और उस को भी मौका नहीं देते कि वह अपना काम कर सके। तो मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि मेरी राय में यह विधेयक एक निहायत ही अच्छा कदम है और हमारे देश के लिए एक ऐसा कदम है जिस से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि खान पान की चीज़ों में जो आज मिलावट देखने में आती है वह कम होगी और जो लोग इस किस्म का काम करते हैं वे ऐसा करने से गुरेज़ करेंगे।

एक बात जो इस सिलसिले में यहां बहुत काफी कही गयी और जिस की जिम्मेदारी हम पर है उस पर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई विधेयक आप देश के अन्दर लाईये, जब तक आप उस पर अमल करने को

कटिबद्ध नहीं हो जाते और अपनी सारी शक्ति उसे सफल करने में नहीं लगा देते तब तक चाहे वह कितना ही अच्छा विधेयक हो उस की कामयाबी नहीं हो सकती । आज हालत यह है कि हम खाने पीने की चीज़ों की मिलावट की तो बहुत चर्चा करते हैं मगर देश के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना कुछ भी वक्त इस काम में लगाते हों कि आसपास जो एसी चीजें मिलती हैं उन्हें बन्द किया जाय और न मिलने दिया जाय और जो इस तरह का काम करने वाले लोग हैं उन्हें मुहब्बत से और प्रेम से बतलाया जाय कि इस के क्या बुरे नतायज हैं। आज जो सदन के ५०० सदस्य हैं वे अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जा कर इस प्रकार की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक चाहे जितना ही कमजोर क्यों न हो और चाहे इस में उतनी सख्त सजायें न रखी गयी हों जैसी कि हमारे सदन के बहुत से भाई और बहिनों की इच्छा थी, तो भी इस के अच्छे नतीजे निकल सकते हैं । हम हमेशा केवल कानून की शरण लेते हैं लेकिन महज़ कानून की शरण लेने से उतने अच्छे नतायज़ नहीं निकलते जितने कि अपनी आवाज़ को बुलन्द करने से निकलते हैं । अगर हम जनता में जा कर इस के बुरे नतायज की तरफ उन का ध्यान दिलाय तो बहुत अच्छे नतीजे निकल सकते हैं । इसलिए जहां मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी को इस विधेयक के लिए बधाई देना चाहता हूं वहां मैं तमाम सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वे सारे देश में इस कानून पर अमल करने में अपना पूरा पूरा सहयोग दें । इस को सफल बनाने के लिए हमें पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए जिस से कि हम देश के सामने यह रख सकें कि यह भयंकर बीमारी हमारे बीच से कम हो गयी है या खत्म हो गयी है ।

इतना कह कर मैं आप का कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे समय दिया, और मैं इस विधेयक को पास करने के लिए संसद् से अनुरोध करता हूं ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) द्वारा समापन प्रस्तुत किया गया ।

सभापति महोदय द्वारा समापन प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

राजकुमारी अमृत कौर : सभापति जी, मुझे बहुत कहना नहीं है । मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं लोक सभा के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने तमाम इस बिल के बनाने म मेरे साथ सहयोग किया जब से मैं स्वास्थ्य के मुहकमे में सेवा करने लिए आयी हूं तब से मेरा दिल दुखता रहता था कि हमारे बच्चों को पानी मिला दूध मिलता है, शुद्ध घी देश में नज़र नहीं आता । चाहे चावल हो या आटा हो, जो भी हो सब चीज़ में मिलावट होती है । इसलिए यह मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यह मिलावट किसी न किसी तरह दूर कर दी जाय और जब भी मेरे हाथ में यह शक्ति आयी कि मैं इस बिल को लोक सभा के सामने रख सकूं तो मैं ने उस बिल को रखा । मुझे इतना ही अफसोस है कि सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद यह बिल डेढ़ साल तक पड़ा रहा और केवल आज ही यहां आ सका । लेकिन आज भी आया सो भी अच्छा है, और मैं आशा करती हूं कि इस से हमें बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा । जैसा आप लोगों ने सहयोग यहां दिया है, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि बाहर भी मुझे वही सहयोग दें और इस बीमारी को--मैं इसे एक बहुत भयानक बीमारी समझती हूं--जो कि तमाम देश में फैली हुई है दूर करें । ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिल कर इस की रोकथाम में जुट जायें ताकि यह हमारे देश से दूर हो जाय और हमारी जनता की और खास कर हमारे बच्चों की सेहत की रक्षा हो ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अस्पृश्यता के आचरण या उस से उत्पन्न किसी अनर्हता का प्रवर्तन करने के लिए दण्ड विहित करने वाले विधेयक को सदनों के ४९ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में निम्नलिखित ३३ सदस्य इस सभा के हों :—श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री नारायण सदोबा कजरोल्कर, श्री टी० संगण्णा, श्री पन्ना लाल बारूपाल, श्री नवल प्रभाकर, श्री अजित सिंह, श्री गणेशी लाल चौधरी, श्री बहादुर भाई कुंठा भाई पटेल, श्रीमती मिनीमाता, श्री मोतीलाल मालवीय, श्री डोडा तिम्मय्या, श्री रामेश्वर साहू, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री राम दास, श्री नेमी शरण जैन, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री नारायणदास, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री बलवन्त नगेश दातार, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री मंगलागिरि नानादास, श्री पी० एन० राजभोज, राइट रैवरैंड जान रिचर्डसन, श्री ए० जयरामन, श्री वी० जी० देशपांडे, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री विज्ञेश्वर मिश्र, श्री आर० वेलायुधन, श्री एन० एम० लिंगम, श्री मोहन लाल सक्सेना, श्री एन० सी० चटर्जी और डा० कैलाश नाथ काटजू और १६ सदस्य राज्य-सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गण पूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहिले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो कि अध्यक्ष करे;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को संसूचित करे ।"

सभापति महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण देना नहीं चाहता हूं । वास्तव में, महान् सम्मान के साथ, मैं सभा से यह कहूंगा कि वह अधिक चर्चा किये बिना इस "प्रस्ताव" को एक समिति को सौंपना स्वीकार करे । इस का कारण यह है कि मैं समझता हूं कि सभी यह स्वीकार करते हैं कि अस्पृश्यता विधेयक की आवश्यकता है । अस्पृश्यता को संविधान पहिले ही समाप्त कर चुका है और मैं ने बार बार सुना है कि ऐसे विधेयक की बहुत समय से आवश्यकता रही है । मैं देखता हूं कि जिन संशोधनों की सूचना दी गई हैं उन में एक यह भी है कि जनमत जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाय । मैं सम्मानपूर्वक सुझाव देता हूं कि यह प्रक्रिया वहां लाभदायक हो सकती है जहां मतभेद की सम्भावना हो और कोई यह निश्चित रूप से जानना चाहे कि जनमत क्या है । परन्तु जहां सन्देह अथवा झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां मतों की भिन्नता की कोई गंजाइश नहीं है और जहां, यदि मैं यह कहूं कि, सर्व सम्मति यह है कि विधेयक का होना आवश्यक है और शीघ्र ही पारित होना चाहिये, तो ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता कहां है ? वास्तव में कुछ सदस्यों ने मेरी शिकायत की है कि

विधेयक के पुरःस्थापन या पारित होने में विलम्ब हो गया है। अतः मेरा विचार है कि इस प्रकार के मामले में जनमत जानना वातस्व में कोई आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि प्रवर समिति इस पर कुछ समय लेगी। सात या आठ मासों से विधेयक जनता के समक्ष रहा है। और संस्था, दल, व्यक्ति अथवा जो कोई भी अपना मत प्रकट करना चाहता है या सुझाव देना चाहता है वह स्वयं ही आगे बढ़ेगा और समिति को ज्ञापन प्रस्तुत करेगा, अथवा उन्हें लिखेगा, अथवा मौखिक जांच की मांग करेगा ? मैं स्वयं इस बात के लिए इच्छुक हूं कि यह विधेयक यथाशीघ्र संविधि पुस्तक पर आ जाय। वास्तव में मुझे यह विधेयक पिछले सत्र में पारित करा लेना चाहिये था। परन्तु तब विधान कार्य इतना अधिक था कि यह उस समय प्रस्तुत न किया जा सका। विधेयक पर किसी निश्चित तारीख तक, जनमत जानने के छोटे से मामले के बारे में बात यह है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक का और उद्देश्य तथा कारणों के विवरण का अध्ययन कर चुके हैं। मेरे मतानुसार यह एक दबावक विधान है। और सारे विधान, अनिवार्यतः दबावक अवश्य होने चाहियें। "हां, यह इस देश की विधि है; आप को पालन करनी ही पड़ेगी।" देश की विधियां, जब तक कि उन में संसद् द्वारा या उचित विधानीय प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन न किये जायें, पालन किये जाने के लिए होती हैं। यदि देश की विधियों का पालन न किया जाय, तो किसी की खुशामद नहीं की जायेगी या यह समझाने की कोशिश नहीं की जायेगी कि "ऐसे अपराध न करो"। आप को दण्ड दिया जाता है।

अतः, इस अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक का प्रत्येक खण्ड दबावक है। यह कहता है कि अस्पृश्यता समाप्त करदी गई है और हिदायत देता है कि तथाकथित अस्पृश्यजनों के साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिये, उन्हें वे समान अधिकार दिये जाने चाहियें जो संविधान ने उन्हें दिये हैं। यह उन अधिकारों का प्रश्न नहीं है जिन की उन्हें गारन्टी दी गई है; वर्ग, जाति या पंथ के निरपेक्ष प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों की गारन्टी दी गई है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सामान्य उपबन्ध क्या हैं। जहां तक मैं जानता हूं—और मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे—नगरों में अधिक अस्पृश्यता नहीं रही है, क्योंकि वहां पर्याप्त राजनीतिक जागृति है, वहां भाषण होते हैं, राजनीतिक चर्चायें होती हैं, और संविधान के उपबन्धों का भली प्रकार ज्ञान हो गया है। परन्तु वे शिकायतें, जो मुझे तथा माननीय सदस्यों को सुनाई देती हैं और जो इस सभा में तथा राज्य विधानमण्डलों में रखी जाती हैं, ये हैं कि गांवों में अस्पृश्यता अब भी विद्यमान है। प्रत्येक राज्य के गांवों की स्थितियां भी विभिन्न हैं। जहां तक पिछले दिनों के तथाकथित ब्रिटिश इण्डिया का सम्बन्ध है, वहां पिछले तीस वर्षों से गांधी जी के महान् तथा भावोत्पादक नेतृत्व में राजनीतिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा का कार्य निरन्तर रूप से हो रहा है और उन का सन्देश ब्रिटिश इण्डिया के प्रत्येक गांव में पहुंच गया है। परन्तु उन क्षेत्रों में, जिन्हें हम भूतकाल में भारतीय राज्य कहा करते थे और जो अब भाग 'ख' तथा भाग 'ग' के राज्य कहलाते हैं, मेरा ख्याल है कि वहां की स्थिति उतनी उन्नत नहीं है जितनी कि भारत के अन्य भागों की है। राजस्थान, मध्य भारत, पेप्सू तथा अन्य स्थानों में सारी बातें वही हैं। ऐसे मामलों में प्रगति अवश्य ही बहुत धीरे धीरे होती है और इस के लिए पर्याप्त प्रचार तथा प्रयोजक शिक्षा की आवश्यकता होती है, और इस में व्यक्तित्व की अधिक आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रचार

[डा० काटजू]

करता है वह ऐसा हो जिस का मान तथा सम्मान होता हो। यदि वह जा कर संदेश देता है, तो लोग उस की बात सुनते हैं। गांधी जी ने भी यही बात कही थी, और आज भी हम बिहार तथा अनेकों अन्य स्थानों में देखते हैं कि लोग इस बात को महत्व नहीं देते कि कहा क्या जाता है अपितु इस बात को अधिक महत्व देते हैं कि कौन कहता है। यदि आप को वही सन्देश मिले, वही शिक्षा मिले, वही भाषण दिया जाय तो भी आप देखते हैं कि वह किसने दिया है ? क्या यह भाषण उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस का लोग मान करते हैं, जिसे चाहते हैं और पसंद करते हैं ? हां, तब तो उस का लोगों पर प्रभाव होता है। यदि यह किसी और के द्वारा दिया जाता है, तो यह एक भाषण ही होता है और इस से अधिक कुछ नहीं। अतः गांवों की स्थितियां भिन्न हैं। मेरा सदैव यह मत रहा है कि विधान मण्डल को भारत के प्रत्येक नागरिक को यह दिखाने के लिए कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये, वह कार्यवाही करने के लिए बाध्य है; उसे कार्यवाही करनी चाहिये कि यह अस्पृश्यता का आचरण सहन नहीं किया जायगा; इस के साथ ही साथ हमें गांधी जी के उपदेशों को सदैव याद रखना चाहिये कि विधानीय कार्यवाही की पूर्ति के लिए लोगों में सक्रिय सामाजिक प्रचार होना चाहिये। वह हम सब को उपदेश देते थे कि तथाकथित उच्च जाति के लोगों को, उस अत्याचार के लिए जो वह पिछले हज़ार या दो हज़ार वर्षों से करते आये हैं, कहा जाये, कि उन्ह प्रायश्चित करना चाहिये। उन्हें जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। हृदयों में सक्रिय परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। मैं आप को यह सुझाव देने का साहस करता हूं कि वह अत्याधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी समझाने बझाने से अधिक सफलतायें प्राप्त होती ह।

मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। मैं कलकत्ता में था। एक दिन प्रातःकाल मैं ने समाचारपत्र में पढ़ा कि किसी बाल बनाने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी—वहां कोई राज्य की विधि है—क्योंकि उस ने किसी हरिजन के बाल बनाने से मना कर दिया था। मैं नहीं जानता कि वह कोई उच्च जाति का बाल बनाने वाला था अथवा कोई हरिजन था। आप को विदित है कि हरिजनों और हरिजनों में अन्तर है। उन में श्रेणियां हैं और उस पर १५ रुपये जुर्माना हुआ। बाल बनाने वाला किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास गया। जिस व्यक्ति ने मुकदमा लिया और लड़ाया वह कोई बड़ा वकील था। बाल बनाने वाले ने उसे अवश्य ही बहुत रुपये दिये होंगे। बाल बनाने वाले ने कहा : "मैं ने कुछ नहीं किया है। मैं इस के लिये बाध्य नहीं हूं कि जो भी मेरे पास आये मैं उस की दाढ़ी बनाऊं। यह मेरा मूल अधिकार है कि मैं दाढ़ी बनाऊं या न बनाऊं।" वह कहेगा : "यदि आप कहें कि मुझे प्रत्येक की दाढ़ी अवश्य बनानी चाहिये, तो यह संविधान के प्रतिकूल है।" मैं नहीं जानता कि तर्क क्या था। परन्तु, समाचरपत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि पुनरीक्षण अस्वीकार कर दिया गया। आप को बाल बनाने वाले का हृदय बदलना है। अन्यथा, वह कहेगा कि यदि आप मुझे हरिजन के बाल बनाने के लिए बाध्य करते हैं, तो मैं यह काम ही नहीं करूंगा, इस की बजाय मैं घर बैठूंगा। फिर क्या होगा ? विधि कोई सहायता नहीं करती। हमें इस मामले पर विचार करना चाहिये। मैं अपने उन सारे भाइयों से जो यहां हरिजन जाति के प्रतिनिधि हैं, पूछना चाहता हूं कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे समानता चाहते हैं अथवा वे कोई विशेष अधिकार चाहते हैं ? मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, कुएं से पानी लेने का अधिकार आदि

के मामले में सदैव यह बात मेरे दिमाग में आई है । आप राजस्थान या मध्यभारत के किसी गांव में अर्थात् पिछड़े हुए गांव में, जाइये । वहां प्राचीन विचार प्रचलित हैं । मान लीजिये वर्तमान रीति रिवाजों के अनुकूल किसी व्यक्ति को कुएं से पानी लेने से रोका जाता है, हम विधि लागू करते हैं और रोकने वाले को छः मास का कारावास का दण्ड देते हैं । वह हरिजन कुएं से पानी लेता है । तत्पश्चात् मान लीजिये, उस गांव के लोग एक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यह कुआं भ्रष्ट हो गया है, हम दूसरा कुआं बनायेंगे और इस कुएं से पानी न लेंगे । परिणाम यह होगा कि वह कुआं केवल अनुसूचित जातियों वाले मेरे भाइयों के प्रयोग के लिए रह जायेगा । क्या उस से वे प्रसन्न होंगे ? इस से मैं प्रसन्न न हूंगा । मैं समझता हूं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस कुएं पर जाय और रेल के तृतीय श्रेणी के डिब्बे की भांति उस का प्रयोग करे । डिब्बे में सब जातियों के व्यक्ति होते हैं । मैं ने इन लोगों से बातें की हैं । ये लोग कुएं से पानी लेने की सुविधा नहीं चाहते अपितु चाहते हैं कि उन्हें हिन्दुओं के साथ पूर्ण समानता प्राप्त हो, और यह बात मंदिरों पर भी लागू होती है । मान लीजिये कि मैं किसी ऐसे मंदिर में जाता हूं जहां केवल ब्राह्मण या अन्यजन जाते हैं, और पुजारी कहता है कि यह भ्रष्ट हो गया है, तो लोग वहां जाना छोड़ देते हैं । मैं एक महिला से बात कर रहा था । उस ने बताया कि वह देवी जी के किसी मन्दिर में जाया करती थी । तब मैं ने उस से पूछा कि क्या बात हो गई, क्या तुम आजकल नहीं जाती हो । उस ने कहा कि मैं ने जाना छोड़ दिया है । मैं ने पूछा क्यों जाना छोड़ दिया । उस ने उत्तर दिया कि वह भ्रष्ट हो गया । मैं ने पूछा क्या भ्रष्ट हो गया । उस ने कहा कि हरिजनों के लिए मन्दिर के दरवाजे खोल दिये गये हैं । मैं अब वहां नहीं जाती । कल्पना कीजिये कि यह बात इधर उधर फैलती है, इस से हरिजन अप्रसन्न होंगे ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : एक औचित्य प्रश्न के हेतु हम लोगों को हरिजन शब्द अच्छा नहीं लगता । हम लोग अछूत हैं, हम को अछूत कहो । हरिजन शब्द बहुत खराब है, हम लोगों के लिए हरिजन शब्द नहीं कहना चाहिए । दलित कहो, अछूत कहो लेकिन हरिजन नहीं कहना चाहिए ।

डा० काटजू : मैं अपने माननीय मित्र श्री पी० एन० राजभोज को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले २० वर्षों में मैं किसी आश्रम को हरिजन आश्रम कहने या हरिजन शब्द का कहीं भी प्रयोग करने का प्रबल विरोध करता आया हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज : यह बहुत खराब शब्द है ।

डा० काटजू : अनेक बार मत खड़े होइये ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस शब्द को अच्छा मानता हूं । यह प्रचार में आ गया है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित —अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, श्री राजभोज ने अभी हरिजनों के लिए अछूत शब्द कहा है । हम उस के ऊपर एतराज़ करते हैं । हम लोग न अछूत हैं और न बनना चाहते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : यह कांग्रेस हरिजन हैं जो हरिजन शब्द को बहुत खराब मानते हैं ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । क्या माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठेंगे सभा का सम्मान तो करना ही चाहिये । यदि

[सभापति महोदय]

अनेक सदस्य एक ही साथ खड़े हो कर बोलने लगेंगे तो शोर मच जायेगा । मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह शान्त हो कर एक के बाद एक, सभा के सम्मान का ध्यान रख कर भाषण करें ।

श्री पी० एन० राजभोज : अच्छा मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि चेयरमैन महोदय कृपा कर के होम मिनिस्टर साहब को यह शब्द न बोलने दें ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह प्रार्थना एक बार पहले भी कर चुके हैं । अनुसूचित जातियों के अन्य सदस्य 'अछूत' शब्द के पक्ष में नहीं हैं । अब माननीय मंत्री जो शब्द चाहें वह प्रयोग करें ।

डा० काटजू : जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं ने एक वाक्यांश गढ़ा है । मैं "समाज के वह बान्धव जिन के सम्बन्ध में यह चर्चा हो रही है" नाम से सदैव उन का निर्देश करूंगा । इस से सभी प्रसन्न रहेंगे । मैं न तो 'अछूत' शब्द का प्रयोग करूंगा और न 'अनुसूचित जातियां' क्योंकि यह भयंकर बात है । मैं "समाज के वह बान्धव जिन के सम्बन्ध में यह चर्चा हो रही है" कहूंगा । मैं समझता हूं कि इस से सब को सन्तोष होगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : स्पष्टीकरण प्रश्न के हेतु, यह विधेयक तो उन से सम्बन्धित है जो विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं और जिस समाज के सम्बन्ध में विवाद हो रहा है वह अपराधी है । क्या वह इन्हें अपराधी बतलाते हैं ?

डा० काटजू : अपराधी मैं हूं । वे लोग पीड़ित हैं । आप ने गलत समझा । यह विधेयक अपराधियों से सम्बन्धित है और अपराधी सदैव विरोधी दल होता है जो अन्य लोगों को कुएं से पानी भरने, उन के बाल बनाने, होटल में प्रवेश करने या इस प्रकार के अन्य कामों से रोकता है । मेरा विचार है कि इस विधेयक का बृहद् अभिनन्दन होगा । मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था कि हमें विधेयक के पारित होने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए । हम में से प्रत्येक को जो जो जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के विचारों का अग्रदूत है, उसे भरसक प्रयत्न द्वारा लोगों को समझाना चाहिए, विशेष रूप से समाज के दूसरे विभागों के लोगों को, कि इस प्रकार के भेदभाव को सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह केवल वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रश्न नहीं है बल्कि हम को कभी कभी शान्ति और सुरक्षा की समस्या की ओर से भी भय मालूम होने लग जाता है । आप इस प्रकार की एक विधि पारित करते हैं और कल्पना कीजिये कि जनता के विचारों का उस से साम्य नहीं है, तो परिणाम क्या होगा ? दंगे होते हैं । आक्रमण होते हैं, अशान्ति फैलती है । मैं ने इन के बारे में स्वयं अपने कानों से सुना है । जब हम गांवों में जाते हैं, लोग आते हैं और कहते हैं "हम क्या करें, कृपा कर के हमारी रक्षा कीजिए" । इसी कारण से मैं इस पर ज़ोर देता हूं और मैं आप से कहता हूं कि जब तक आप करोड़ों को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे तथा जब तक बहुसंख्यक जनता के विचार आप के पक्ष में नहीं होंगे, तब तक यह विधियां सफल नहीं होंगी ।

जब मैं बंगाल जाता था तो एक विशेष दृष्टांत से मुझे बड़ा अचम्भा हुआ । आप जानते हैं कि वहां लड़कियों और लड़कों के बड़े बड़े झुण्ड इकट्ठे होना साधारण बात है । बंगाल में, सिर पर सिन्दूर देख कर यह पहचानना कि लड़की कुंवारी है या विवाहित एक सरल बात है । एक बार मैं ने यह देखा । लगभग ९ वर्ष की एक लड़की थी उस के सिर

पर सिन्दूर लगा था। मैं ने शारदा ऐक्ट का ध्यान किया। मैं ने लड़की को बुलाया और उस की आयु पूछी। निस्संकोच भाव से लड़की ने १४ वर्ष बताया। इस ९ वर्ष की लड़की ने १४ वर्ष आयु बताने का पाठ पढ़ लिया था। बंगाल के नगरों में नहीं गांवों में शारदा ऐक्ट वास्तव में प्रभावहीन है। (अन्तर्बाधायें) आप एक विधि पारित कर सकते हैं पर उसे जनता के विचारों के सहयोग के कार्यान्वित नहीं कर सकते। यही बात इस विधेयक के सम्बन्ध में भी लागू होती है। हर एक युक्ति-संगत धारा को और भी कठोर होना चाहिए और जब ऐसे मामले न्यायालयों में जायेंगे तो इन में किसी प्रकार की दया नहीं की जायेगी। यदि भारत के किसी नागरिक को मन्दिर में नहीं जाने दिया जाता या अन्य प्रत्येक नागरिकों को दिये गये किन्हीं अधिकारों का प्रयोग जनमार्ग, पाठशाला, औषधालय, विद्यालय तथा होटल या जनता के खाने पीने के स्थानों में नहीं करने दिया जाता तो अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। पर ध्यान रहे दंड से स्नेह नहीं बढ़ता। यदि आप किसी को दंड दे कर छः मास की कैद करा देते हैं तो इस भ्रम में मत रहिये कि आप ने उस व्यक्ति को दंड दिला कर दो समाजों का मेल करा दिया। जब तक कि उस समाज के सभी लोग जिस समाज के व्यक्ति को दंड दिया गया है, मज़बूती और स्थिरता से इस विधेयक के उपबन्धों के पक्ष में नहीं हैं और उस व्यक्ति की निन्दा नहीं करते कि उस ने उस प्रकार का आचरण कर के उन के समाज को अपमानित किया है, आप को सफलता नहीं मिलेगी। परन्तु यदि उस समाज में अधिकांश लोगों के विचार अपराधी के पक्ष में हैं, तो जहां तक मैं मानव स्वभाव को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि परिणाम स्वरूप अपराधों और अनर्हताओं की वृद्धि होगी, सामाजिक बहिष्कार और न जाने क्या क्या होगा।

यही, मेरे कहने का तात्पर्य था। मैं आप का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि हमें इस विधेयक को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर लेना चाहिए। यह सत्र अपेक्षाकृत छोटा है और यदि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जायेगा तो प्रवर समिति की बैठक, मुझे आशा है, अक्टूबर में या नवम्बर के प्रारम्भ में होगी। तब हम इस विधेयक को वर्ष के अन्त के पूर्व संविधि पुस्तक पर ला पायेंगे और तब हम समाज के उन बान्धवों को जिन के सम्बन्ध में यह चर्चा हो रही हैं सन्तुष्ट कर पायेंगे।

श्री वेलायुधन : हमें केवल विधेयकों से सन्तोष नहीं है।

डा० काटजू : हम विधेयकों से काम लेना चाहते हैं। और हमारे शब्द केवल थोथा बकवास नहीं है बल्कि हम में से प्रत्येक आतुर है कि 'अस्पृश्यता' हमारे देश से समूल नष्ट हो जाय।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पी० एन० राजभोज : समिति का सभापति कौन होगा ?

सभापति महोदय : इस का निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं डा० अम्बेडकर का नाम सुझाव में पेश करता हूं।

सभापति महोदय : इस का निर्णय अध्यक्ष महोदय ही करेंगे।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : सभापति लोक सभा से होना चाहिए।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव के अनेक संशोधन हैं। मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि कौन कौन से प्रस्ताव रखे जायेंगे। एक प्रस्ताव श्री वेलायुधन के नाम है।

श्री वेलायुधन : मैं प्रस्ताव नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : एक संशोधन श्री पी० एन० राजभोज के नाम है । क्या वह उस का प्रस्ताव करना चाहते हैं ?

श्री पी० एन० राजभोज : मैं प्रस्ताव नहीं करना चाहता ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं अपने संशोधन संख्या ४ का प्रस्ताव करना चाहता हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

इस विधेयक के सम्बन्ध में देश के विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक संघठनों और उन संघठनों, जो केवल अनुसूचित जातियों के हित में तल्लीन हैं, के भी विचारों को ३० नवम्बर, १९५४ तक इकट्ठा करने के लिए इसे परिचालित कर दिया जाय ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव नहीं करना चाहता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : औचित्य प्रश्न के हेतु....

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) : मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : श्री सोमना का भी एक संशोधन है । पर क्या वह श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन की भांति तो नहीं है ?

श्री एस० एस० मोरे : पर क्या श्री देशपांडे अपने संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं उसका प्रस्ताव कर सकता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : एक औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमान्, उन्होंने प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली है । प्रवर समिति में कार्य करने की स्वीकृति देने के बाद वह अपने प्रस्ताव का प्रस्ताव नहीं कर सकते ।

सभापति महोदय : वह प्रवर समिति के सदस्य रहना चाहते हैं या नहीं यह बताना उनका काम है ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद—दक्षिण) : वह प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार कर चुके हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : वह प्रवर समिति के सदस्य हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने अपने नाम का प्रवर समिति में निर्देशन स्वीकार कर लिया है । मैं समझता हूं कि वह विधेयक में सन्निहित सिद्धान्तों से सहमत हैं ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : किन्तु सभा ने उसे स्वीकार नहीं किया है ।

सभापति महोदय : जब एक सदस्य एक समिति में काम करने की स्वीकृति देता है तो सभा के स्वीकार और अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरा अभिप्राय यह है कि मैं सिद्धान्तों को मानता हूं । पर अन्य बातें मेरे ऊपर लादी न जायं । प्रवर समिति के सदस्य होने के नाते यह निश्चित है कि मैं विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं । पर क्या मेरे प्रस्ताव करने में, कि प्रवर समिति के सम्मुख विधेयक भेजने के पूर्व जनता के विचारों का पता लगा लिया जावे, कोई बन्धन है ?

सभापति महोदय : यह सभा की परम्परा है । मैं विचार करता हूं कि माननीय सदस्य समिति में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : यदि यह नियमानुकूल नहीं है तो मैं उस का प्रस्ताव नहीं करूंगा ।

श्री बोगावत : मैं प्रस्ताव करता हूं, कि :

"इस विधेयक को श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री नारायण सदोबा कजरोल्कर, श्री टी० संगण्णा, श्री पन्नालाल बारूपाल, श्री नवल प्रभाकर, श्री अजित सिंह, श्री गणेशी लाल चौधरी, श्री बहादुर भाई कुन्ठाभाई पटेल, श्रीमती मिनीमाता, श्री मोतीलाल मालवीय, श्री डोडा तिम्मय्या, श्री रामेश्वर साहू, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री राम दास, श्री नेमी शरण जैन, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री श्री नारायण दास, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री बलवन्त नागेश दातार, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री मंगल गिरि नानादास, श्री पी० एन० राजभोज, राइट रैवरैंड जॉन रिचर्डसन, श्री ए० जयरामन, श्री वी० जी० देशपांडे, श्री बी० एस० मूर्त्ति, श्री विज्ञेश्वर मिश्र, श्री आर० वेलायुधन, श्री एन० एम० लिंगम, श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री एन० सी० चटर्जी और डा० कैलाशनाथ काटजू की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे ३० सितम्बर, १९५४ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय ।"

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर राय जानने के लिये ३ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक परिचालित किया जाये ।"

इस प्रस्ताव से मेरा उद्देश्य विलम्बकारी ढंग प्रयोग में लाना नहीं है । मेरे विचार में यह विधेयक देश की आशाओं को पूरा नहीं करता और इसलिये लोग इसे इतना नहीं चाहते । इसलिये मैं इस बारे में देश की राय लेना आवश्यक समझता हूं कि सरकार इस अभिशाप को दूर करने के लिये इस विधान के बारे में क्या कार्यवाही कर सकती है । जैसा कि माननीय गृह मन्त्री ने बताया जब तक तथाकथित उच्च वर्ग के लोग अपने भाइयों के साथ अपने व्यवहार को नहीं बदलते, अपने मन और विचारों में परिवर्तन नहीं करते इस प्रकार के विधान से कोई लाभ नहीं हो सकता । इस के लिये तो ऐसे समाज के निर्माण की आवश्यकता है जो इस अभिशाप को अभिशाप ही समझे और इसे सदा के लिये दूर करने का प्रयास करे । कई राज्यों में इस प्रकार के विधेयक तथा अधिनियम पारित किये गये हैं, परन्तु वे कभी भी क्रियान्वित नहीं किये जा सके और आज यह स्थिति है कि हमारे पददलित हरिजन भाइयों को अभी तक मंदिरों में प्रवेश करने और होटलों में बैठने नहीं दिया जाता । इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि यदि यह विधेयक अधिनियम बन भी जाये तो भी यह अभिशाप दूर न होगा । और यह अधिनियम कभी क्रियान्वित न होगा और देश के किसी भी भाग में इस के उपबन्ध लागू न होंगे ।

एक माननीय सदस्य : आप का सुझाव क्या है ?

श्री एन० सोमना : अतः मैं सुझाव देता हूं कि इस विधेयक में सामाजिक सुविधायें देने के लिये भी उपबन्ध हो । इस लिये मैं अनुभव करता हूं कि उन संस्थाओं की राय को भी विचारगत किया जाये जो कि हरिजनों के सुधार और उन के उत्थान के लिये कार्य करती रही हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

अब सभा कल ८.१५ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।